



वार्षिक रिपोर्ट

2011-2012



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए)

भारत सरकार

एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एन्कलेव
नई दिल्ली-110 029

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वार्षिक रिपोर्ट

2011-12



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
संक्षेपाक्षर	V
अध्याय 1 प्रस्तावना	1
अध्याय 2 कार्यकलाप एवं उद्देश्य	5
अध्याय 3 उल्लेखनीय घटनाएं	7
अध्याय 4 नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश	25
अध्याय 5 क्षमता विकास	35
अध्याय 6 कृत्रिम अभ्यास/ड्रिल, आई.आर.एस. का कार्यान्वयन तथा जागरूकता सृजन	57
अध्याय 7 आपदा जोखिम प्रशमन परियोजनाएं	63
अध्याय 8 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : आपातकालीन कार्रवाई को मजबूत करना	73
अध्याय 9 प्रशासन एवं वित्त	81
अनुबंध – I	85
अनुबंध – II	87
अनुबंध – III	89

ए.ई.आर.बी.	परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
ए.ई.सी.	परमाणु ऊर्जा आयोग
ए.आर.सी.	प्रशासनिक सुधार आयोग
ए.आर.एम.बी.	दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन
सी.बी.डी.आर.एम.	समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन
सी.बी.ओ.	समुदाय आधारित संगठन
सी.बी.आर.एन	रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय एवं नाभिकीय
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
सी.डी.	नागरिक सुरक्षा
सी.डी.एम.	रासायनिक आपदा प्रबंधन
सी.एम.ई.	सैन्य इंजीनियरी महाविद्यालय
सी.पी.एम.एफ.	केंद्रीय अर्ध सैन्य बल
सी.आर.एफ.	आपदा राहत कोष
सी.एस.सी.	सामुदायिक सेवा केंद्र
सी.एस.एस.आर.	क्षतिग्रस्त संरचना संबंधी खोज एवं बचाव
डी.एम.	आपदा प्रबंधन
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डी.आर.डी.ई.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान
डी.आर.डी.ओ.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
ई.एफ.सी.	व्यय वित्त समिति
ई.ओ.सी.	संकटकालीन प्रचालन केंद्र
ई.ओ.आई.	रुचि की अभिव्यक्ति
ई.पी.जेड.	आपातकालीन योजना क्षेत्र
ई.आर.सी.	संकटकालीन कार्रवाई केंद्र
ई.डब्ल्यू.	पूर्व-चेतावनी
एफ.आई.सी.सी.आई. (फिक्की)	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन परिसंघ (फिक्की)
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.एम.ए.	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
हजकेम	खतरनाक रसायन
एच.पी.सी.	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
आई.ए.एन.	एकीकृत एम्बुलेन्स नेटवर्क
आई.सी.पी.	घटना नियंत्रण चौकी
आई.ई.सी.	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आई.एम.सी.	अंतर मंत्रालयीन समिति
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.	अंतरराष्ट्रीय खोज एवं बचाव सलाहकार समूह
आई.एन.टी.ए.सी.एच.	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट

आई.आर.एस.	घटना कार्रवाई प्रणाली
आई.आर.टी.	घटना कार्रवाई टीम
आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
एम.ए.एच.	वृहत दुर्घटना संकट
एम.एफ.आर.	चिकित्सा प्राथमिक सहायता कर्मी
एम.एच.ए.	गृह मंत्रालय
एम.ओ.डी.	रक्षा मंत्रालय
एम.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.पी.एम.सी.एम.	चिकित्सा तैयारी एवं बड़ी दुर्घटना प्रबंधन
एन.सी.सी.एफ.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
एन.सी.एम.सी.	राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
एन.सी.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.डी.सी.एन.	राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क
एन.डी.एम.ए.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एन.डी.आर.एफ.	राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल
एन.डी.सी.आई.	राष्ट्रीय आपदा संचार आधारद्वारा
एन.ई.सी.	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति
एन.ई.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एफ.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.आई.डी.एम.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एन.एल.आर.एम.पी.	राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना
एन.एस.ए.	राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
ओ.एफ.सी.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल
पी.आई.बी.	सार्वजनिक निवेश बोर्ड
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी सहभागिता
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थाएं
पी.एस.एस.एम.एच.एस.	मनो-सामाजिक सहयोग एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं
पी.टी.एस.डी.	पोस्ट-ट्रॉमेटिक तनाव विकार
आर.एंड डी.	अनुसंधान एवं विकास
आर.एफ.पी.	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
एस. एंड टी.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एस.डी.एम.ए.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एस.डी.आर.एफ.	राज्य आपदा कार्रवाई बल
यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय निकाय
यू.एम.एच.पी.	शहरी मानसिक चिकित्सा कार्यक्रम
यू.एस.ए.आई.डी.	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय विकास अभिकरण
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
डब्ल्यू.जी.	कार्य समूह

1

प्रस्तावना

असुरक्षितता विवरण

1.1 भारत, भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिम और अनेक आपदाओं का शिकार बनने वाला देश है। इसका 58.6 प्रतिशत से अधिक भू-भाग साधारण से लेकर अति उच्च तीव्रता के भूकम्प का क्षेत्र है तथा इसकी भूमि का 400 लाख हैक्टेयर (12 प्रतिशत क्षेत्रफल) बाढ़ ग्रस्त और नदी कटाव वाला क्षेत्र है। इसकी कुल 7,516 कि.मी. लंबी समुद्री तटरेखा में से 5,700 कि.मी. के लगभग भू-भाग में चक्रवातों और सुनामी की आशंका बनी रहती है। इसके कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल में से 68 प्रतिशत भाग सूखा-ग्रस्त है; और इसके पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और हिमस्खलन का जोखिम रहता है। इसके अतिरिक्त, भारत रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय संकट (सी.बी.आर.एन.) तथा अन्य मानव जनित आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील है। मायापुरी, नई दिल्ली में विकिरण से दुर्घटना और लेह में बादल फटने की घटना इन जोखिमों की हल्की सी याद दिलाती हैं कि यह देश ऐसी आपदाओं का शिकार हो सकता है।

1.2 भारत में आपदाओं की जोखिम, जनांकिकीय और सामाजिक-आर्थिक अवरथाओं में तेज गति से होने वाले बदलावों, अनियोजित नगरीकरण, उच्च जोखिम क्षेत्रों में विकास, पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन, भू-गर्भीय संकट, भौमिक खतरों, महामारियों और संक्रामक रोगों से संबद्ध बढ़ती संभावनाओं से और भी अधिक वृद्धि हुई है। स्पष्टतः इन सब बातों से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां आपदाएं भारत की अर्थव्यवस्था, इसकी आबादी और अनवरत विकास के लिए संकट बन जाती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उत्पत्ति

1.3 भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन एवं गुजरात भूकम्प के बाद 2001 में आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने के लिए तथा कारगर

प्रशमन तंत्र का सुझाव देने के लिए आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था। तथापि, हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने देश के विधायी इतिहास में एक ठोस कदम उठाया तथा भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र और समेकित कदम उठाने और उसे कार्य रूप देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संसदीय अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन

1.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को भारत सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। तत्पश्चात् 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया गया और 27 सितंबर, 2006 को इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संघटन

1.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और माननीय उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी विधायक हैं जिनके साथ आठ अन्य सदस्य हैं। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को केंद्रीय कबीना मंत्री का दर्जा प्राप्त है और प्राधिकरण के सदस्यों को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है।

1.6 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के वर्तमान सदस्य और उनके द्वारा एन.डी.एम.ए. में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निम्नानुसार हैं:

- क) श्री एम. शशिधर रेड्डी – 05 अक्टूबर, 2005
- ख) श्रीमती पी. ज्योति राव, सदस्य-14 अगस्त, 2006
- ग) श्री बी. मट्टाचार्जी, सदस्य – 21 अगस्त, 2006
- घ) श्री जे. के. सिन्हा, सदस्य – 18 अप्रैल, 2007

ड) मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल - 06 अक्टूबर, 2010

च) श्री टी. नंदकुमार- 08 अक्टूबर, 2010

छ) डॉ. मुजाफ्फर अहमद - 10 दिसंबर, 2010

ज) श्री के. एम. सिंह - 14 दिसंबर, 2011

झ) प्रो. हर्ष कुमार गुप्ता - 23 दिसंबर, 2011

1.7 श्री एम. शशिधर रेड्डी का 5 वर्ष का कार्यकाल 4 अक्टूबर, 2010 को पूरा हुआ और उन्हें 6 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य नामित किया गया। उन्होंने 11 अक्टूबर, 2010 को एन. डी.एम.ए. कार्यालय के सदस्य का कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात्, उन्हें 16 दिसंबर, 2010 को पदोन्नत करके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बना दिया गया।

विहंगावलोकन

1.8 विगत वर्षों में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रोकथाम, तैयारी और प्रशमन पर अधिक जोर देते हुए, राहत केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर समग्र दृष्टिकोण अपनाने के आमूलचूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने में सफल रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह रही है कि उसने आपदा-विनिर्दिष्ट, विषयक और अन्य विविध मुद्दों का समावेश करते हुए अनेक दिशानिर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दृष्टिकोण अनुरेखीय और उत्तरोत्तर सुधारों के स्थान पर ढांचागत सुधार और क्रमिक परिवर्तनों की दिशा पर केंद्रित रहा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य-क्षेत्र एक प्राधिकारी होने के बजाए एक सुविधा-प्रदाता का अधिक रहा है जिसके अंतर्गत उसने देश में समुत्थान शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में समर्थकारी वातावरण निर्मित

करने के लिए अन्य हितधारकों को अपनी सहायता प्रदान की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा पर कार्रवाई करने के लिए एक वास्तविक विशेषीकृत बल के रूप में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) को स्थापित करने के लिए अत्यावश्यक प्रोत्साहन भी प्रदान किया है तथा यह सुनिश्चित करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित और सुसज्जित हो।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सदस्यों के उत्तरदायित्व

1.9 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों को उनकी विषय-विशेषज्ञता के आधार पर आपदा-विनिर्दिष्ट कार्य-क्षेत्र सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सदस्यों को अपना कार्य करने के लिए विषय-विशेषज्ञों और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों का सहयोग प्रदान कराया गया है। ये कार्य-क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं०	सदस्य का नाम	कार्य क्षेत्र	आवंटित राज्य
1.	श्री बी. भट्टाचार्जी	(i) नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थितियाँ (ii) पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी (iii) आपदा प्रबंधन के लिए जी.आई.एस. आधारित सूचना प्रणाली (iv) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार (v) माइक्रोजोनेशन (vi) जलवायु परिवर्तन/भूमंडलीय ताप	(i) पश्चिम बंगाल, (ii) ओडिशा, (iii) अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह।
2.	श्री के. एम. सिंह	(i) एन.डी.आर.एफ. (ii) राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ.)	पूर्वोत्तर राज्य सिकिकम के साथ।
3.	श्रीमती पी. ज्योति राव	(i) सामुदायिक तत्परता (ii) शिक्षा पाठ्यचर्या (iii) राहत के न्यूनतम मानक	

क्रम सं०	सदस्य का नाम	कार्य क्षेत्र	आवंटित राज्य
4.	श्री टी. नन्दकुमार	(i) राष्ट्रीय नीति और योजनाएं (ii) सूखा (iii) जोखिम अंतरण (बीमा) (iv) आपदा जोखिम न्यूनीकरण (v) यू.एन. एजेन्सियों के साथ तालमेल (अन्य अंतरराष्ट्रीय/ द्विपक्षीय अभिकरण) (vi) नई पहलें	(i) बिहार, (ii) झारखंड, (iii) केरल, (iv) लक्षद्वीप।
5.	मेजर जन. (डॉ.) जे. के. बंसल (सेवानिवृत्त)	(i) सी.बी.आर.एन. (आतंकवाद पहलू) (ii) मनो-सामाजिक देखभाल	(i) मध्य प्रदेश, (ii) राजस्थान, (iii) छत्तीसगढ़।
6.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	(i) चिकित्सा संबंधी तैयारी (ii) रासायनिक औद्योगिक आपदा प्रबंधन (iii) सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन (सी.बी.डी.एम.) (iv) गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.)	(i) जम्मू और कश्मीर, (ii) आंध्र प्रदेश, (iii) तमिलनाडु, (iv) पुडुचेरी।
7.	प्रो. हर्ष के. गुप्ता	(i) भूकम्प और (ii) सुनामी	(i) उत्तर प्रदेश, (ii) महाराष्ट्र, (iii) गोवा।
8.	श्री जे. के. सिन्हा	(i) नागरिक सुरक्षा (ii) अग्निशमन सेवा (iii) घटना कार्रवाई प्रणाली (iv) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.), राष्ट्रीय बचत सेवा (एन.एस.एस.), नेहरू युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.) (v) कृत्रिम कवायद (मॉक ड्रिल)/अभ्यास	(i) कर्नाटक, (ii) गुजरात, (iii) दादर और नागर हवेली, (iv) दमन और दीव।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय

1.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित किया गया था। सचिवालय के अध्यक्ष सचिव होते हैं और उनके साथ पांच संयुक्त सचिव/सलाहकार होते हैं जिनमें से एक वित्तीय सलाहकार होता है। उसमें दस संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के) और चौदह सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) होते हैं और उनकी सहायता के

लिए स्टाफ होता है। आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट विषय है, अतः यह भी सुनिश्चित किया गया है कि विशेषज्ञों की विशेषज्ञता संविदात्मक आधार पर उपलब्ध हो। संगठन के काम में अनेक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भी सहायता प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संगठन की विस्तृत चर्चा 'प्रशासन एवं वित्त' नामक एक पृथक अध्याय में की गई है।

2

कार्यकलाप एवं उद्देश्य

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकलाप

2.1 भारत में आपदा प्रबंधन की शीर्ष संस्था के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व आपदाओं के बारे में समयबद्ध और कारगर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नीति, योजना और दिशानिर्देश निर्धारित करना है। इसके विधायी कार्यों में निम्नलिखित कार्य करने का उत्तरदायित्व भी सम्मिलित है:

- (क) आपदा प्रबंधन के विषय में नीतियां बनाना;
- (ख) राष्ट्रीय योजना को और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं को अनुमोदित करना;
- (ग) राज्य योजना बनाने के लिए राज्य प्राधिकारियों के पालन हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- (घ) आपदा निवारण के उपायों को समेकित करने तथा विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा के प्रभाव का प्रशमन करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपनाए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- (ङ) आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय करना;
- (च) आपदा प्रशमन के प्रयोजनार्थ धनराशि की व्यवस्था की सिफारिश करना;
- (छ) बड़ी आपदाओं से प्रभावित अन्य देशों को ऐसी सहायता सुलभ कराना जैसी केंद्रीय सरकार द्वारा तय की जाए;

- (ज) आपदा निवारण के लिए, अथवा आपदा के संकट की स्थिति से या आपदा से निपटने के लिए प्रशमन, अथवा तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए ऐसे अन्य कदम उठाना जो एन.डी.एम.ए. आवश्यक समझे;
- (झ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) के कामकाज के लिए व्यापक नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना;
- (ञ) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा से निपटने के लिए विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.) पर प्रमुख अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रखना;
- (ट) आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा में बचाव तथा राहत के लिए सामान या सामग्री की आपातकालीन प्राप्ति के लिए संबंधित विभाग या प्राधिकारी को प्राधिकृत करना;
- (ठ) आपदा प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करना।

2.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सभी प्रकार की आपदाओं से, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानव जनित, निपटने के लिए अधिदेश प्राप्त है। जबकि ऐसी अन्य आपातस्थितियों जिनमें सुरक्षा बलों तथा/अथवा आसूचना अधिकरणों का प्रबलता से संलिप्त होना अपेक्षित है जैसे आतंकवाद (बगावत के विरुद्ध कार्रवाई), कानून और व्यवस्था की स्थिति, क्रमिक बम विस्फोट, विमान अपहरण, विमान दुर्घटना, सी.बी.आर.एन. हथियार प्रणाली, खान आपदा, पत्तन और बंदरगाह आपातस्थिति, जंगल की आग, तेल क्षेत्र में आग और तेल बिखरने, से वर्तमान तंत्र अर्थात्

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एन.सी.एम.सी.) द्वारा निपटना जारी रहेगा।

2.3 तथापि, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश बनाएगा, प्रशिक्षण और तैयारी की गतिविधियों को सुकर बनाएगा। प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के लिए जैसे चिकित्सा तैयारी, मनो-सामाजिक देखभाल और ट्रॉमा, समुदाय आधारित आपदा तैयारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण तैयारी, जागरूकता अभियान चलाना आदि विविध विषयों पर संबंधित हितधारकों की भागीदारी में एन.डी.एम.ए. का भी ध्यान आकृष्ट करेगा। आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के

“आपदा प्रबंधन-रोकथाम, प्रशमन, तत्परता एवं कार्रवाई प्रेरित संस्कृति के माध्यम से समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा केंद्रित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति का विकास करते हुए, एक सुरक्षित तथा आपदा से निपटने में पूर्ण, सक्षम भारत का निर्माण करना शामिल है।”

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य

2.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

- (क) सभी स्तरों पर ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी और समुत्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना।
- (ख) प्रौद्योगिकी, पारंपरिक बुद्धिमत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण पर आधारित प्रशमन उपायों को प्रोत्साहित करना।
- (ग) आपदा प्रबंधन सरोकारों को विकासात्मक योजना में पूरी तरह शामिल करना।
- (घ) सक्षम नियामक वातावरण और एक अनुपालनात्मक व्यवस्था का सृजन करने लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकीय-विधिक ढांचों को स्थापित करना।
- (ङ) आपदा जोखिमों की पहचान, आकलन और अनुवीक्षण करने के लिए प्रभावी तंत्र सुनिश्चित करना।

पास उपलब्ध संसाधन, जो आपातकालीन सहायता कार्यकलाप के लिए सक्षम हैं, आसन्न आपदा/आपदाओं के समय आपातस्थिति से निपटने के लिए सभी स्तरों पर नोडल मंत्रालयों/अभिकरणों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दृष्टिक्षेत्र (विजन)

2.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिदेश से और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति से उत्पन्न दृष्टिक्षेत्र निम्न प्रकार है:

- (च) सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रत्युत्तरपूर्ण और बाधा-रहित संचार से युक्त समकालीन पूर्वानुमान एवं शीघ्र चेतावनी प्रणालियां विकसित करना।
- (छ) समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों के अनुकूल कारगर कार्रवाई और राहत सुनिश्चित करना।
- (ज) अधिक सुरक्षित ढंग से जीने के लिए आपदा-समुत्थानशील इमारतें खड़ी करने को एक अवसर के रूप में मानते हुए पुनर्निर्माण कार्य हाथ में लेना।
- (झ) आपदा प्रबंधन के लिए मीडिया के साथ उत्पादक और सक्रिय (प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव) सहभागिता को बढ़ावा देना।

3

उल्लेखनीय घटनाएं

प्रस्तावना

3.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ऐसे कार्यकलाप जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं। ये विशेष रूप से वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप, बड़ी आपदाओं के प्रति की गई कार्रवाई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उपलब्धियां और विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों के आगमन के संबंध में हैं।

माननीय प्रधानमंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की विशेष बैठक

3.2 माननीय प्रधानमंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 मार्च 2011 को जापान में तिहरी (ट्रिपल) आपदाओं (सुनामी और नाभिकीय आपातस्थिति के कारण आए भूकंप) के परिणामस्वरूप 1 जून, 2011 को देश में आपदा तत्परता की समीक्षा की। पूर्व में, माननीय प्रधानमंत्री ने देश में नाभिकीय सुविधाओं के संबंध में डी.ए.ई., ए.ई.आर.बी., बी.ए. आर. सी. और एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा आरंभ किए जा रहे सुरक्षोपायों की समीक्षा की और फुकुशिमा के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षोपायों का उन्नयन करने के लिए तथा 'बियोन्ड डिजाइन बेसिस एक्सीडेंट' पर ध्यान देने के लिए डी.ए.ई. और ए.ई.आर.बी. को निर्देश दिया था।

3.3 बैठक के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने यह बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थितियों से निपटने के लिए तत्परता (तैयारी) पर फोकस करता है। भारत में गत समय में किसी भी नाभिकीय सुविधा-केंद्र में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। तथापि, विकिरण आपातस्थितियों की घटनाएं होती रही हैं, जिनके अंतर्गत एक घटना वह भी है, जो अप्रैल, 2010 में मायापुरी नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। यह भी

सूचित किया गया है कि अधिकांश लावारिस (ऑर्फन) स्रोतों से विकिरण के उद्भासन के कारण इन घटनाओं में देश के विभिन्न भागों से केवल 50 लोग पीड़ित हुए हैं। यह भी रेखांकित किया गया है कि ये ऑर्फन स्रोत और अन्य विकिरणकीय दुर्घटनाएं ही हैं जो भारी चिंता का विषय हैं क्योंकि उनका परिणाम गत समय में कार्य के दौरान विभिन्न केंद्रों में लोगों को भिन्न-भिन्न मात्राओं में उद्भासन (एक्सपोजर) से प्रभावित होना रहा है।

3.4 मायापुरी की दुर्घटना के पश्चात् विकिरणकीय आपातस्थितियों के संबंध में, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से यह कहा गया था कि वह विकिरण आपातस्थितियों को रोकने, उसका पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए उपाय सुझाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशें अक्टूबर, 2010 में सचिवों की समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं। इन सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों के आधार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस प्रयोजन के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में अभिज्ञात किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से यह कहा गया था कि वह एक कार्य बल का गठन करे जो नाभिकीय और विकिरणकीय आपातस्थितियों से निपटने के लिए देश में वर्धित चिकित्सा तत्परता के लिए क्षमताओं के मूल्यांकन और कार्य योजना को सम्मिलित करते हुए एक खाका (रोड मैप) तैयार करे। उन्होंने देश में क्षमताओं के मूल्यांकन, विकिरण से होने वाली क्षतियों से बचाने के लिए मानव संसाधन विकास, पहले से मोर्चा संभालना (प्री-पोजिशनिंग), उन क्षेत्रों जिनमें उद्भासित होने की संभावना है, में त्वरित कार्रवाई चिकित्सा दल, जिलों में विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाना, छह मेट्रो और अन्य असुरक्षित जिलों के आसपास के क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अस्पतालों की कार्यप्रणाली को मजबूत करना, प्रत्येक जिले में एक अस्पताल का उन्नयन और सुसज्जित करने का काम,

देश के विभिन्न भागों में त्रिस्तरीय चिकित्सा प्रबंध और अनुसंधान के लिए विभिन्न केंद्रों के अतिरिक्त सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना, औषधियों और उपकरणों का अच्छा स्टॉक रखना, रोकथाम और संरक्षण के संबंध में चिकित्सा पदाधिकारियों और आम जनता के बीच

जागरूकता सृजन करना, मनो-सामाजिक देख-भाल, चालू अनुसंधान कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण और अन्य उपायों को शामिल करने वाली एक स्पष्ट कार्य योजना (रोड मैप) तैयार की है। माननीय प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन पर त्वरित (फास्ट ट्रैक) कार्रवाई की जाए।



माननीय प्रधानमंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डॉ. मनमोहन सिंह के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य

3.5 माननीय प्रधानमंत्री ने भूकंप और सुनामी के संबंध में की गई तैयारियों की भी समीक्षा की और इस संबंध में विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा की और यह इच्छा प्रकट की कि तैयार किए गए दिशानिर्देशों को केंद्र के मंत्रालय/विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा भी कार्य योजनाओं में परिवर्तित किया जाए और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस काम को सक्रिय रूप से जारी रखने का निर्देश दिया।

3.6 इस बैठक में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, श्री शरद पवार, माननीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से आए अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली में पूर्वी जापान के बड़े भूकंप की पहली बरशी पर पीड़ितों को याद करना

3.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मार्च, 2011 में तिहरी आपदा के तुरंत बाद, जब कभी जरूरत हो, जापान जाने की तैयारी में एन.डी.आर.एफ. के दो दलों को इकट्ठा किया। अंत में कमांडेंट श्री आलोक अवरथी के नेतृत्व में 46 सदस्यों वाला एक दल जापान के लिए रवाना हुआ और 7 अप्रैल, 2011 को



भारत लौटा। यह दल लापता व्यक्तियों को तलाशने, मलबे को हटाने और खोई हुई वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने में जापान के लिए अत्यधिक मददगार रहा।

3.8 जापान के महामहिम राजदूत सैकी ने 11 मार्च, 2012 को पूर्वी जापान के बड़े भूकंप की पहली बरसी पर, पीड़ितों को याद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी को भी आमंत्रित किया।

जापान में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल द्वारा खोज और बचाव कार्य

3.9 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के 46 सदस्यों का दल 11 मार्च, 2011 को जापान में आए सुनामी के कारण भूकंप की त्रासदी में खोज और बचाव कार्य का संचालन करने के लिए 27 मार्च, 2011 को कंटीजेंट कमांडर श्री आलोक अवस्थी, कमांडेंट, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के नेतृत्व में टोकियो के लिए रवाना हो गया। अभियान का सफलतापूर्वक कार्य करने के



पश्चात् यह दल 8 अप्रैल, 2011 को जापान से वापस लौटा। राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) का वर्ष 2006 में इसका प्रचालन शुरू होने के समय से उसका यह सबसे पहला विदेशी अभियान था।

3.10 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने उनागावा, जापान में समर्पण और पेशेवरपन के साथ कार्य किया। उन्होंने खोज और बचाव अभियानों के दौरान सात शव निकाले। उन शवों को बहुत सम्मान दिया गया और दल के सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा जिसकी जापान के लोगों ने अत्यधिक प्रशंसा की। इसके अतिरिक्त जापानी मुद्रा जो तीन करोड़ रूपए के

बराबर है और अन्य आमूषण तलाश किए गए और उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया।

3.11 अभियानों के पूरा हो जाने के पश्चात् जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरी और विदेश मंत्रालय के अन्य सदस्यों द्वारा एन.डी.आर.एफ. का स्वागत किया गया। भारत में जापान के राजदूत ने नई दिल्ली हवाई अड्डे पर जापान से उनके लौटने के पश्चात् इस टीम का स्वयं स्वागत किया था। इससे जापान में इस टीम के कार्य का महत्व और प्रशंसा स्पष्टतः नजर आती है।

आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच की बैठक

3.12 राज्य सभा के समापति (चेयरमैन) से परामर्श करके अध्यक्ष, लोक सभा ने आपदा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं की पहचान करने और उन पर चर्चा करने और अंतर्ग्रस्त विषयों की गंभीरता के बारे में संसद के सदस्यों को जागरूक बनाने के लिए उसकी जानकारी और ज्ञान से संसद के सदस्यों को अद्यतन करने और



इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के लिए, उन्हें समर्थ बनाने के लिए व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वाले, आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच का गठन किया है। डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य इस मंच के सदस्य-संचालक हैं।

3.13 आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच की एक बैठक डॉ. शशि थरूर, मंच के संचालक सदस्य की अध्यक्षता में संसद ज्ञानपीठ (पार्लियामेंट लाइब्रेरी) भवन नई दिल्ली के समिति कक्ष में 22 मार्च, 2012 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(एन.डी.एम.ए.) ने भारत में आपदा प्रबंधन के बारे में एक समग्र प्रस्तुति दी थी। उन्होंने आपदा प्रबंधन को विकास योजना से जोड़ने के मुद्दे का विशेष रूप से उल्लेख किया। श्री रेड्डी ने यह भी सूचित किया है कि बचाव और राहत केंद्रित दृष्टिकोण को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रोकथाम, तैयारी और प्रशमन सहित आपदा प्रबंधन के सभी चरणों को सम्मिलित करने वाले, एक समग्र दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तित करने के लिए कार्य कर रहा है।

3.14 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदाओं की बढ़ती हुई गंभीरता और बारंबारता की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एम.पी.एल.ए.डी.एस. दिशानिर्देशों में आपदा प्रशमन और तत्परता को सम्मिलित करने का भी सुझाव दिया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सुझावों से सहमत हो गया है और एम.पी.एल.ए.डी.एस. दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए 23 नवंबर, 2011 को सुधार परिपत्र संख्या 12 जारी किया है।

3.15 इन संशोधनों के चलते, अब सरकार ने एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अधीन प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त मानव जनित आपदाओं को सम्मिलित करने के लिए आपदा प्रबंधन के अधीन नुकसानों की पूर्ति हेतु निधिपोषण को अनुमति दे दी है। प्राकृतिक आपदाओं के अधीन कार्य-क्षेत्र का भी बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तूफान और सूखा, जिन्हें पहले सम्मिलित कर लिया गया था, के अतिरिक्त आग, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना, जीव नाशक (पेस्ट) आक्रमण और भू-स्खलनों को सम्मिलित करने के लिए विस्तार किया गया है। अब तक ऐसे कार्य आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में ही किए जा सकें हैं। अब संशोधित दिशानिर्देश उन क्षेत्रों में भी कार्यों के कार्यान्वयन को अनुमत करते हैं, जो आपदा प्रवण हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एम.पी.एल.ए.डी.एस. का अब प्रशमन कार्यों को आरंभ करने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है।

3.16 मानव जनित आपदाओं के सम्मिलित किए जाने के साथ एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अधीन परियोजनाएं अब आग, रासायनिक, जैविक और विकिरणकीय खतरों जैसी आपदाओं से संभावित क्षेत्र या उनसे

प्रभावित क्षेत्रों में भी आरंभ की जा सकती हैं।

3.17 पूर्व में, दिशानिर्देशों के अधीन सामान्य आश्रय स्थल (कॉमन शेल्टर्स) केवल वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्मित किए जा सकते थे। संशोधित दिशानिर्देश संसद सदस्यों के लिए यह संभव बनाते हैं कि वे सभी चक्रवात और बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए आश्रयों का निर्माण कार्य आरंभ करवाएं। इसके अतिरिक्त, अब दिशानिर्देश किसी संकट में आश्रयों के रूप में आवश्यक महत्वपूर्ण भवनों अर्थात् सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों, लोक भवनों की पुनः मरम्मत कराने के लिए अनुमति देते हैं। संशोधित दिशानिर्देश प्रभावी आपदा प्रशमन के लिए शीघ्र चेतावनी प्रणाली के लिए कार्य आरंभ करने के लिए भी अनुमति देते हैं।

3.18 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोक सभा और राज्य सभा के सभी संसद सदस्यों को उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण विषयों (क्रिटिकल इटरवेशंस) की पहचान करने के लिए पत्र लिखा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिला मजिस्ट्रेटों को भी लिखा है कि वे इस संबंध में स्थानीय संसद सदस्य के साथ जिला खतरा असुरक्षितता मानचित्र और जिला आपदा प्रबंधन योजना में साझेदारी करें, इस बाबत अपने जिले में संसद सदस्य को सुग्राही बनाएं और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रभावी रूप से इस स्कीम का प्रयोग करने में उनकी सहायता करें।

श्री मनीष गुप्ता, माननीय योजना और विकास मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार की उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ 21 जून, 2011 को हुई बैठक

3.19 श्री मनीष गुप्ता, माननीय योजना और विकास मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, ने 21 जून, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यालय में आए। श्री मनीष गुप्ता ने पश्चिम बंगाल में आपदा प्रबंधन के लिए चुनौतियों और पहलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श किया। श्री रेड्डी ने बेहतर आपदा

तत्परता के लिए और विकास प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन को जोड़ने के लिए राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

3.20 श्री रेड्डी ने यह भी सूचित किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पश्चिम बंगाल के तीन चक्रवात संभावित तटीय जिलों अर्थात् दक्षिणी 24 परगना, उत्तरी 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से वित्त पोषित 138.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 50 बहुप्रयोजनीय चक्रवात आश्रयों का निर्माण कर रहा है।

3.21 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ, जिसे 35 चक्रवात शेल्टरों, 20 उत्तरी चौबीस परगना में और 15 शेल्टर पूर्वी मेदिनीपुर में, का निर्माण कार्य सौंपा गया है और मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन, लिमिटेड, कोलकाता जो दक्षिणी 24 परगना का 15 चक्रवात शेल्टर में निर्माण कर रहा है, के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुप्रयोजनीय चक्रवात आश्रय होने के कारण, इनका सामान्य समयावधियों के दौरान अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।



3.22 एन.सी.आर.एम.पी. परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के योजना-मूल्यांकन दस्तावेज अर्थात् 150 चक्रवात शेल्टरों के निर्माण का निवेश प्रस्ताव, जिसके अंतर्गत 617.98 करोड़ रुपए की कुल लागत पर बने पहुंच मार्ग भी हैं, शीघ्र मूल्यांकन के लिए अनुरोध करते हुए विश्व बैंक को भेजे जा रहे हैं ताकि

पश्चिम बंगाल यथासंभव जल्द से जल्द इस परियोजना में शामिल हो सके।

श्री थिरुवंचूर राधाकृष्णन, माननीय राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री, केरल सरकार की उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक

3.23 श्री थिरुवंचूर राधाकृष्णन, माननीय राजस्व और आपदा मंत्री, केरल सरकार ने 21 जून, 2011 को श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मुलाकात की और केरल में आपदा प्रबंधन के लिए चुनौतियों तथा पहलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री राधाकृष्णन ने आपदा राहत निधि मानदंडों के अधीन प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की रकम में वृद्धि करने के मुद्दे को उठाया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि सांप के काटने से हुई मौतों, जो केरल में मानसून के सीजन के दौरान आम बात होती हैं, आपदा राहत निधि मानदंडों के अधीन परिवारों को किसी अनुग्रह पूर्वक सहायता के भुगतान के लिए भी पात्र बनाई जानी चाहिए।

3.24 पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल को राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना के चरण-II में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। श्री रेड्डी ने यह सूचित किया कि राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रशमन परियोजना के तहत 220 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 9 तटीय जिलों में 40 चक्रवात शेल्टरों के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव मूल्यांकन (अप्रेजल) के लिए विश्व बैंक को भेजा गया था।



3.25 श्री राधाकृष्णन ने उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह जानकारी दी कि केरल सरकार ने विश्व बैंक द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण भेज दिए हैं। श्री रेड्डी ने यह सूचित किया कि विश्व बैंक को भेजे जाने के लिए उनकी समीक्षा की जा रही है।

3.26 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कोजीकोडे तथा कन्नूर में तीन बहुप्रयोजनीय चक्रवात शेल्टरों का निर्माण करने के लिए कार्रवाई कर रही है जिनमें तीन चक्रवात शेल्टरों की अनुमानित 4.87 करोड़ रुपये की कुल लागत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में से वित्तपोषित की गई है।

जम्मू और कश्मीर में आपदा तैयारी और कार्य योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला

3.27 भूकंप क्षेत्र IV एवं V में, संपूर्ण श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, बड़गाम और क्षेत्र V में स्थित पुलवामा जिलों में होने वाले भूकंपों के प्रति जम्मू और कश्मीर राज्य अत्यंत संवेदनशील है। राज्य सरकार को भूकम्पों के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहना चाहिए। यह खास तौर पर अधिक महत्वपूर्ण है चूंकि भूकम्प बिना किसी पूर्व चेतावनी के आते हैं। तैयारी के महत्व का उल्लेख करने के लिए, 28 जुलाई, 2011 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में आपदा के प्रति तैयारी और कार्य योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया था।

3.28 श्री रेड्डी ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं के साथ आगे आए। उन्होंने राज्य सरकार से यह भी कहा कि वह राज्य में राज्य आपदा कार्रवाई बल स्थापित करें ताकि आपदाओं से निपटने के लिए बहुत कम समय में ही स्थानीय रूप से आपदा कार्रवाई बल को शीघ्र लगाया जा सके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल द्वारा राज्य आपदा कार्रवाई बल को प्रशिक्षित करने की सभी सहायता प्रदान करने की पेशकश की है और राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्य को सभी सहयोग और सहायता का

आश्वासन दिया है। जम्मू और कश्मीर के दो जिले नामतः लेह एवं कुपवाड़ा, भी प्रदर्शनात्मक स्कूल सुरक्षा परियोजना में सम्मिलित किए गए हैं।

3.29 श्री उमर अब्दुल्ला, माननीय मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. मुजफ्फर अहमद और श्री टी. नंदकुमार, उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, अनेक विभागों एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अधिकारी तथा आई.एम.डी., एन.आर.एस. सी., एस.ए.एस.ई. एवं अन्य संगठनों से विशेषज्ञों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

19 अगस्त, 2011 को हुए नाभिकीय आपातस्थिति ऑफ-साइट योजना पर कृत्रिम अभ्यास के बारे में समीक्षा-बैठक

3.30 जापानी अनुभव के परिणामस्वरूप आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय तैयारी की समीक्षा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) की विशेष बैठक के पश्चात्, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश के छह राज्यों में सभी नाभिकीय सुविधाओं को शामिल करने के लिए विशेष कृत्रिम अभ्यास संचालित करने का कार्य आरंभ किया। दो मासों में छह राज्यों अर्थात् तारापुर (महाराष्ट्र), कलपक्कम (तमिलनाडु), नरोरा (उत्तर प्रदेश), कैंगा (कर्नाटक), ककरापार (गुजरात) और रावतभाटा, चितौड़गढ़ जिला (राजस्थान) में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कृत्रिम अभ्यास किए गए। अब तक किए गए अभ्यास उन संयंत्र प्राधिकारियों एवं विद्यमान ऑफ-साइट आपातस्थिति योजना में खामियों की पहचान करने में संबंधित राज्य/जिला हितधारकों के लिए अत्यंत लाभदायक पाए गए जिन्होंने हमें सभी हितधारकों की भूमि का तथा जिम्मेदारियों को रेखांकित करने के अतिरिक्त उनको सम्मिलित करने के लिए तथा ऑफ-साइट आपातस्थिति योजना को क्रियान्वित करने में जिला प्रशासन की भूमिकाओं के बारे में स्पष्टता प्रकट करने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए एक अवसर प्रदान किया।

3.31 कृत्रिम अभ्यासों की समाप्ति पर, सीखे गए सबकों और इन स्थलों/क्षेत्रों की भौगोलिक दशाओं

पर आधारित नाभिकीय आपातस्थितियों के लिए व्यापक ऑफ-साइट योजनाएं तैयार करने पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में हुई बैठक में इन कृत्रिम अभ्यासों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी जिन्होंने इन अभ्यासों में भाग लिया ने इस समीक्षा बैठक के दौरान अपने कुछ अनुभवों को बांटते हुए कहा कि नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के इर्दगिर्द आपातस्थिति विद्युत क्षेत्र (ई.पी.जेड.) के 16 कि.मी. के दायरे में रह रहे लोगों की विकासात्मक अपेक्षाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

3.32 एन.डी.एम.ए. ने उन छह जिलों के कलक्टरों से 15 दिन के भीतर विकासात्मक योजनाओं को तैयार करने का अनुरोध किया जहां ये सुविधाएं विशिष्टतया सड़क संपर्कता, ग्रामों को बिजली आपूर्ति, सामान्य चिकित्सा सुविधाएं, जागरूकता सृजन, संपूर्ण पुनर्वास, सड़कों की मरम्मत/निर्माण/ चौड़ा करने के लिए और सुरक्षित निकास आदि के लिए व्हीकल टर्निंग पैड के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनापत्ति आदि अवस्थित हैं। जिला कलक्टरों से यह भी कहा गया था कि वे आपातस्थिति विद्युत क्षेत्र (ई.पी.जेड.) में रोजगार और आजीविका के रास्ते उत्पन्न करने के लिए योजना तैयार करें। इन क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं नाभिकीय संकट की अनचाही दशा में तैयारी के बारे में नाभिकीय सुविधाओं के आसपास रह रहे लोगों के दिमाग में आत्मविश्वास पैदा करने में अधिक समय तक सहायक रहेंगी।

3.33 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विद्यमान ऑफ-साइट आपातस्थिति योजनाओं का पुनरीक्षण करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का भी गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. भट्टाचार्य, सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण होंगे और इसमें निदेशक, बी.ए.आर.सी., अध्यक्ष ए.ई.आर.बी., सी.एम.डी., एन.पी.सी.आई.एल. तथा अन्य सम्मिलित होंगे। ऑफ-साइट आपातस्थिति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कृत्रिम अभ्यास संचालित करने के लिए मैनुअल तैयार करने हेतु एक अन्य समिति का भी गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष श्री जे. के. सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा

प्रबंधन प्राधिकरण, होंगे, जिसमें साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य संगठनों से इस क्षेत्र के विशेषज्ञ/सुविज्ञ होंगे।

3.34 यह देखा गया है कि कैंगा और रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र के आसपास के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इंकार करने वाले डाक्टरों की एक समस्या आती है। एन.डी.एम.ए. ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आग्रह किया कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देकर इन सुदूर क्षेत्रों के अस्पतालों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संभावना पर गहन कार्य करें। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा वरदान होगा जो इन क्षेत्रों में और इनके आसपास रह रहे हैं।

3.35 एन.डी.एम.ए. ने लोगों को शिक्षित बनाने के लिए सतत रूप से में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के लिए भी आह्वान किया और एन.पी.सी.आई.एल. के अधिकारियों से यह भी आह्वान किया कि वे उस तरीके में पारदर्शिता सुनिश्चित करें जिसमें संयंत्र चलाए जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रबंध तथा जापानी एन्सिफाइलाइटिस (जे.ई.) / एन्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिंड्रोम (ए.ई.एस.) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप/पहल कार्य

3.36 उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक आवर्ती आपदा है। बाढ़ पर बने राष्ट्रीय आयोग के अनुसार, भारत का 23 प्रतिशत बाढ़ संभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण हुए कुल नुकसानों में से, 60 प्रतिशत नुकसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आने का इतिहास एक काले अध्याय के समान है। पीढ़ियों से, बाढ़ ने नियमित रूप से बार-बार आकर, इस क्षेत्र के निवासियों के जीवन तथा आजीविका को उजाड़ दिया है।

6 अगस्त, 2011 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में बाढ़ पूर्व चेतावनी रूप रेखा पर कार्यशाला

3.37 बाढ़ तथा स्वास्थ्य संबद्ध समस्याओं के प्रति क्षेत्र की अति संवेदनशीलता की ओर ध्यान देते हुए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के समन्वय से एन. डी.

एम. ए. ने 6 अगस्त, 2011 को गोरखपुर में, आजमगढ़, बस्ती, देवी पाटन तथा गोरखपुर प्रभागों पर फोकस करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में एक कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन. डी. एम. ए. द्वारा किया गया था। यह कार्यक्रम देशव्यापी स्तर पर की गई पहल का एक भाग था जिसे एन. डी. एम. ए. ने आपदा अतिसंवेदनशीलता के दृष्टिकोण से नाजुक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए और जानमाल की हानि को कम से करने के लिए राज्यों तथा अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी में प्रशमन उपायों को आरंभ करने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यशाला का फोकस मुख्यतः निम्नलिखित मुद्दों पर है:-

- बाढ़ पूर्व चेतावनी की उन्नत रूपरेखा।
- नागरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी प्रायोगिक परियोजना।
- जापानी एन्सिफाइलाइटिस से संबंधित विषय।

3.38 वर्तमान प्रवृत्तियां यह दर्शाती हैं कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक बाढ़ संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिसका परिणाम जीवन तथा आजीविका का भारी नुकसान होता है। इस विपत्ति पर काबू पाने के लिए इस आपदा के प्रति प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की बजाय बाढ़ प्रबंधन में अधिक सक्रिय तरीके को अपनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से वैज्ञानिकों ने तथा केंद्रीय जल आयोग से इंजीनियरों ने बाढ़ का पूर्व अनुमान



तथा पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा बाढ़ मॉडलिंग के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। कार्रवाई तंत्र के बारे में प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल द्वारा घटना कार्रवाई प्रणाली पर एक प्रस्तुति और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था।

3.39 यह पहली बार हुआ था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे पैमाने पर बाढ़ के प्रति तत्परता और प्रशमन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। एन.डी.एम.ए. की ओर से हुई इस पहल का राज्य के अधिकारियों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई। इस पहल का जन



प्रतिनिधियों तथा जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों द्वारा भी बहुत स्वागत किया गया था जिन्हें उपाध्यक्ष, एन. डी.एम.ए. के साथ बातचीत करने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।

3.40 स्वास्थ्य के मुद्दे पर, जापानी एन्सिफाइलाइटिस की महामारी से मुकाबला करने के लिए, निगरानी, टीकाकरण तथा जन जागृति कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। देशव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। गत पांच वर्षों में, संपूर्ण देश में प्रतिवर्ष औसत 760 मौतों के मुकाबले में अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 550 मौतें प्रति वर्ष हुई हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर यह पूर्वी उत्तर प्रदेश ही है जिसमें मृत्यु की संख्या अधिकतम है। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर तथा संत कबीर नगर जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एन.डी.एम.ए. ने निदेशक, राष्ट्रीय रोग वाहक जनित (वेक्टर बॉर्न) रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से

आए प्रतिनिधियों के साथ जापानी एन्सिफाइलाइटिस कार्यक्रम की समीक्षा की।

3.41 इस कार्यशाला की एक अन्य अद्भुत विशेषता, 5 अगस्त अपराह्न में बांदा के इर्दगिर्द 40 कि.मी. तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा क्षेत्रीय दौरा करना था जहाँ उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। 6 अगस्त प्रातःकाल में, उन्होंने निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन से आए प्रतिनिधियों के साथ बी.डी.आर. चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल का दौरा किया और जापानी एन्सिफाइलाइटिस के रोगियों के साथ बातचीत की और जापानी एन्सिफाइलाइटिस और एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम मामलों के उपचार के लिए अस्पताल में अवसंरचना का पुनरीक्षण किया था।

3.42 चूँकि समुदाय प्रथम कार्रवाईकर्ता होता है, इसलिए आपदा प्रबंधन पहलों में समुदाय जन प्रतिनिधियों तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना को शामिल करने की आवश्यकता भी महसूस की गई थी। गोरखपुर में नागरिक सुरक्षा संगठन को मजबूत करने तथा जमीनी स्तर पर जागृति उत्पन्न करने हेतु स्वयंसेवकों में पुनः ओजस्वी बनाने और आगे प्रशिक्षित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई है। इस संगठन को अंगीकृत करने के लिए अन्य जिलों को प्रेरित करने का लक्ष्य था।

3.43 सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभागों से आए अधिकारियों के साथ प्रधान सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया था। आजमगढ़, बस्ती, देवी पाटन तथा गोरखपुर से आए आयुक्तों ने अपने-अपने जिला मजिस्ट्रेटों के साथ उनके विनिर्दिष्ट क्षेत्राधिकारों की चुनौतियों एवं अति-संवेदनशीलताओं पर चर्चा की थी।

जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की बैठक

3.44 एन.डी.एम.ए. द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी

एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम को रोकने एवं नियंत्रण करने के लिए की गई पहलों की जानकारी देने के लिए, श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. तथा डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, एन.डी.एम.ए. सितंबर, 2011 में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्रवाई आरंभ करने की बाबत मुद्दे एवं एक पृथक राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी इस कार्यक्रम में चर्चा की गई थी।

मंत्रियों के समूह का गठन

3.45 एन.डी.एम.ए. ने समस्या/बीमारी के बोझ की चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम की रोकथाम और नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उपायों/सिफारिशों का सुझाव देने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया जिसमें देश के भीतर जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए व्यापक बहुप्रयोजनीय योजना के लिए विभिन्न मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास परियोजना शामिल हैं। इसके बाद विभिन्न पहलों पर डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, एन.डी.एम.ए. एवं सचिव तथा महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के बीच 18 अक्टूबर, 2011 को लखनऊ में जापानी एन्सिफाइलाइटिस और जापानी एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपायों पर एक समीक्षा-बैठक हुई थी जो लखनऊ में जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम के प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन किए जाने के लिए आवश्यक हैं।

3.46 आरंभ में मंत्रियों के समूह के गठन का अनुमोदन प्रधानमंत्री द्वारा 4 नवंबर, 2011 को कर दिया गया था और इसमें पांच केंद्रीय मंत्रियों अर्थात् गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्री, श्री कमल नाथ, शहरी विकास मंत्री, श्री मुकुल वासनिक, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, श्री जयराम रमेश, ग्रामीण विकास एवं पेय जल तथा स्वच्छता मंत्री एवं श्रीमती कृष्णा तीरथ, महिला तथा बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सम्मिलित थे। मंत्रियों का समूह जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम से निपटने के लिए बहु प्रयोजनीय रणनीति तैयार करेगा एवं उसका सुझाव देगा।

3.47 माननीय प्रधानमंत्री ने भी जापानी एन्सिफाइलाइटिस और एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम के मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह को आमंत्रित करने के लिए एक विशेष आमंत्रित की रूप में श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. को सम्मिलित किए जाने का अनुमोदन किया। इस आशय का एक ज्ञापन मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा 15 दिसंबर, 2011 को जारी किया गया है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामाजिक लामबंदी अभियान

3.48 पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सिफाइलाइटिस, एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम को रोकने एवं

नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय इस क्षेत्र में विगत में पहले ही आरंभ किए जा चुके थे। तथापि, इसका बहुत कम भी प्रभाव नहीं हुआ था। एन.डी.एम.ए. ने चार मंडलों अर्थात् गोरखपुर, बस्ती आजमगढ़ एवं देवीपाटन में 14 जिलों में कार्रवाई करने के लिए "हर परिवार लड़ेगा आपदा से" नारे के साथ एक सामाजिक लामबंदी अभियान प्रारंभ किया।

3.49 गोरखपुर जिले के लिए मास्टर प्रशिक्षकों के लिए सामाजिक लामबंदी पर पहली कार्यशाला 22 और 23 नवंबर, 2011 को बी.आर.डी. मेडिकल कालेज में आयोजित की गई। बाद में, इसके बाद, पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखीमपुर खीरी के सभी जिला मुख्यालयों में मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का काम हुआ। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/गैर सरकारी संगठनों आदि हेतु ब्लॉक स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण संचालित किया।

3.50 इस अभियान के भाग के रूप में, खंड स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अध्यापक के अतिरिक्त 4000 मास्टर एवं एक लाख प्रशिक्षक, जिनमें ए.एन.एम., प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), राज्य स्वास्थ्य कर्मी जैसे स्वास्थ्य कर्मी सम्मिलित थे, को प्रशिक्षित किया गया था। जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम के नियंत्रण एवं निवारण के लिए लोगों द्वारा अपनी स्वयं की सहायता हेतु किए जाने वाले उपायों के बारे में जन जागृति लाने के लिए ये लोग इन 14 जिलों में हर घर में पहुंचे।

3.51 जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम के निवारण और नियंत्रण के लिए एन.डी.एम.ए. द्वारा अपनाए गए बहुप्रयोजनीय दृष्टिकोण निम्नानुसार संक्षिप्त किया गया है -

- (क) प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण द्वारा स्वास्थ्य स्टाफ का क्षमता निर्माण एवं मास्टर प्रशिक्षकों के पूल का सृजन।
- (ख) निवारक तथा निगरानी उपायों पर राज्य सरकार स्वास्थ्य तंत्र को समर्थन।
- (ग) समुदाय स्तर पर जागृति पैदा करना।

- (घ) बेहतर स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए व्यापक लामबंदी एवं सामाजिक जागृति अभियान।
- (ङ) मामले की शीघ्र रिपोर्ट करना तथा प्रतिरक्षण।

3.52 जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम की बाबत राज्य में विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य स्टाफ के क्षमता निर्माण संबंधित प्रशिक्षण को सुकर बनाने के लिए एन.डी.एम.ए. ने राज्य का समर्थन किया है। एन.डी.एम.ए. ने समुदाय स्तर पर जागृति पैदा करने एवं सुग्राहीकरण के लिए जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम संबंधी रोकथाम तथा नियंत्रण उपायों से संबंधित **“क्या करें और क्या न करें”** पर महत्वपूर्ण जानकारी वाले इस्तहारों, पत्रकों तथा पैम्फलेटों के रूप में सुसंगत आई.ई.सी. सामग्री तैयार की। यह जागृति सामग्री भिन्न-भिन्न जिलों में भेजी गई थी और स्थानीय स्वास्थ्य मशीनरी द्वारा इसका लोगों के मध्य प्रसार किया गया था।

3.53 सामाजिक लामबंदी अभियान की अति

महत्वपूर्ण विशेषता इसका किफायती होना था। प्रति जिला मात्र 5 लाख रु. की राशि से इस सामाजिक लामबंदी अभियान ने जापानी एन्सिफाइलाइटिस/एक्यूट एन्सिफाइलाइटिस सिन्ड्रोम की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए **“क्या करें और क्या न करें”** के बारे में संबंधित जिलों में काफी जागृति उत्पन्न की थी।

सिक्किम में भूकंप

3.54 18 सितंबर, 2011 को नेपाल-सिक्किम सीमा के निकट पूर्वी नेपाल में तीव्र भूकंप आया। इस भूकंप के कारण, अन्य अवसंरचना को नुकसान होने के अलावा, बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई थी।

3.55 श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 22 सितंबर, 2011 को भूकम्प विध्वंसित सिक्किम, में माननीय गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम के साथ दौरे पर गए। माननीय गृह मंत्री ने उत्तरी सिक्किम तथा राज्य के अन्य भागों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने उन रोगियों से मिलने के लिए सिक्किम मणिपाल अस्पताल का दौरा किया जिनका वहां उपचार चल रहा था।



गंगटोक में एस.टी.एन.एम. अस्पताल में दौरे के दौरान भूकंप में आहत व्यक्ति के साथ दिख रहे माननीय प्रधानमंत्री और अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ-साथ श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

3.56 श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, एन. डी.एम.ए. दिनांक 29 सितंबर, 2011 को सिक्किम के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ गए। माननीय प्रधानमंत्री ने पूर्वी सिक्किम तथा राज्य के अन्य भागों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने उन रोगियों से मिलने हेतु सिक्किम मणिपाल अस्पताल का दौरा किया जिनका वहां उपचार चल रहा था।

3.57 बाढ़ में, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, विधान सभा सदस्यों, राज्य सरकार प्रशासन, सेना, एन.डी.आर.एफ. तथा अन्य सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों के साथ लिबिंग छावनी के कटोच हाल में बैठक हुई थी। माननीय उपाध्यक्ष, ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इस बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने भूकंप से हुए विनाश पर खेद व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना दी। उन्होंने सिक्किम में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल द्वारा किए गए कार्य की सराहना की।

3.58 माननीय प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की और आश्वासन दिया कि भारत सरकार तथा संपूर्ण राष्ट्र संकट की इस घड़ी में सिक्किम के लोगों का साथ देगा।

3.59 माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि एक विशेषज्ञ दल अवसंरचना का पुनर्निर्माण करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए सिक्किम का दौरा करेगा। 18 सितंबर, 2011 को आए भूकंप, जिसका मुख्य केंद्र सिक्किम नेपाल सीमा के इर्दगिर्द था, द्वारा प्रभावित क्षेत्रों, पश्चिम भूकंप सर्वेक्षण करने के लिए एन.डी.एम.ए. ने एक राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति गठित की है। विशेषज्ञ समिति सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार के प्रभावित क्षेत्रों की व्यवस्था करेगी। दल शीघ्र ही सिक्किम का दौरा करेगा।

28 सितंबर, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का 7वां स्थापना दिवस

3.60 भारत को आपदा समुत्थानशील बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 सितंबर, 2011 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन

में अपना सातवां स्थापना दिवस मनाया। 28 सितंबर, 2005 को देश के शासन में आपदा प्रबंधन को मुख्य स्थान देने के लिए नींव रखी गई थी। आपदा प्रबंधन सरोकार विकासत्मक प्रक्रिया में संस्थागत किए जाते हैं और कार्यसूची राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर शीर्ष योजना निकायों में प्रतिबिंबित किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सृजन ऐसे प्रयासों में से एक प्रयास है।



3.61 इस अवसर पर, एन.डी.एम.ए. ने यह सूचित किया कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि आबटित कर दी है और यह शीघ्र ही अपना कार्य करना आरंभ कर देगा।

3.62 तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री स्व. श्री विलास राव देशमुख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के न्यूज लेटर का विमोचन किया और एन.डी.एम.ए. की पूर्व एवं वर्तमान टीम द्वारा किए गए कार्य को सराहा। उन्होंने एन.डी.एम.ए. द्वारा अब तक जारी किए गए दिशानिर्देशों की भी प्रशंसा की और स्थानीय स्तर पर इन दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एन.डी.एम.ए. के निकट सहयोग के साथ कार्य करेगा।

3.63 इस अवसर पर, गृह राज्यमंत्री गुल्लापैल्ली रामाचन्द्रन ने एन.डी.एम.ए. के बिल्डिंग इमरजेंसी प्लान का अनावरण किया। श्री रामाचन्द्रन ने प्राधिकरण के भूतपूर्व उपाध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की और भविष्य में एन.डी.एम.ए. को सभी सहायता का आश्वासन दिया।

जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 12 अक्टूबर, 2011

3.64 इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज आफ इंडिया ने हैदराबाद में 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, 2011 तक जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, श्री एम. शशिधर रेड्डी ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित बढ़ती हुई असुरक्षितताओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हमें तीव्र गति से विकास करने की आवश्यकता है जिसके लिए ऊर्जा (विद्युत) एक अभिन्न इनपुट बनी रहती है। अपनी आधे से अधिक



विद्युत क्षमता के लिए भारत की कोयला पर निर्भरता ऊर्जा सुरक्षा के लिए अधिक चिंता का विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत आशयित आर्थिक विकास दर को पूरा करने के लिए वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की खोज कर रहा है चूंकि ये अक्षय और कार्बन रहित होंगे।



बाल अधिकार सुरक्षा पर चतुर्थ दक्षिण-दक्षिण नागरिक आधारित विकास आकादमी नई दिल्ली 28-30 नवम्बर 2011

3.65 अखिल भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 28-30 नवंबर, 2011 के दौरान नई दिल्ली में बाल अधिकार सुरक्षा पर चतुर्थ दक्षिण-दक्षिण नागरिक वर्ग आधारित विकास अकादमी का आयोजन किया। सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु 'बाल अधिकारों की सुरक्षा सी.बी.ओ. और बाल सुरक्षा अधिकारों के संवर्धन के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण में रत संस्थान' पर केंद्रित थी। इस अवसर पर श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भाषण दिया और बाल अधिकारों के लिए ए.आई.डी.एम.आई. के अभियानों और अन्य पहलों की सराहना की।

दिल्ली सरकार के विधायकों के लिए सुग्राहीकरण कार्यशाला, 22 दिसंबर, 2011

3.66 श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों तक आपदा प्रबंधन का संदेश ले जाकर जन जागरुकता पैदा करने में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए दिल्ली से आए विधायकों से मिले। श्री रेड्डी ने दिल्ली के



विधायकों का इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि दिल्ली भूकंपीय जोन 4 के अंतर्गत आती है और इसलिए भूकंप के बारे में जागरुकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पहली बार है कि दिल्ली के विधान सभा सदस्यों के लिए सुग्राहीकरण कार्यशाला का आयोजन विधान सभा में किया गया था। श्रीमती शीला दीक्षित,

माननीय मुख्य मंत्री ने, जो मुख्य अतिथि थीं, कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री योगानंद शास्त्री, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, डॉ. ए.के. वालिया, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री, श्री पी.के. त्रिपाठी मुख्य सचिव, और श्री विजय देव, सचिव, राजस्व ने भी लोगों को संबोधित किया।

3.67 दिल्ली एक विशाल शहर है और राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण उसका अपना महत्त्व है। पूर्वी दिल्ली शहर का सघन आबादी वाला भाग है जिसमें 37000 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. से अधिक का जनसंख्या घनत्व है और चांदनी चौक जैसे कुछ स्थानों में और अधिक घनत्व होगा। लोगों को असुरक्षित भवनों के निर्माण करने के खतरे के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। भवन कोड, उप विधियां और नियम भी हैं। लेकिन हमें उनके महत्त्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है।

3.68 दिल्ली में बाढ़ आने की अत्यधिक संभावना भी रहती है और श्री रेड्डी ने यह स्पष्ट किया कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला व्यापक दस्तावेज लाया है। बाढ़ से निपटने के लिए, पर्याप्त संख्या में वर्षा मापी (गेज) और तत्काल अनुवीक्षण आवश्यक है। इस शहर को, जो 1400 कि. मी. से अधिक में फैला हुआ है, लगभग 370 वर्षा मापी (गेजों) की आवश्यकता है जबकि अब तक केवल लगभग 50 गज प्राप्त करने का प्रस्ताव है। एन.डी.एम. ए. ने नगर पालिका प्राधिकारियों से कहा कि वे पालम वायुपत्तन में हाल ही में संस्थापित डोपलर मौसम राडार से संयोजित इस नेटवर्क को स्थापित करने के लिए उपाय करें; इनका संयोजन बाढ़ को नियंत्रण करने में बहुत लाभदायक होगा।

3.69 एन.डी.एम.ए. ने मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के चार-पांच वर्षों में आपदा से निपटने के प्रति दिल्ली को भली-भाँति तत्पर बनाने के विचार का स्वागत किया और इस प्रशंसनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार को सभी सहायता और मदद प्रदान करने की पेशकश की है। एन.डी.एम.ए.ने भी आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन एवं दिल्ली पुलिस के बीच बेहतर समन्वय के विषय पर गृह मंत्रालय से चर्चा करने का प्रस्ताव किया।

उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने आई.आई.एस-विश्वविद्यालय, जयपुर का दौरा किया।

3.70 17 जनवरी, 2012 को आई.आई.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगोष्ठी में संबोधन करते हुए, श्री एम. शशिधर



रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधिक जागरूकता सृजन के लिए आह्वान किया जो सफल आपदा प्रबंधन की कुंजी होगी। भूकंपों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि प्रायः उचित भवन कोडों का भवन निर्माण कार्य में पालन नहीं किया जाता है। इसलिए यह केवल भूकंप ही नहीं, बल्कि क्वालिटी निर्माण के घटिया मानक भी होते हैं जिसके कारण भवन ढह जाते हैं।

3.71 राजस्थान के बाड़मेर जिले में वर्ष 2006 में आई बाढ़ का हवाला देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि यह तीन दिन की अवधि तक हुई 575 मि.मी. वर्षा के कारण था जबकि औसत वार्षिक वर्षा 277 मि.मी. थी। वर्ष 2005 में मुंबई में आई बाढ़ 24 घंटे की अवधि में 944 मि.मी. वर्षा के कारण थी। ये निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के आविर्भाव के कुछ कारण हैं।



रक्षा अध्ययन' और विश्लेषण संस्थान (आई.डी. एस.ए.) का उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा

3.72 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नाभिकीय दुर्घटनाओं, विकिरणकीय आतंकवाद, सामरिक नाभिकीय हथियारों का गैर-कानूनी प्रयोग जैसी विभिन्न प्रकार की आपातस्थितियों के लिए तैयारी करता रहा है, ऐसा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान तथा भारतीय पुगवाश सोसाइटी द्वारा 20 जनवरी, 2012 को संयुक्त रूप से मेजबानी में "भारत में नाभिकीय आपदा प्रबंधन : क्षमताएं और नियंत्रण" पर अपनी वार्ता में श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा।

3.73 श्री रेड्डी ने कहा कि भारतीय जनता को विभिन्न नाभिकीय और साथ ही विकिरणकीय आपातस्थितियों, जो उत्पन्न हो सकती हैं, के प्रति सुग्राही किए जाने की आवश्यकता है, इसका उल्लेख करते हुए कि राष्ट्रीय राजधानी में रिपोर्ट की गई मायापुरी दुर्घटना के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे। उन्होंने नाभिकीय विद्युत क्षेत्रों में औद्योगिक दुर्घटनाओं पर टीका-टिप्पणी भी की थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 0.04 प्रतिशत तक है।

3.74 रक्षा और सुरक्षा के मुद्दों पर भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का पिछला रिकॉर्ड (ट्रैक रिकॉर्ड) सराहनीय रहा है। उन्होंने कहा कि तथापि, फुकुशिमा दुर्घटना ने लोक सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सबक भारत को प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण त्रिस्तरीय योजना पर परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के साथ संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है जिसमें 1.6 कि.मी. अनन्य (एक्सक्लूशन) जोन, 5 कि. मी. निषेध (स्ट्राइल) जोन और 16 कि.मी. योजना जोन हैं। विकिरण रिसाव संबंधी पारदर्शिता लोक विन्ताओं का समाधान करने के लिए सर्वोपरि है। फुकुशिमा के पश्चात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण वर्धित तैयारी की ओर दृष्टि डाल रहा है। किसी नाभिकीय आपातस्थिति के सफल प्रशमन के लिए, जिला और राज्य स्तरीय प्राधिकरणों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे कारगर ढंग से मिलकर कार्य करें।

कैंगा नाभिकीय संयंत्र के ईदगिर्द परिवारों के पुनर्वास के लिए अवसंरचना का विकास — 25 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में श्री सीताराम येचुरी के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल के साथ बातचीत

3.75 श्री सीताराम येचुरी, संसद सदस्य तथा सी.पी. एम. पोलित ब्यूरो के सदस्य के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने श्री रेड्डी से मुलाकात की और कैंगा नाभिकीय संयंत्र के आसपास 5 कि.मी. के घेरे में आने वाले 5 गांवों के लोगों के पुनर्वास के लिए मांग के साथ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। श्री रेड्डी ने स्पष्ट किया कि 1.6 कि.मी. जीवाणुहीन (स्ट्राइल) जोन में रह रहे लोगों को पुनर्वासित किया गया है और पांच कि.मी. के दायरे में आने वाले अपवर्जन जोन में, विकास पर प्रतिबंध लगाए गए हैं किंतु लोगों को सामान्यतः पुनर्वासित नहीं किया जाता है। श्री रेड्डी ने स्पष्ट किया कि माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों पर वर्धित तैयारी के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

3.76 शिष्टमंडल को यह भी आश्वासन दिया गया कि जहां तक नाभिकीय सुविधाओं की सुरक्षा संबंधी मुद्दे का संबंध है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री रेड्डी ने कहा, "हम वित्तपोषण में किसी कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए साधनों पर ध्यान देने से पूर्व भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों और स्कीमों से निधियां प्राप्त करने पर ध्यान देंगे।" इस पर भविष्य में योजना आयोग के साथ भी बातचीत की जा सकती है। श्री रेड्डी ने महसूस किया कि उस क्षेत्र के लोग निश्चित



ही स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आजीविका अवसरों के अतिरिक्त बेहतर अवसरचना सुविधाओं के लिए हकदार हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि ऐसे गांवों को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्राप्त होना चाहिए और लोगों का अन्ततोगत्वा बेहतर जीवन होना चाहिए।

3.77 श्री सीताराम येचुरी, संसद सदस्य ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना की और आशा की कि इसका परिणाम बेहतर सुविधाएं सृजित करना होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि यदि उचित विकास किया जाता है तो लोग पुनर्वास के लिए नहीं कहेंगे।



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 27 जनवरी, 2012 को श्री आनंद वसंत असनोतिकर के नेतृत्व में शिष्टमंडल के साथ चर्चा

3.78 श्री आनंद वसंत असनोतिकर, माननीय मत्स्य पालन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री, कर्नाटक सरकार ने कैगा नाभिकीय संयंत्र शिष्टमंडल के साथ श्री एम. शशिधर रेड्डी माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से मुलाकात की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) भवन में 27 जनवरी, 2012 को कैगा नाभिकीय संयंत्र के ईदगिर्द अवसरचना के विकास के संबंध में चर्चा की।

भूकम्पोत्तर सर्वेक्षण दल की बैठक

3.79 माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकारों को उनकी अवसरचना को पुनर्निमित करने में सहायता करने के लिए का.ज्ञा. सं. 5-71/2011-प्रश. दिनांक 27.9.2011 और का.ज्ञा. सं. 5-83/2011 प्रश. दिनांक

04.11.2011 के द्वारा सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए भूकंप पश्चात् सर्वेक्षण दल का गठन किया है। आई.आई.टी. से विशेषज्ञ तथा अन्य पेशेवर इंजीनियर, वास्तुकार और भूविज्ञानी से मिलकर बने इन दलों ने अक्टूबर और नवंबर, 2011 के दौरान सिक्किम और उत्तरी पश्चिम बंगाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया।

3.80 सिक्किम और उत्तर पश्चिम बंगाल पर पी.ई. आर.टी. सर्वेक्षण रिपोर्टें 8 फरवरी, 2012 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तुत की गईं। सिक्किम के लिए पी.ई.आर.टी. के सदस्यों के निष्कर्षों के अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं -

- (i) वैज्ञानिक और व्यवस्थित भूकंप क्षति निर्धारण की आवश्यकता।
- (ii) मध्यवर्ती (इंटरमीडियट) शेल्टर्स और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए रणनीतियां।
- (iii) विद्यमान संरचनाओं और बौद्ध मठों की भूकंपीय दृष्टि से पुनः मरम्मत।
- (iv) भावी विकास के लिए दिशानिर्देश।
- (v) पश्च-भूकंप प्रबंधन; और
- (vi) पश्च-भूकंप विस्तृत अन्वेषण।

3.81 इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल के लिए, निम्नलिखित विषयों के अंतर्गत आने वाले निष्कर्ष -


- (i) भूस्खलन जोखिम प्रशमन मुद्दों का समाधान।
- (ii) वैज्ञानिक रूप से मजबूत भूकम्पोत्तर क्षति निर्धारण।
- (iii) महत्वपूर्ण भवनों की भूकंपीय दृष्टि से पुनः मरम्मत और
- (iv) भूकंप रोधी निर्माण तकनीकियों में निर्माण क्षेत्र से संबंधित लोगों का प्रशिक्षण।

3.82 पी.ई.आर.टी. के निष्कर्षों से उत्पन्न होने वाली

सिफारिशों का सार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्र सं. 5-71/2011-प्रश. दिनांक 13 मार्च, 2012 द्वारा सभी संबद्ध जिनके अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय, सिविकम तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारें भी शामिल हैं, को परिचालित किया गया।

दिल्ली में भूकंप से बचने के लिए तैयारी पर मेगा मॉक ड्रिल

3.83 भूकंप से बचने की तैयारी पर एक मेगा मॉक ड्रिल (बड़ी कृत्रिम कवायद) 15 फरवरी, 2012 को दिल्ली के सभी नौ जिलों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निकट सहयोग तथा मार्गदर्शन से डी. डी.एम.ए. द्वारा संचालित की गई जो भारत में किया



गया ऐसा सबसे पहला बड़ा प्रयास है। दिल्ली, जो राष्ट्रीय राजधानी है, भूकंपीय जोन-4 में स्थित है और इस प्रकार इसकी संवेदनशीलता (असुरक्षितता) भारी चिंता का विषय रहा है। जबकि साधारणतया देश ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है जो किसी पूर्व चेतावनी के साथ आती हैं, भूकंपों की भांति बिना किसी पूर्व चेतावनी के तीव्र गति से आने वाली आपदाओं का घटना देश में न केवल हमारे लिए बल्कि विश्व में कहीं पर भी चुनौती है।

3.84 मेगा मॉक ड्रिल दिनांक 1 जून, 2011 को प्रधानमंत्री की विशेष बैठक के पश्चात् किए गए प्रयासों का परिणाम है। इसका दिल्ली में पूर्व तीन मासों के दौरान आपदा तैयारी अभियान शानदार समापन रहा है। स्थानीय तथा राज्य स्तरीय जिनमें स्कूल, महाविद्यालय, आर.डब्ल्यू.ए. मेट्रो स्टेशन, माल, सिनेमा माल, पेट्रोल पंप, स्टेशन आदि भी हैं, दोनों में भिन्न-भिन्न क्रियाकलाप संचालित किए गए थे।



3.85 इसके अतिरिक्त, पहली बार, 22 दिसंबर, 2011 को दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों के लिए एक सुग्राहीकरण और विषय-अनुकूलन कार्यशाला संचालित की गई थी। एक ऐसी ही कार्यशाला 8 फरवरी, 2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए भी आयोजित की गई थी। इन प्रयासों की प्रत्येक संबंधित व्यक्ति द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई थी।

3.86 इस मेगा ड्रिल के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भूकंपों पर विनिर्दिष्ट बल देने के साथ आपदाओं के प्रति दिल्ली की असुरक्षितता के बारे में अधिक जन जागरूकता पैदा करना और लोगों द्वारा भूकंप आने की दशा में स्वयं को, अपने परिवारों तथा समुदाय को बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय करना और ऐसी जागरूकता उत्पन्न करना कि वह भूकंप नहीं होता है जो मार देता है बल्कि यह भवन होते हैं जो ढह जाते हैं और जिनका परिणाम चोट लगना तथा मृत्यु होती है और इस प्रकार, उन सुरक्षित भवनों का निर्माण करने का महत्त्व है जिनमें भूकंप रोधी मानदंडों का अनुपालन होता है। दूसरा



उद्देश्य राज्य तथा जिला स्तरों पर विभिन्न अभिकरणों की कार्रवाई क्षमताओं का परीक्षण करना तथा उनमें कमियों की पहचान करना था।

3.87 ऐसे लोगों की वास्तविक संख्या से अधिक लोगों को जागरूक किया गया जिन्होंने इस प्रकार की सबसे पहली ड्रिल में वास्तविक रूप से भाग लिया; तथ्य यह है कि संपूर्ण जनसंख्या को दिल्ली की असुरक्षितता के बारे में जानकारी दी गई थी और तैयारी की आवश्यकता बड़ी संतुष्टि का विषय है। यह वास्तव में, पहला कदम है और हमारा विश्वास है कि अगले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली के लोग अधिक संख्या में भाग लेंगे और आखिरकार दिल्ली को आपदा के प्रति बेहतर रूप से तैयार करेंगे।

3.88 महत्वपूर्ण विकास घटनाक्रम/सीखे गए सबकों में कुछ निम्नानुसार हैं :-

- (i) दिल्ली आपदा कार्रवाई बल की स्थापना।
- (ii) राज्य तथा जिला स्तर पर अच्छी संख्या में आधुनिक आपातकालीन प्रचालन केंद्रों की आवश्यकता।
- (iii) सभी हितधारकों के लिए उभयनिष्ठ संचार प्रणाली।
- (iv) अति आधुनिक उपस्कर तथा संसाधनों की व्यवस्थित मालसूची।
- (v) पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंसों की आवश्यकता।
- (vi) वर्धित तैयारी के लिए लोगों की अधिक जन जागरूकता तथा सुग्राहीकरण।

3.89 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डी.डी.एम.ए. के निकट सहयोग से अब चिकित्सा तैयारी के सभी पहलुओं पर मुख्य रूप से फोकस करने के लिए दिल्ली आपात अभ्यास (डीईएमईएक्स) के लिए योजना बना रहा है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मैडागास्कर से सात सदस्यीय शासकीय शिष्टमंडल का दौरा

3.90 28 फरवरी, 2012 को श्री रजाकानेयवो मैमी नरीना, आपदा रोकथाम तथा आपातकालीन प्रबंधन एकक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कार्यालय, (सी.पी.जी.यू.) मैडागास्कर की अध्यक्षता में मैडागास्कर से भारत आए सात सदस्यीय शासकीय शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दौरा किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी ने शिष्टमंडल को जानकारी दी कि भारत ने चक्रवात, बाढ़ और सुनामी जैसे आपदाओं से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपनी तैयारी में अत्यधिक सुधार किया है।

3.91 श्री रेड्डी ने आई.एन.सी.ओ.आई.एस., हैदराबाद स्थित भारतीय महासागर सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना का उल्लेख किया जो 2004 की सुनामी के पश्चात् 2007 में स्थापित एक अति आधुनिक सुविधा है। आई.एन.सी.ओ.आई.एस. द्वारा की गई भविष्यवाणी की सटीकता को विश्वव्यापी सराहना मिली है।

3.92 मैडागास्कर से आया शिष्टमंडल चक्रवातों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय अनुभव से सीखने हेतु अध्ययन दौरे पर था। यह दौरा दक्षिण-दक्षिण सहयोग रूपरेखा के अंतर्गत आयोजित किया गया था और विश्व बैंक के माध्यम से जी.एफ. डी.आर.आर. का भाग था, जो जलवायु जोखिम तथा आपदा विषय को आर्थिक विकास की में मुख्य स्थान देने के लिए मैडागास्कर में वित्तपोषित कार्यक्रम है।



4

नीति, योजनाएं और दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति

4.1 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (18 जनवरी, 2010 को जारी) आपदाओं के तत्काल प्रबंधन के संबंध में पूर्ववर्ती कार्रवाई केंद्रित दृष्टिकोण के स्थान पर रोकथाम, तैयारी और प्रशमन के तरीके पर बल देते हुए आपदा के समग्र प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूलचूल परिवर्तन को दर्शाती है। यह नीति दस्तावेज सहभागिता की प्रक्रिया द्वारा तैयार किया गया है तथा इसमें विभिन्न हितधारकों के विस्तृत सुसंगत सुझावों और सिफारिशों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति की मुख्य बातें

4.2 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति में तीव्रता से कार्य करने में समर्थ बनाने वाला इस प्रकार का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया जिसे राजनीतिक निकाय द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है। जो इस प्रकार की आपदाओं से, जिनसे अतीत में भारी जान-माल की क्षति हुई, तथा समाज की आर्थिक आधारशिला डगमगा गई, निपटने में एक भिन्न दृष्टिकोण का शुभारंभ होना घोषित करती है। इसमें इस तथ्य को समझना भी इंगित है कि आपदाएं केवल आर्थिक और विकासात्मक वृद्धि को ही अवरुद्ध नहीं करती बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के वातावरण को भी गंभीरता से प्रभावित करती हैं।

4.3 इस नीति दस्तावेज की केंद्रीय विषय-वस्तु का यह विश्वास होना है कि एक ऐसा आपदा समुत्थानशील समाज, जिसमें एक नवसृजित आपदा प्रबंधन संरचना मौजूद हो जो अनेक क्षेत्रों में तालमेल के साथ काम कर सके, राष्ट्रीय दूरदृष्टि (विज्ञान) साकार करने में सहायक होगा। एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण आपदा प्रबंधन की दिशा में विकसित होगा जिसमें विभिन्न स्तरों पर रणनीतिपरक सहभागिता निर्मित करने पर जोर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति को समाविष्ट करने

वाली विषय-वस्तु निम्न प्रकार हैं :-

- (i) समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन जिसके अंतर्गत नीति, योजनाओं और निष्पादन का लाभ सबके लिए शामिल हो (लास्ट माइल इंटीग्रेशन)।
- (ii) सभी क्षेत्रों में क्षमता का विकास।
- (iii) विगत पहलों और सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का समेकन।
- (iv) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर अभिकरणों का सहयोग।
- (v) बहु-क्षेत्रीय तालमेल।

4.4 इस नीति दस्तावेज में संस्थागत, कानूनी और वित्तीय व्यवस्थाएं, आपदा रोकथाम, प्रशमन और तैयारी, प्रौद्योगिकीय-विधिक व्यवस्था, कार्रवाई, राहत और पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्बहाली क्षमता विकास, ज्ञान प्रबंधन और शोध तथा विकास भी शामिल। इसमें उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहां कार्रवाई आवश्यक है तथा उस संस्थागत तंत्र पर भी ध्यान केंद्रित है जिसके माध्यम से ऐसी कार्रवाई की जा सकती है।

4.5 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का उद्देश्य सामुदायिक संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.), स्थानीय निकायों और सिविल सोसाइटी की संलिप्तता के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति एक ऐसा आधारभूत दस्तावेज है जिस पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर दिशानिर्देश एवं योजनाएं आधारित होंगी।

राष्ट्रीय योजना

4.6 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड 11 में प्रावधान है कि 'संपूर्ण देश के लिए आपदा प्रबंधन के

लिए राष्ट्रीय योजना नामक एक योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए और राज्य सरकारों तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ निकायों या संगठनों के परामर्श से तैयार की जाएगी जिसका राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। एन.डी.एम.ए. और एन.ई.सी. में विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय योजना निम्नलिखित तीन खंडों में होगी:-

- राष्ट्रीय कार्रवाई योजना जिसका विस्तार सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संबद्ध अभिकरणों तक होगा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की आपदाएं शामिल होंगी, यह गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की जाएगी। इस योजना को तैयार करने के लिए एन.ई.सी. द्वारा गृह मंत्रालय में एक अंतर मंत्रालयीन केंद्रीय दल पहले ही गठित किया जा चुका है।
- प्रशमन और तैयारी की योजना विनिर्दिष्ट आपदाओं को शामिल करते हुए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा तैयार की जाएगी।
- राष्ट्रीय मानव संसाधन तथा क्षमता निर्माण योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें अनेक सेक्टरों/प्रसंग आधारित विषयों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जरूरतों का समाधान किया जाएगा।

4.7 इन योजनाओं को बनाने के लिए दिशानिर्देश और प्ररूपों (फॉर्मेट) पर एन.डी.एम.ए. में विचार विमर्श किया गया तथा उन्हें गृह मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों एवं एन.आई.डी.एम. को अग्रेषित कर दिया जाएगा।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

4.8 राज्य सरकारें राज्य और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सुसंगत आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंध 1 अगस्त, 2007 से प्रवृत्त हैं। सभी 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में खबर है कि उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित कर लिए हैं। कुछ राज्यों में, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का गठन कार्य पूरा नहीं हुआ है।

राज्य आपदा प्रबंध योजनाएं (एस.डी.एम.पी.)

4.9 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड 23 के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जिला प्रबंधन योजना तैयार की जानी अपेक्षित है। राज्य योजना राज्य कार्यकारिणी समिति (एस.ई.सी.) द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर तथा स्थानीय प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों और जन प्रतिनिधियों से ऐसा परामर्श करके जो राज्य कार्यकारिणी समिति ठीक समझे, तैयार की जाएगी। राज्य योजना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस.डी.एम.ए.) द्वारा अनुमोदित की जाएगी। उसकी हर वर्ष समीक्षा की जाएगी और उसे अद्यतन किया जाएगा। एन.डी.एम.ए. ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खण्ड 6 (2) (घ) के अनुसार जुलाई, 2007 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए। एन.डी.एम.ए. ने पूरी सक्रियता से कार्रवाई करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीचे दर्शाए गए रूप में उनकी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए वित्त वर्ष 2009-2010 में वित्तीय सहायता सुलभ कराने के लिए "आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने की स्कीम" की युक्ति बनाई:-

श्रेणी I (10,62,500 /-रुपए की सहायता)	श्रेणी II (8,62,500 /-रुपए की सहायता)
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, पुडुचेरी	छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप

4.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर नियमित रूप से संपर्क बनाए रखे हुए है तथा नियमित कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों और वीडियो सम्मेलनों के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी पर सलाह दे रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं की तैयारी विभिन्न चरणों पर हैं।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला

4.11 राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 28-29 जून, 2011 को आयोजित की गई थी। इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. द्वारा किया गया।

4.12 श्री एम. शशिधर रेड्डी माननीय उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. ने कहा कि आपदा प्रबंधन योजनाएं अत्यावश्यक (लिविंग) दस्तावेज हैं, जिनके लिए सतत सुधार और नवाचार अपेक्षित होंगे क्योंकि राज्य विभिन्न आपदाओं से निपटना जारी रखेंगे। वह एन.डी.एम.ए. भवन, नई दिल्ली में राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी विभिन्न चरणों में हैं।

4.13 कार्यशाला का उद्देश्य राज्य आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में भाग लेने के लिए राज्यों को अवसर देना तथा विकासशील कार्रवाई योग्य राज्य आपदा प्रबंधन योजना में एक दूसरे से विचारों का आदान

प्रदान करना तथा तकनीकी जानकारी हासिल करना था।

4.14 श्री रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने राष्ट्रीय कार्रवाई योजना, राष्ट्रीय प्रशमन योजना और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण योजना के लिए तीन समितियां गठित की हैं। राज्य योजनाओं में योजना निर्माण प्रक्रिया में इन मुद्दों पर भी विचार किया जाना चाहिए। राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को अन्ततः इसी रूप में बनाया जाना होगा। विभिन्न आपदाओं विषयक एन.डी.एम.ए. दिशानिर्देशों और विविध विषयों द्वारा राज्यों को सर्वोत्तम संभव रूप में उनकी योजनाएं तैयार करने में मार्गदर्शन किया जाना चाहिए।

4.15 उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी हितधारकों को इन योजनाओं को तैयार करने में अपनी भूमिका अवश्य निभानी चाहिए तथा प्रक्रिया को संस्था के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सभी राज्यों के लिए अपनी राज्य आपदा प्रबंधन योजना प्रस्तुत करने के लिए 2011 के अंत तक का समय तय किया गया है। इसके अलावा जिला और नगर आपदा प्रबंधन योजनाएं उचित समयावधि में तैयार की जाएंगी।

4.16 कार्यशाला में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और पश्चिम बंगाल द्वारा की गई प्रस्तुतियां अपनाई गईं और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के अन्य पहलुओं के बाद विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियां की गईं। इसके पश्चात् निर्बन्ध परिचर्चा (ओपन फोरम डिस्क्शन) हुई ताकि राज्य अपनी राय साझा हासिल कर सकें।

4.17 राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला के पहले दिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों, एन.डी.एम.ए. के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और परामर्शदाताओं, यू.एन.डी.पी. और यू.एन.डी.एम. से विशेषज्ञों ने तथा अन्य वरिष्ठ आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों ने भाग लिया।



तारीख 27 अक्टूबर, 2011 को प्रस्तुत की गई 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु आपदा प्रबंधन पर कार्य दल की रिपोर्ट


4.18 योजना आयोग, भारत सरकार ने अपने आदेश सं. एम.12016/03/2011-पी.ए.एम.डी. तारीख 6 अप्रैल, 2011 के द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की तैयारी के भाग के रूप में, "आपदा प्रबंधन" पर एक कार्य दल गठित किया। विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित था-

- (i) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के उपबंधों की दृष्टि से संरचनाओं की बहुलता से बचने के लिए आपदा प्रबंधन पर वर्तमान संस्थागत संरचना को सुचारु बनाने के उपायों की सिफारिश करना;
- (ii) केंद्र और राज्य स्तरों पर तथा प्राइवेट क्षेत्र में आपदा जोखिम कम करने, तैयारी और प्रशमन की दिशा में, मानव जनित और प्राकृतिक आपदा, दोनों के बारे में आपदा प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। आपदा जोखिम में कमी

और प्रबंधन रूपरेखा में बहु-संकट तैयारी और प्रशमन उपायों को समाविष्ट करना;

- (iii) आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए अर्थोपायों का पता लगाना;
- (iv) आपदा प्रबंधन में सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा समाज की सहभागिता (विशेष रूप से स्त्रियों, स्कूल के विकलांग बालकों पर ध्यान केंद्रित करके) प्रोत्साहित करने के लिए एक दिशानिर्देश और नीति बनाना;
- (v) केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों/परियोजनाओं में समाहित करने के लिए आपदा प्रबंधन संबद्ध सरोकारों के समेकन कार्य का आकलन करना;
- (vi) केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रशमन के लिए क्षमता निर्माण के कार्यक्रम सुझाना जिसमें शिक्षा संस्थाओं को केंद्र बिंदु में रखकर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए;
- (vii) विशेष कर, राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि स्थापित करने के संबंध में वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ प्राथमिक क्षेत्रों और परियोजनाओं की पहचान करना जो 12वीं योजना की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के माध्यम से, समेकित ढंग से, चलाई जाएं; तथा
- (viii) जानकारी बांटने, जानकारी के प्रचार प्रसार और सार्वजनिक जागरुकता बढ़ाने के लिए नीतिगत उपायों एवं कार्यक्रम का सुझाव देना ।

4.19 कार्य दल ने जब आठ विचारार्थ विषयों में से प्रत्येक पर विचार करने के लिए पांच उप दल बनाए। एन.डी.एम.ए. के तत्कालीन सचिव डॉ. नूर मोहम्मद की अध्यक्षता में प्रथम उप दल ने उपर्युक्त मद (i) और



(ii) के मुद्दों की जांच पड़ताल की; श्री आर. सी. झा, तत्कालीन सदस्य (आर.एम.), सी. डब्ल्यू.सी. और अब अध्यक्ष सी. डब्ल्यू. सी. की अध्यक्षता में दूसरे उप दल ने मद (iii) के मुद्दों की जांच पड़ताल की, सुश्री जानकी अंधारिया, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, जमशेद जी सेन्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की अध्यक्षता में तीसरे उप दल ने मद (iv) के मुद्दों की जांच-पड़ताल की, श्री अनिल सिन्हा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में चौथे उप दल ने मद (vi) और (viii) के मुद्दों की जांच-पड़ताल की, कार्यदल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में पांचवें उप दल ने मद (v) और (vii) के मुद्दों की जांच-पड़ताल की। कार्य दल की रिपोर्ट योजना आयोग को 27 अक्टूबर, 2011 को पेश की गई।


4.20 उस रिपोर्ट में हाल की भूमंडलीय घटनाओं के संदर्भ में भारत के परिवर्तनशील संकटग्रस्त स्वरूप पर ध्यान दिया गया है तथा इस पर भी ध्यान दिया गया है कि सुरक्षित कल के लिए आज निवेश जरूरी है। उसमें इस बात को भी प्रधानता से अंकित किया गया है कि राहत और पुनर्वास की अपेक्षा निवारण और

प्रशमन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा लाभप्रद निवेश हैं। तथापि, किसी आपदा की घटना के बाद राहत और पुनर्वास कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट में इस पर बल दिया गया है कि महत्वपूर्ण केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में आपदा जोखिम न्यूनीकरण लाने को शामिल करना कारगर प्रशमन के लिए आवश्यक है। विशेषकर शीघ्र चेतावनी प्रणालियां स्थापित करने के लिए कारगर आपदा प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत को भी प्रधानता से उजागर किया गया है।

दिशानिर्देश

4.21 उद्देश्यों को योजनाओं में रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न (प्रशासनिक, अकादमिक, वैज्ञानिक और तकनीकी) संस्थाओं की मदद से, जो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर काम कर रही हैं, अनेक प्रयासों को शामिल करते हुए मिशन-आधारित दृष्टिकोण टकोण ढंग अपनाया है। नीति के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों को अन्य सभी हितधारकों के अलावा, दिशानिर्देश बनाने में शामिल किया गया है।

दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया



चित्र 4.1

ये दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट आपदाओं और प्रसंगों पर आधारित होंगे (जैसे क्षमता विकास और जन जागरूकता) जो योजनाओं की तैयारी का आधार बनेंगे। इन दिशानिर्देशों की तैयारी में विषय की जटिलता पर निर्भर करते हुए 12 से 18 मास का न्यूनतम समय लगा। दिशानिर्देश बनाने में अपनाये गए दृष्टिकोण में भागीदारों के साथ सहभागिता और परामर्श प्रक्रिया के नौ चरण शामिल हैं, जैसाकि पिछले पृष्ठ पर चित्र 4.1 में दर्शाया गया है।

4.22 इस प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:-

- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं आदि सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा अब तक किए गए कार्यों/उपायों के आपदावार किए गए अध्ययनों की त्वरित समीक्षा।
- प्रचालनात्मक, प्रशासनिक, वित्तीय और विधिक मुद्दों से संबंधित शेष कार्यों की पहचान।
- गंतव्य कार्य योजना तैयार करना, जिसमें सुगम मानीटर करने को सुकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उचित प्रकार से दर्शाया गया हो।
- उद्देश्यों और लक्ष्यों के रूप में, अल्पावधि एवं दीर्घावधि में गंतव्य की पहचान जिनकी विधिवत् प्राथमिकता महत्वपूर्ण, अनिवार्य और ऐच्छिक रूप में दर्शाकर हासिल की जाएं।
- चार महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं अर्थात् क्या किया जाना है? किस प्रकार किया जाना है? कौन करेगा? और कब तक किया जाना है?
- एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए, जो इस कार्य योजना के प्रचालन की देखभाल करे।

वर्ष 2011-12 के दौरान तैयार और जारी किए गए दिशानिर्देश तथा अन्य रिपोर्टें

4.23 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट

की अवधि के दौरान निम्नलिखित दिशानिर्देश और रिपोर्टें जारी की हैं :-

- राष्ट्रीय शहरी बाढ़ प्रबंधन दिशानिर्देश का राज्य लोकार्पण-14 अप्रैल, 2011।
- सूचना और संचार प्रणाली के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (एन.डी.एम.आई.सी.एस.)।

राष्ट्रीय शहरी बाढ़ प्रबंधन दिशानिर्देश का राज्य लोकार्पण

4.24 अहमदाबाद में तारीख 14 अप्रैल, 2011 को "भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माण विषयक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन-सीखे गए सबक और आगामी मार्ग" के उद्घाटन सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एन.डी.एम.ए. द्वारा बनाए गए और हाल में दिल्ली में जारी किए गए शहरी बाढ़ प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश का राज्य लोकार्पण किया। श्री रेड्डी ने कहा कि "शहरी बाढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में आई नदी की बाढ़ से काफी भिन्न है।" उन्होंने बताया कि एन.डी.एम.ए. ने पहली बार शहरी बाढ़ को बाढ़ों से अलग करके एक पृथक आपदा के रूप में इस पर विचार किया। शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन पर समग्र रूप से दृष्टिपात् के लिए भारत में तैयार किया गया प्रथम दस्तावेज है जिसमें प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं को प्रधानता दी गई है। श्री नरेन्द्र मोदी ने इस पहल के लिए एन.डी.एम.ए. को बधाई दी।

सूचना और संचार प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (एन.डी.एम.आई.सी.एस.) का लोकार्पण

4.25 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार एन.डी.एम.ए. को विभिन्न मुद्दों पर दिशानिर्देश तैयार करने का अधिदेश प्राप्त है। अब तक एन.डी.एम.ए. विभिन्न आपदा विनिर्दिष्ट विषयों तथा विविध विषयों पर 16 दिशानिर्देश तैयार कर चुका है। भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग तथा राज्य सरकारों को अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करनी चाहिए। एन.डी.एम.ए. ने राज्य आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाने के लिए राज्यों को धन सुलभ कराया है। एन.डी.एम.ए. द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जो सभी हितधारकों

समेत सहभागी दृष्टिकोण से तैयार किए गए हैं, पर आधारित राष्ट्रीय और राज्य योजनाएं तत्परता से तैयार की जानी चाहिए।



4.26 श्री सचिन पायलट, माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने एन.डी.एम.ए. भवन, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली में तारीख 15 फरवरी, 2012 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रणाली आपदा प्रबंधन (एन.डी.एम.आई.सी.एस.) विषयक राष्ट्रीय दिशानिर्देश का लोकार्पण किया।



4.27 अपने संबोधन में, श्री पायलट ने इन दिशानिर्देशों को प्रकाशित करने के लिए एन.डी.एम.ए. के प्रयासों की सराहना की। श्री पायलट ने इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि ये दिशानिर्देश देश में हर कोने तक लोगों के पास उनकी स्थानीय भाषा में पहुंचने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आपदा प्रबंधन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण समावेशी और प्रकृति से समग्र होनी चाहिए। “भारत को प्राकृतिक और मानव जनित, दोनों प्रकार की आपदाओं के परिणामों से निपटने के लिए

अधिक तैयार रहने की जरूरत है।” इसके लिए उन्होंने मॉक ड्रिल का आयोजन करने के लिए एन.डी.एम.ए. के प्रयासों की सराहना की और कहा कि बेहतर तैयारी और जागरूकता के लिए अधिकाधिक मॉक ड्रिल आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि “मॉक ड्रिलें हमारे रोजमर्रा के जीवन (रूटीन) का अंग होनी चाहिए”।

4.28 इस अवसर पर बोलते हुए श्री एम. शशिधर रेड्डी माननीय उपाध्यक्ष एन.डी.एम.ए. ने बलपूर्वक कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए समग्र दृष्टिकोण के अनुसार “प्रतिबद्ध अचूक संचार प्रणाली” आवश्यक है ताकि कार्रवाई के चरण पर ही नहीं बल्कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अतिरिक्त रोकथाम, तैयारी, प्रशमन और पुनर्हाली के लिए भी जी.आई.एस. प्लैटफॉर्म पर मूल्यवान सूचना उत्पादों का अबाध प्रवाह सुनिश्चित हो सके। श्री रेड्डी ने बताया कि इसे हासिल करने के लिए, केंद्रीय स्तर (किसी सुरक्षित स्थान पर एक आपदा पुनर्हाली प्रणाली के साथ) पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना-विज्ञान प्रणाली (एन.डी.एम.आई.एस.) स्थापित करना परिकल्पित है जिसके साथ सर्वत्र संपर्कता पर विशेष बल देते हुए एक प्रतिबद्ध और अचूक राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.) को जोड़ा जाएगा।

4.29 एन.डी.सी.एन. राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न आपातकालीन प्रचालन केंद्रों से संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान संचार नेटवर्कों को बेहतर बनाकर नेटवर्कों का नेटवर्क बनेगा। एन.डी.सी.एन. आश्वसित बहुल सेवाएं उपलब्ध कराएगा जैसे श्रव्य, दृश्य आंकड़ों और जानकारी आधारित सूचना ताकि आपदा प्रबंधन के सभी चरणों के दौरान आपदा के सक्रिय, सकारात्मक और समग्र प्रबंधन के लिए विभिन्न हितधारकों की आवश्यकता पूरी हो सके। एन.डी.सी.एन. आपदा के दौरान अचूक संचार सुलभ कराने के लिए पृथक उपग्रह संबद्ध नेटवर्क स्थापित करेगा। इस परियोजना में प्राक्कलित लागत 943 करोड़ रुपये है और इस पर अब गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

सूचना और संचार प्रणाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश की मुख्य बातें (एन.डी.एम.आई.सी.एस.)

4.30 आपदा प्रबंधन के समग्र दृष्टिकोण के लिए एक

प्रतिबद्ध अचूक संचार प्रणाली अपेक्षित है ताकि केवल कार्रवाई के चरण पर ही नहीं बल्कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अतिरिक्त, रोकथाम, तैयारी, प्रशमन और पुनर्बहाली के लिए भी जी.आई.एस. प्लैटफॉर्म पर मूल्यवान सूचना उत्पादों का अबाध प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

4.31 इसे हासिल करने के लिए, केंद्रीय स्तर पर (किरीसी सुरक्षित स्थान पर आपदा पुनर्बहाली प्रणाली के साथ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना-विज्ञान प्रणाली (एन.डी.एम.आई.एस.) स्थापित करना परिकल्पित है जिसे सर्वत्र संपर्कता पर विशेष बल देते हुए एक प्रतिबद्ध और अचूक राष्ट्रीय आपदा सूचना नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.) से जोड़ा जाएगा।

4.32 प्रस्तावित एन.डी.एम.आई.एस. के द्वारा आपदा प्रबंधन कार्यकलाप चक्र हेतु की असुरक्षितता की रूपरेखा के अनुसार "असुरक्षितता विश्लेषण और जोखित आकलन" (वी.ए. एण्ड आर.ए.) का एकल अत्यंत महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक साधन (साइंटिफिक टूल) स्थापित होगा ताकि निम्नलिखित के संबंध में तदर्थ फ़ैसले न लेने पड़ें -

- घटना-पूर्व परिदृश्यों में आपदा प्रबंधन कार्यकलाप,
- घटना के दौरान आपदा प्रबंधन कार्यकलाप के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डी.एस.एस.)
- "बेहतर निर्माण" करने के लिए घटना के बाद के परिदृश्य में आपदा प्रबंधन कार्यकलाप (पुनर्वास और पुनर्बहाली हेतु)

निर्माणाधीन दिशानिर्देश

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क विषयक राष्ट्रीय दिशानिर्देश की तैयारी

4.33 इस अवधि में इस विषय पर प्रमुख समूह की अनेक बैठकें हुईं और विशेषज्ञों के साथ परामर्श किए गए हैं तथा दिशानिर्देशों का अंतिम प्रारूप तैयार हो रहा है। उसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हैं -

- दृश्य और श्रव्य की बहु-सेवाएं तथा जी. आई.एस. आधारित मूल्यवर्धित सूचना प्रणाली की सहायता से अर्जित आंकड़े।

- आपदा चक्र के सभी चरणों के दौरान सर्वत्र संपर्कता पर विशिष्ट बल देते हुए, विश्वसनीय, प्रतिबद्ध और प्रौद्योगिकी आधारित राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क।
- जिला स्तर पर मोबाइल संचार पैकेज तथा एन.डी.आर.एफ. के लिए परिवहन योग्य संचार प्रणाली।

राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.) की मुख्य बातें

4.34

- एन.डी.सी.एन. स्वतंत्र उपग्रह संपर्कता से समर्थित का नेटवर्कों का एक नेटवर्क है;
- मूल्यवान सूचना ठीक समय पर ठीक लोगों के पास भेजने के लिए एक प्रतिबद्ध राष्ट्रीय आपदा संचार नेटवर्क (एन.डी.सी.एन.) की जरूरत है;
- अत्यंत किफायती और कारगर देशव्यापी प्रसार के लिए एन.डी.सी.एन. समस्त वर्तमान/नियोजित स्थलीय एवं उपग्रह आधारित नेटवर्कों का एक नेटवर्क होगा और उसके अचूक सुरक्षा स्वरूप तथा एन.डी.आर.एफ. तथा जिला स्तरों पर सहायक सूत्रों (एडिशनलिटीज) के साथ-साथ सर्वत्र संपर्कता पर विशिष्ट बल होगा।
- विभिन्न प्रचालनों के साथ समुचित सेवा स्तरीय करारों के माध्यम से अपेक्षित बैंडविधियों को पट्टे पर देकर प्रतिबद्ध लक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा;
- इसके अतिरिक्त, एन.डी.सी.एन. अपना अचूक सुरक्षा स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए अपना स्वतंत्र उपग्रह नेटवर्क (इसरो से पृथक उपग्रह ट्रांसपोंडर पर आधारित) रखना परिकल्पित करता है ;
- कार्रवाई चरण में पूरी विश्वसनीयता के साथ आंकड़ों का तत्काल अंतरण अपेक्षित है। आंकड़ों की अति परिवर्तनशील मात्रा सीमित हितधारकों के पास भेजी जाएगी;
- अन्य चरणों के लिए जैसे तैयारी, प्रशमन

और बहाली के लिए आंकड़ों की अल्प आवश्यक डिलीवरी जरूरतों के साथ होगी, फिर भी डिलीवरी में ज्यादा विलंब स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन आंकड़ों की पहुँच व्यापक हितधारकों के वर्ग होगी।

कार्यान्वयन

4.35 चूँकि नेटवर्क के निर्माण में विभिन्न स्थलीय एवं उपग्रह आधारित संचार उपकरण तथा उनके साथ उनके अंतरमुखी संघटक अपेक्षित हैं इसलिए प्रबल सिफारिश की गई है कि एक केंद्रीय निधिपोषित महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में, एन.डी.सी.एन. के कार्यान्वयन के लिए एक अर्हताप्राप्त और अति-अनुभवी अभिकरण नियुक्त किया जाए।

अग्निशमन सेवा के स्तर निर्धारण, उपकरण की किस्म और प्रशिक्षण विषयक दिशानिर्देशों की तैयारी

4.36 13वें वित्त आयोग को एन.डी.एम.ए. द्वारा रखे गए अनुमान और अग्निशमन सेवाओं के पुनर्गठन के लिए राज्यों और स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में उसकी सकारात्मक मंजूरी के परिणामस्वरूप देश में अग्निशमन सेवा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाने का फैसला किया गया। इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए एन.डी.एम.ए. में 22 मार्च, 2010 को एक बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में भारत की अग्निशमन सलाहकार समिति को आमंत्रित किया गया। इन दिशानिर्देशों को तैयार किया जा रहा है।

“भारत के लिए भूकंपीय पुनः मरम्मत नीति और असुरक्षित ओपन ग्राउंड स्टोरी आर.सी. बिल्डिंगों” विषय पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में विचारोत्तेजक सत्र

4.37 श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश के लिए एक भूकंपीय पुनः मरम्मत नीति का प्रारूप तैयार करने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ 22 जून को पूरे दिन के विचारोत्तेजक सत्र की अध्यक्षता की। उस बैठक में, भारत में ओपन ग्राउंड स्टोरी आर.सी. बिल्डिंगों के निर्माण की वर्तमान प्रवृत्ति

पर विशेष ध्यान दिया गया। ये भवन भूकंप के दौरान असुरक्षित हैं। यह पहल उस एन.डी.एम.ए. की हाल की विशेष बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई थी जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। उसमें जापान में हाल की तिहरी आपदाओं के बाद भारत की जरूरी तैयारियों के बारे में चर्चा की गई थी।

4.38 देश के लिए भूकंपीय पुनः मरम्मत नीति विषयक परिचर्चा का केंद्र बिंदु परिहार्य मौतों की शून्य सहनशीलता (जीरो टोलरेंस) का विजन रहा। फैसला किया गया कि विशेषज्ञों द्वारा “शून्य प्रारूप” 15 जुलाई, 2011 तक तैयार किया जाएगा। उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने तकनीकी विशेषज्ञों से आग्रह किया कि वे उन उपचारात्मक उपायों के तकनीकी समाधान प्रस्तुत करें जिनका प्रचार-प्रसार देश में ऐसे भवनों की असुरक्षितता का समाधान करने के लिए किया जाना चाहिए।

4.39 ओपन ग्राउंड स्टोरी भवनों के विषय में उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीकी विशेषज्ञों को ऐसे भवनों के भावी निर्माण के लिए सरल और दृष्टांतपरक रीति से “क्या करें” और “क्या न करें” हिदायतें तय करना चाहिए। इन समाधानों का एन.डी.एम.ए. द्वारा देश भर में प्रचार-प्रसार करना चाहिए ताकि ओपन ग्राउंड स्टोरी के नये भवन निर्माण को रोका जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इन सरोकारों पर विचार विमर्श करने के लिए एक पृथक वर्ग आई.एस. :1893 में समाविष्ट किया जा सकता है।

29 अगस्त, 2011 को एन.डी.एम.ए. में आयोजित धार्मिक संस्थानों/सम्मेलनों में भीड़ प्रबंधन पर विचारोत्तेजक सत्र

4.40 धार्मिक स्थलों पर बारबार होने वाली भगदड़ की घटनाओं से चिंतित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय है, तीर्थ स्थलों पर आपदा प्रबंधन के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण की पहल करने की सोच रहा है। इस लक्ष्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण धार्मिक स्थलों पर आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाने की योजना बना रहा है। ये दिशानिर्देश अन्य जन सभाओं पर भी लागू हो सकते हैं।

4.41 इसे दृष्टि में रखकर, विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से देश में सुलभ विशेषज्ञों को जो परिवहन मॉडलों और भीड़ नियंत्रण करने में सुयोग्य हैं इस विषय में हमारे प्रयास में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। कुछ धार्मिक संस्थाओं के कार्यपालक अधिकारी भी अपने साक्षात् अनुभव को साझा करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। 29 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भगदड़ और भीड़ नियंत्रण की समस्या का समग्र रूप में अध्ययन करने के लिए तथा उच्च गहनता का विश्लेषण गहराई से करने के लिए विचारोत्तेजक सत्र आयोजित किया गया था। एन.डी.एम.ए. के सदस्य श्री टी. नंदकुमार से इसका विस्तार से अध्ययन करने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

बैंकों और ऋणदाता संस्थाओं के माध्यम से वित्तपोषित भवनों और अवसंरचनाओं का आपदा प्रतिरोधी निर्माण सुनिश्चित किया जाना

4.42 भवनों और अवसंरचनाओं के लिए बैंकों और ऋणदाता संस्थाओं द्वारा उधार धन दिए जाने में राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के निकृष्ट अनुपालन के मुद्दे का हल ढूंढने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वृहताकार एन.बी.सी. 2005 की तकनीकी शब्दावली की व्याख्याओं को सरल ढंग से करके और उन्हें उधार आवेदन प्रक्रिया के साथ जोड़कर "स्व-निर्देशी" दिशानिर्देश बनाए। ये दिशानिर्देश अनुपालन हितैषी किंतु अपरक्राम्य हैं और इनमें निर्माण संबंधी सुरक्षा नियमों तथा बी.आई.एस. कोड पर आवश्यक समावेशी नियंत्रण है।

4.43 भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने ये दिशानिर्देश आवास सेक्टर में भवन निर्माण के लिए बैंकों द्वारा उधार धन मंजूर किए जाने से अनुपालन हेतु 12 मई, 2011 को बैंकों और ऋणदाता संस्थाओं को परिचालित किए हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल हाउसिंग बैंक ने भी सभी आवास वित्त कंपनियों के लिए उपर्युक्त निर्देश अपनाए हैं। इनमें बैंकिंग और नॉन-बैंकिंग सेक्टर, दोनों को शामिल किया गया है।

अस्पतालों की सुरक्षा के दिशानिर्देशों की तैयारी

4.44 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अस्पतालों की सुरक्षा और ऑन-साइट आपातस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के दिशानिर्देश तैयार करेगा। कोलकाता में ए.एम.आर.आई. अस्पताल में हाल की आग दुर्घटना को ध्यान में रखकर एन.डी.एम.ए. में

बुलाई गई बैठक में विभिन्न अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक विचारोत्तेजक सत्र के पश्चात् यह फैसला किया गया। उस दुर्घटना में 90 से भी ज्यादा रोगियों की मौत हो गई थी और उससे अस्पतालों की सुरक्षा से संबंधित अनेक मुद्दे उठे हैं। इन दिशानिर्देशों में आग तथा सभी अन्य खतरों को कवर किया जाएगा।

4.45 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अतीत में चिकित्सा तैयारी और बड़ी दुर्घटना के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे लेकिन वे अधिकांशतः अस्पताल के बाहर होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारी के विषय में हैं। एन.डी.एम.ए. ने अब देश में सरकारी और निजी सेक्टरों दोनों में अस्पतालों के अंदर आपात स्थितियों के इस प्रमुख मुद्दे पर चिंतन-मनन करना है।

4.46 अस्पतालों की सुरक्षा की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए और विभिन्न अभिकरणों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को समझने के लिए एन.डी.एम.ए. ने 17 अक्टूबर, 2011 को एक बैठक बुलाई थी। उसमें एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और अधिकारियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) सं. रा. अभिकरणों (यू.एन. एजेंसियां), एम्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, कारपोरेट अस्पतालों, दिल्ली अग्नि शमन सेवा के प्रतिनिधियों, आई.आई.टी. तथा निजी संस्थाओं के विशेषज्ञों ने भाग लिया था।

4.47 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. मुजफ्फर अहमद को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह विशेषज्ञों का एक प्रमुख (कोर) समूह गठित करें और सभी हितधारकों से परामर्श करके अस्पताल सुरक्षा और तैयारी के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के प्रयासों का नेतृत्व करें। वह प्रमुख समूह वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के अलावा, कमियों का पता लगाएगा तथा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों पर नजर रखेगा। वह प्रमुख समूह वर्तमान संहिताओं तथा अन्य कानूनी उपबंधों को भी देखेगा और सभी सुरक्षा उपायों को बेहतर ढंग से मॉनीटर करने और उनका पर्यवेक्षण करने के कदमों की सिफारिश करेगा। दिशानिर्देशों में अंतर्विष्ट कार्य बिंदुओं हेतु अभिकरणों का भी पता लगाया जाएगा जो उनका कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

5

क्षमता विकास

प्रस्तावना

5.1 क्षमता विकास के रणनीतिक तरीके पर हितधारकों की सक्रिय और उत्साहवर्धक सहभागिता से ही कारगर ढंग से काम किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जागरूकता सृजन अभियान चलाना, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास (आर.एंड.डी.) आदि शामिल हैं। इसमें समुचित संस्थागत रूपरेखा, प्रबंधन प्रणालियां और आपदाओं का कारगर निवारण तथा निपटने के लिए संसाधनों के आबंटन करना भी शामिल है।

5.2 क्षमता विकास के तरीके में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- प्रादेशिक विविधता और बहु-संकटीय संवेदनशीलताओं की दृष्टि से उनकी विनिर्दिष्ट जरूरतों के लिए, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने के लिए, प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना।
- राज्यों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, जिसमें राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारी कार्यान्वयन प्रभारी हों, परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियों की अवधारणा बनाना।
- बेहतर कार्य-निष्पादन के रिकॉर्ड वाली ज्ञान-आधारित संस्थानों की पहचान करना।
- अंतरराष्ट्रीय और प्रादेशिक सहयोग को बढ़ावा देना।
- पारंपरिक और संसार की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- योजनाओं को परखने के लिए टेबल टॉप अभ्यासों, अनुरूपणों (सिमुलेशंस), मॉक ड्रिलों तथा कौशल विकास पर जोर देना।

- राज्य/जिला/स्थानीय स्तरों पर विभिन्न आपदा कार्रवाई दलों का क्षमता विश्लेषण।

इग्नू की सहभागिता में पंचायती राज संस्थाएं (पी.आर.आई.) और शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) के क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक (पायलट) परियोजना

5.3 इस वर्ष के दौरान एक प्रमुख कार्यक्रमलाप 11 संकट प्रवण राज्यों अर्थात्— महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा और गुजरात, के 54 जिलों में जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर प्रायोगिक परियोजना शुरू करने की पहल करना था।

5.4 क्षमता विकास हेतु पहचान किए गए (निर्धारित) राज्य और जिले ये हैं :

- आंध्र प्रदेश – अनंतपुर, महबूब नगर, श्रीकाकुलम, नैल्लोर, प्रकाशम।
- असम—धेमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, धुबरी, कछार।
- बिहार—सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, सुपौल, मधेपुरा।
- हरियाणा – गुडगांव, पानीपत, अम्बाला, यमुना नगर, रोहतक।
- हिमाचल प्रदेश – कुल्लू, किन्नौर, चम्बा, कांगड़ा, मनाली।
- केरल—इडुक्की, वायानाड, मलप्पुरम, एर्नाकुलम और पलक्काड़।

- महाराष्ट्र – नाशिक, रायगढ़, ठाणे, पुणे, सतारा।
- उड़ीसा-गंजम, भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासौर।
- त्रिपुरा – उत्तरी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, पूर्वी त्रिपुरा (ढलाई), पश्चिम त्रिपुरा।
- उत्तराखंड – बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्र प्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी।
- पश्चिम बंगाल – बांकुरा, दक्षिणी दीनाजपुर, मुर्शिदाबाद, बुर्दवान, पूर्वी मेदिनीपुर।

क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-इग्नू की महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति

5.5 जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण – इग्नू की महत्वाकांक्षी परियोजना के संबंध में, प्रशिक्षण सामग्री/सत्र योजनाओं पर फीडबैक के आधार पर और पहले की गई हैं। एक और पुस्तक “सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन संबंधी पुस्तिका” संदर्भ प्रयोजनों के लिए, चार पुस्तकों (पुनरीक्षित) के अलावा, शामिल की गई हैं।

5.6 इग्नू के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 11 संकट संभावित राज्यों के 54 जिलों में आपदा रोकथाम, तैयारी, प्रशमन, कार्रवाई एवं पुनर्बहाली के क्षेत्रों में सरकारी अधिकारियों (जी.ओ.), पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के प्रतिनिधियों के लिए आपदा प्रबंधन पर क्षमता निर्माण संबंधी महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इग्नू द्वारा तैयार की गई प्रारूप प्रशिक्षण सामग्री की समीक्षा की गई और आमने-सामने प्रशिक्षण कार्यक्रमों (एफ.एफ.टी.पी.) के लिए प्राप्त इनपुटों पर आधारित निम्नलिखित पुस्तकें इग्नू द्वारा प्रकाशित कराई गई थीं:

- आपदा प्रबंध का प्रत्ययवादी (कान्सेप्चुअल) तथा संस्थागत रूपरेखा।

- आपदा के प्रति तैयारी तथा प्रशमन।
- आपदाओं के प्रति कार्रवाई।
- आपदा पुनर्बहाली तथा आगे की योजना।
- सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी आपदा प्रबंधन संबंधी पुस्तिका।

5.7 असम के सिवाय सभी राज्यों में कार्य अनुकूलन कार्यशालाओं को पहले ही संचालित किया जा चुका है। असम में, इसे नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाना है।

भूकंप का सामना करने की बहु-राज्यीय तैयारी

5.8 यह परियोजना दिसंबर, 2011 में अनुमोदित कर दी गई थी। परियोजना का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों में विशाल भूकंप के परिणामों का वैज्ञानिक समझ प्रदान करना है। विभिन्न हितधारकों की सामान्य और एकीकृत जोखिम प्रबंध कार्य योजना का विकास भी इस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। 1.17 करोड़ रुपये की रकम का परियोजना के लिए अनुमोदन किया गया है। भूकंप का सामना करने की बहु-राज्यीय तैयारी तथा जागरुकता अभियान तथा मॉक ड्रिल पर विचार विमर्श करने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के साथ अनेक बैठकें हुई हैं।

राष्ट्रीय कैंडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैंडेटों का प्रशिक्षण

5.9 एन.सी.सी. कैंडेटों को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने का काम एन.डी.एम.ए. द्वारा अपने हाथ में लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- एन.सी.सी. कैंडेटों में जागरुकता पैदा करना।



- आपातकालीन प्राथमिक उपचार, खोज और बचाव तथा अग्नि शमन का प्रशिक्षण देना, और
- एन.सी.सी. कैडेटों को आपदा प्रबंधन रूपरेखा में शामिल करना, तथा रोकथाम और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देना ।

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में बाढ़ एवं भूकंप का सामना करने की तैयारी के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक प्रशिक्षण की प्रायोगिक परियोजना

5.10 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 नवंबर, 2011 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में बाढ़ और भूकंप तैयारी के लिए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक की प्रायोगिक परियोजना पर एक कार्यशाला आयोजित की

थी। श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाढ़ के प्रति तैयारी कार्यशाला पर गोरखपुर, 6 अगस्त, 2011 में आयोजित की गई थी जहां समुदाय में आपदा की दशा में प्रथम कार्रवाईकर्ता के रूप में जागरूकता उत्पन्न करने तथा तैयार करने की दृष्टि से गोरखपुर में बाढ़ तथा भूकंप के लिए समुदाय तैयारी कार्यक्रम आरंभ करने के लिए निर्णय किया गया था। ऊपर उल्लिखित निर्णय के अनुसरण में, 250 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने की दृष्टि से नागरिक सुरक्षा कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 नवंबर, 2011 को शुरू किया गया था। यह प्रशिक्षण नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार बैचों में संचालित किया गया था –

क्र.सं.	बैच	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	पहला बैच	22 नवंबर, 2011 से 27 नवंबर, 2011	43
2.	दूसरा बैच	30 नवंबर, 2011 से 05 दिसंबर, 2011	42
3.	तीसरा बैच	07 दिसंबर, 2011 से 12 दिसंबर, 2011	45
4.	चौथा बैच	14 दिसंबर, 2011 से 19 दिसंबर, 2011	45
5.	पांचवा बैच	21 दिसंबर, 2011 से 26 दिसंबर, 2011	42
6.	छठा बैच	28 दिसंबर, 2011 से 02 जनवरी, 2012	33



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) भारत सरकार

हर परिवार लड़े आपदा से समाज को एकजुट करने का अभियान
पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस और ए.ई.एस.की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए समाज को एकजुट करने का अभियान शुरू !!

21 नवंबर 2011 को रात 4:30 बजे नागरिक सुरक्षा संगठन के सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम
और
22 नवंबर 2011 को प्रातः 10:00 बजे बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" कार्यक्रम

श्री एम. शशिधर रेड्डी,

कार्यकारी अध्यक्ष, एन.डी.एम.ए., भारत सरकार
इस उद्घाटन

दिमागी दुखार (नवकी बीमारी)



इस बीमारी का विकार अधिकतर गर्मियों में होता है। इससे हुए दुखार को हर भी जानकरका पैदा करने है ताकि हर परिवार इस आपदा से मुक्तकरा कर सकें। यह प्रशिक्षण हर साल के अधिकतम शिकारा एवं सामाजिक विनाश निरा मुक्तकरा प्रतिकार आइ.सी.डी.एम. उपाध्यक्ष बरिष्क शिक्षा अधिकारी, ए.डी.ओ. पी.आय.ए. नागरिक सुरक्षा संगठन वरिष्क जिला विकास अधिकारी, बी.आई.डी.टी. (आय.ए.ए.ए.) गोरखपुर, ए.डी.एम.ए. प्रशिक्षण केंद्र, मिर्जा नूरुल उल्लेख किल्ला/संस्थान अदि के अधिकारी / कर्मचारी एवं कार्यकर्ताओं को दिए जा रहा है ताकि वे एक-एक करके लोगों को इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जागरूक कर सकें।

नागरिक सुरक्षा संगठन के सामाजिक कार्यकर्ताओं को जापानी इंसेफेलाइटिस समेत सभी आपदाओं से निवारण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

**आपके हित में तत्पर
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)**

आपदाओं के दौरान मनो-सामाजिक सहायता तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला

5.12 आपदाओं के दौरान मनो-सामाजिक सहायता तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर एक कार्यशाला 7 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में आपदाओं में मनो-सामाजिक सहायता तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के प्रति एक अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की धारणा बनी थी। इसमें अपने-अपने क्षेत्र में विख्यात विशेषज्ञों ने भाग लिया जिनमें सरकारी पदाधिकारी, मनः चिकित्सक, मनो- वैज्ञानिक और मनो-चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठनों के प्रधान, अंतरराष्ट्रीय संगठनों से आपदा प्रबंधक तथा मीडिया सहित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पेशेवर थे। कार्यशाला में विचार विमर्श तथा सिफारिशों के आधार पर, मनो-सामाजिक सहायता तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए माननीय सदस्य मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन करने का प्रस्ताव किया गया था।

5.13 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष-श्री एम. शशिधर रेड्डी ने आपदाओं के दौरान मनो-सामाजिक सहायता तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के पहलू पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के दौरान जनवरी, 2010 में पहले ही जारी की जा चुकी मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवा संबंधी दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख किया।

5.14 श्री रेड्डी ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जन शक्ति के अभाव का उल्लेख किया। उन्होंने बताया, "हम मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जन शक्ति में विश्व औसत से बहुत पीछे हैं, चाहे वह मनो चिकित्सक, मनो वैज्ञानिक या मनो-चिकित्सा नर्स हो। हमारे पास 0.2 मनो-चिकित्सक प्रति एक लाख जनसंख्या है जबकि विश्व औसत 1.20 है। इसी प्रकार, मनो-विज्ञानी तथा मनो-चिकित्सा नर्सों का



दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को आपदाओं के दौरान मनो-सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री एम. शशिधर, रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विश्व औसत क्रमशः 0.6 और 0.4 है। जबकि भारत में दोनों के लिए 0.03 है। उन्होंने इन अभावों को पूरा करने के लिए देश की सामाजिक आर्थिक परिवेश पर आधारित अपना स्वयं मॉडल तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया।

भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण-पिछला अनुभव और आगे की योजना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

5.15 गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (जी. एस.डी.एम.ए.), गुजरात सरकार ने पंडित दीन दयाल पेट्रोलिएम विश्वविद्यालय, गांधी नगर, गुजरात में 14 अप्रैल से 16 अप्रैल के दौरान "भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण-पिछला अनुभव और आगे की योजना पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित किया। श्री एम. शशिधर रेड्डी उद्घाटन कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि थे। श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने व्यापक "गुजरात भूकंप पश्चात् पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास परियोजना" के अधीन भुज भूकंप के पश्चात् गुजरात में किए गए पुनर्निर्माण कार्य की सराहना की थी।

5.16 उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने कहा "जान की हानि मुख्यतः भवनों के ढहने का परिणाम है। इसलिए भूकंप आपदाओं से सुरक्षा के लिए भवनों के भूकंपरोधी होने की अपेक्षा होती है। हमारे देश में भूकंप-रोधी देसी (वर्नाकुलर) निर्माण का शानदार रिवाज है जिसमें पूर्वोत्तर भारत में असम जैसे आवास, कश्मीर में धज्जी

देवरी तथा गुजरात में भोंगा भी सम्मिलित हैं और जो भूकंपों से उतने सुरक्षित हैं जितने कि आधुनिक भवन। चूंकि, देश में भवनों का, उनकी भूकंपरोधिता पर आधारित वर्गीकरण नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देश के विभिन्न भागों में पूर्व-प्रबल (प्री-डॉमिनेन्ट) किस्मों के भवनों का सूची पत्र तैयार करने और भवन वर्गीकरण (टाइपोलॉजी) के लिए परियोजना आरंभ की है।

दिल्ली में भूकंप जोखिम के प्रति तैयारी – राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ समीक्षा-बैठक

5.17 दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में भूकंप जोखिम प्रबंध के प्रति विशेष निर्देश से विभिन्न आपदाओं के लिए तैयारी की प्रास्थिति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष, श्री एम. शशिधर रेड्डी की अध्यक्षता में 20 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में हुई थी। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार से सहभागियों का मुख्य सचिव, श्री पी. के. त्रिपाठी और श्री धर्मेन्द्र, मंडल आयुक्त तथा सदस्य सचिव, डी.डी.एम.ए. द्वारा नेतृत्व किया गया। इस पुनर्विलोकन बैठक के दौरान भूकंप तैयारी के प्रति राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक की गई कार्रवाइयों पर चर्चा की गई।

5.18 दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली क्षेत्र को कवर करते हुए भूकंप जोखिम तैयारी के लिए निम्नलिखित पहलों के बारे में जानकारी दी :-

- राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना;
- संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा विश्लेषण मानचित्रण और भारतीय भू-भाग का भू-तकनीकी अन्वेषण;
- संवेदनशीलता निर्धारण के लिए भवन वर्गीकरण सांचे (टेम्पलेट) का विकास तथा भूकंप का सामना करने के लिए भारत में आवासीय भवनों का जोखिम विश्लेषण;

- भारतीय भू-सर्वेक्षण आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना विज्ञान प्रणाली (एन.डी.एम. आई.एस)

5.19 उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय महत्व के भवनों का संरचनात्मक मूल्यांकन तथा उन्हें भूकंप की दृष्टि से मजबूत बनाने पर विचार करने का सुझाव दिया। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की सहायता से इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने दिल्ली की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पुराने संवेदनशील भवनों के लिए पुनः मरम्मत संबंधन प्रणाली (रेट्रोफिटिंग प्रमोशन सिस्टम-आर.पी.एस.) पर सोचने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से भी कहा कि वे विद्यमान सशस्त्र आरक्षितियों में से राज्य आपदा कार्रवाई बल का गठन करे जैसा अन्य राज्यों में किया जा रहा है।

5.20 इस समीक्षा-बैठक में दिल्ली प्रशासन, डी.डी.ए., अग्निशमन सेवाओं, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण आदि जैसे राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

गुवाहाटी, असम में 'पूर्वोत्तर क्षेत्र का आपदा परिदृश्य' पर कार्यशाला

5.21 11 जुलाई, 2011 को एन.ई.डी.एफ.आई. सदन, गुवाहाटी में "पूर्वोत्तर क्षेत्र का आपदा परिदृश्य" पर कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री एम. शशिधर, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सामान्यतः क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं तथा विशिष्टतया बाढ़ तथा भूकंप की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्षेत्र में तैयारी तथा प्रशमन गतिविधियों की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्वी हिमालय के मुकाबले पूर्वोत्तर क्षेत्र की विचित्र भौगोलिक पर्यावरणीय स्थिति, कमजोर भौगोलिक विरचनाएं, (फॉर्मशंस) अत्यंत अधिक भूकंपनीयता तथा भारी वार्षिक वृष्टि पात, क्षेत्र को देश में अति आपदा संभावित क्षेत्र बनाती है।

देश में क्षमता निर्माण प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की 8 जून, 2011 को हुई बैठक

5.22 क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को मजबूत करने के लिए एक बैठक 8 जून, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में आयोजित की गई थी। उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अध्यक्ष, शासी निकाय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने बैठक की अध्यक्षता की। एन.डी.एम.ए. ने देश में क्षमता निर्माण प्रयासों में बड़ी भूमिका निभाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न तरीकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के संकाय के साथ अन्योन्य क्रिया (इंटरएक्शन) के दौरान विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षित किए जाने वाले पदाधिकारियों की संख्या का निर्धारण करने का और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को मजबूत बनाने की योजना तैयार करने का निर्णय किया गया था। बैठक के दौरान यह भी निर्णय किया गया था कि विभिन्न राज्यों तथा संगठनों का उनके अपने-अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षित जन शक्ति का इष्टतम उपयोग के आधार पर मूल्यांकन करें तथा राज्य ए.टी. आई. के माध्यम से राज्यों के क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों को प्रवृत्त करें। प्रशिक्षण मॉड्यूलों की निरंतर समीक्षा तथा अद्यतन कार्य भी उस पर अधिक फोकस करने तथा सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है।

आपदा के दौरान प्रजनक स्वास्थ्य (रिप्रोडक्टिव हेल्थ) पर विशेष फोकस पर कार्यशाला, गुडगांव-19 जुलाई, 2011

5.23 19 जुलाई, 2011 को सोहना, गुडगांव में "आपदा में प्रजनक स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम आरंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.)" पर प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र के दौरान, श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे आपदाओं के दौरान प्रजनक स्वास्थ्य की ओर विशेष फोकस करे विशेष रूप से महिलाओं तथा बालिकाओं की संवेदनशील

आवश्यकताओं के संबंध में। "इस तथ्य पर विचार करते हुए कि किसी निश्चित समय बिंदु पर, 5 प्रतिशत जनसंख्या गर्भित महिलाओं की होती है, यह स्पष्ट अनुभव करना महत्वपूर्ण है कि उनकी विशेष आवश्यकताओं को राज्य तथा जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करते समय वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है। उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न 10 राज्यों से लगभग 30 सहभागियों ने इस चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यू.एन.एफ.पी.ए.) तथा अंतरराष्ट्रीय नियोजित अभिभावक परिसंघ (आई.पी.पी.एफ.) के सहयोग से आयोजित किया गया था।

5.24 प्रजनक स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम आरंभिक सेवा पैकेज (एम.आई.एस.पी.) जीवन रक्षक कार्यक्रमों का प्राथमिकता सेट प्रजनक स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाने के लिए आरंभिक बिंदु बनाता है जिसे बनाए रखने तथा बनाने की आवश्यकता है। एम.आई.एस.पी. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार किए गए आई.ए.एस.सी. हेल्थ क्लस्टर गाइड सहित अनेक मुख्य मानवतावादी दस्तावेजों में एक मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय मानक है।

5.25 हमारी प्रणालियों में व्याप्त ऐसी क्षमताओं के अभाव को मानते हुए, श्री रेड्डी ने इसे आपदा कार्रवाई योजनाओं का भाग बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

5.26 यद्यपि यह एम.आई.एस.पी. योजनाओं का एक भाग बन जाता है, फिर भी इस आधार पर कोई सार्थक प्रयोजन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम क्षमताओं का निर्माण न करें। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आए सहभागियों से अनुरोध किया कि वे निम्नतम स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम अग्रेनीत करने के लिए एक केंद्र (न्यूक्लियस) के रूप में कार्य करें।

5.27 इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुजफ्फर अहमद, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आई.पी.पी.एफ. और यूनीसेफ के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, सुश्री फेड्रिका मीजर यू.एन.एफ.पी.ए. प्रतिनिधि यू.एन.एफ.पी.ए. की सुश्री साची

गोवर ने चिकित्सा तैयारी के विषय से संबंधित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ विशेषज्ञ कर्नल डॉ.द्ध टी. एस. सचदेवा के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को समन्वयित किया था।

उद्योग भूकंप जोखिम प्रबंधन पर सम्मेलन (ई.आर.एम.आई- 2011)

5.28 उद्योग भूकंप जोखिम प्रबंध (ई.आर.एम.आई.) 2011 पर दो दिवसीय सम्मेलन इंडिया हैबिटाट सेंटर, नई दिल्ली में 21-22 जुलाई, 2011 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सहयोग से फिक्की तथा वैश्विक आपदा न्यूनीकरण मंच (जी.एफ. डी.आर.) द्वारा आयोजित किया गया था। श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री अनिल के. सिन्हा, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बी.एस.डी.एम.ए.), प्रो. ए. एस. आर्य, सदस्य, बी.एस.डी.एम.ए., प्रो. रवि सिन्हा, आई.आई.टी., मुंबई, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अन्य अधिकारी तथा कारपोरेट सेक्टर से सहभागी उपस्थित हुए थे।

5.29 भारत विभिन्न तीव्रताओं (क्षमताओं) के भूकंपों के प्रति संवेदनशील है। हमारा 50 प्रतिशत भू-भाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है, 68 प्रतिशत शहरी जनसंख्या तथा 65 प्रतिशत भारतीय शहर भूकंपों के प्रति संवेदनशील हैं। देश में केवल 3 प्रतिशत भवन पथरीली संरचना (कंकरीट स्ट्रक्चर) पर बनाए जाते हैं, जो सापेक्षतः भूकंपों के प्रति अधिक समुत्थानशील (प्रतिरोध) हैं। परंतु भारत में भवन कोड चाहे वह भवन सेक्टर हो या अवसंरचना सेक्टर के प्रवर्तन पर कोई जोर नहीं दिया गया है। तथापि, कुछ बृहत्तर उद्योग यह दावा करते हैं कि उन्होंने इन निर्माण के समय ही भवन कोड का उपयोग करा है, श्री रेड्डी ने कहा कि उनकी पुनः मूल्यांकन भी किए जाने की आवश्यकता है। श्री रेड्डी ने आई.एस. 1893 (भाग-IV) में भूकंप रोधी औद्योगिक स्थापना के संबंध में अद्यतन तकनीकी ज्ञान को समेकित करने के लिए भी आग्रह किया जो

वर्तमान में पुनरीक्षण के अधीन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए आपदा रोधी कोडों के अनुपालन के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को परिचालित कर दिए गए हैं जिनका सभी प्रकार के भवनों को कवर करने वाले निर्माण सेक्टर के वित्तपोषण के लिए अनुपालन किया जाना है। अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस वर्ष की समाप्ति तक अवसंरचना सेक्टर के लिए बैंकिंग वित्तपोषण के लिए वैसे ही दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।

5.30 इस सम्मेलन के दौरान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने यह जानकारी दी कि पहली बार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर आपदा तैयारी तथा कार्रवाई का मूल्यांकन करने तथा घटना कार्रवाई प्रणाली को प्रचालित करने के लिए भी वर्ष के अंत तक बड़े पैमाने पर आपदा के लिए बहु राज्य तैयारी अभ्यास की योजना बना रहा है। रिक्टर पैमाने पर लगभग 8.0 की क्षमता के बड़े भूकंप के लिए परिदृश्य निर्माण अभ्यास आरंभ कर दिया है जिसमें देश के मिन्न-भिन्न आई. आई.टी. तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थाएं सलिप्त हैं। इस अभ्यास के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड तथा दिल्ली आते हैं और इसमें राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों, संस्थाओं तथा सभी अन्य हितधारकों को भी शामिल करा है। यह सभी स्तरों पर कार्रवाई के लिए तैयारी तथा समन्वय तंत्र में कमी के मूल्यांकन का पुनर्विलोकन करेगा। उन्होंने कहा, "यह पहला कदम ही है, भारत की संवेदनशीलता और विभिन्न प्रशासनिक तथा संस्थागत प्रबंधों को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली को पूर्णतः संस्थागत बनाने के लिए तथा एक राष्ट्रीय अभ्यास कार्यक्रम कलेंडर बनाने के लिए प्रयास करेंगे।" उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए फिक्की और अन्य प्राइवेट सेक्टर जैसे संगठनों को भी आमंत्रित किया और यह उल्लेख किया कि कार्य में निरंतरता भी ऐसे अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, एन.डी.एम.ए. भी सम्मेलन में उपस्थित हुए।

भारत में भवन के प्रकारों की भूकंपीय संवेदनशीलता का मूल्यांकन

5.31 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने "भारत में भवन के प्रकारों की भूकंपीय संवेदनशीलता का मूल्यांकन" पर एक परियोजना आरंभ की है जिसका उद्देश्य देश में विभिन्न निर्माण प्रकारों के भवन वर्गीकरण सूचीपत्र को उनकी भूकंपीय संवेदनशीलता विचारणाओं के आधार पर विकसित करना है। यह कार्य आई.आई.टी., मुंबई को समनुदेशित किया गया है जो चार आई.आई.टी. - आई.आई.टी. रुड़की - उत्तरी जोन, आई.आई.टी. खड़कपुर - पूर्वी जोन, आई.आई.टी. गुवाहाटी - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा आई.आई.टी. मद्रास - दक्षिणी जोन के साथ इस परियोजना को समन्वयित कर रहा है। परियोजना की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए 05 अगस्त, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस परियोजना के काम का जिम्मा लेने वाले 5 आई.आई.टी. के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, कुछ राज्यों तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया।

जैविक आपदा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, हैदराबाद

5.32 वर्तमान परिदृश्य में, आतंकवादियों के हाथों में जैविक एजेंटों के पड़ने की एक बड़ी संभावना है, क्योंकि जैविक एजेंट सरते होते हैं, इनको उत्पादित करना सरल होता है, और विनाश करने के लिए इनकीबहुत थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जैविक आपदा संक्रामक बीमारियों के प्रकोप के कारण हो सकती है। हाल ही में, स्वाइन फ्लू विश्व महामारी ने संपूर्ण विश्व को हिला दिया। देश के विभिन्न भागों में जापानी एनसेफेलिटिस, कांगो

क्रिमीन हेमरजिक ज्वर, डेंगू ज्वर तथा चिकिनगुनिया आदि जैसी संक्रामक बीमारियों का आविर्भाव रहा है।

5.33 किसी महामारी या जैविक संकट का निवारण, प्रशमन तथा उसे संभालने की तैयारी के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कन्वेंशन सेंटर, होटल, ताज कृष्णा, हैदराबाद में 12-13 दिसंबर, 2011 को फिक्की के सहयोग से "जैविक आपदा प्रबंधन: राष्ट्रीय सी.बी.आर.एन. क्षमता और लोच की ओर कदम - पी. पी. के अंतर्गत उद्योग की भूमिका" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस प्रयास में, आंध्र प्रदेश भागीदार राज्य था। सम्मेलन का उद्देश्य जैविक आपदा प्रबंधन के लिए अनुसंधान तथा विकास सहित प्रौद्योगिकि उन्नयन सहित निवारक उपाय तथा उत्तम प्रबंधन पद्धतियों के बारे में जानकारी देना था।

5.34 सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नल्लारी किरण कुमार रेड्डी द्वारा किया गया था तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष, श्री एम. शशिधर रेड्डी, अन्य उच्चाधिकारियों तथा विख्यात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई।



5.35 उद्घाटन संबोधन के दौरान, श्री एम. शशिधर रेड्डी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में 2011 में एन्थ्रेक्स विषाणुओं से मरे पत्रों द्वारा उत्पन्न भय के बारे में संपूर्ण विश्व जानता है। सौ व्यक्ति खतरे में पड़ गए थे, 22 व्यक्ति प्रभावित हुए थे और 11 व्यक्तियों को तीव्र निगोनिया हो गया था जिनमें से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में भी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सफेद पाउडर के रूप में विषाणु की रिपोर्ट आई थी। जैविक आतंकवाद से भारत अछूता नहीं है, वर्तमान विश्लेषण यह बताते हैं कि जैविक



एजेंटों का प्रयोग करने वाले आतंकवादी की संभावना वास्तविक खतरा है। जैविक एजेंटों को एक एयरोसोल के रूप में प्रसारित किया जा सकता है। इसके लिए अग्निशामक का भी प्रयोग किया जा सकता है। एन्थ्रेक्स तापन, संवातन और वातानुकूलन (एच.वी.ए.सी.) प्रणाली के लिए वहां प्रयोग किया जा सकता है जहां वायु प्रहस्तन इकाई (एयर हैंडलिंग यूनिट) को एन्थ्रेक्स पाउडर के संपर्क में लाया जा सकता है। उन्होंने आगे यह और कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय जैविक आपदा प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश पहले ही तैयार कर लिए गए हैं और जारी कर दिए गए हैं।

5.36 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने मुख्य संबोधन में कहा कि आतंकवादियों के हाथों में जैविक एजेंटों के पड़ने की एक बड़ी संभावना है क्योंकि जैविक एजेंट सरस्ते होते हैं, प्रस्तुत करने में सरल होते हैं और इसकी बहुत थोड़ी मात्रा विनाश कर सकती है। इन्हें अग्निशामक जैसे एयरोसोल के रूप में या तापन, संवातन तथा वातानुकूलन (एच.वी.ए.सी.) प्रणाली के माध्यम से फैलाया जा सकता है। यह युगांतरकारी घटना जैविक आपदा के दौरान तैयारी की आपात योजना, प्रशमन तथा कार्रवाई के लिए अनुसंधान और विकास सहित प्रौद्योगिक उन्नयन से युक्त सर्वोत्तम प्रबंध पद्धतियों के अन्ततोगत्वा उपयोग में लाने की प्रवृत्ति का प्रयास करेगी। जैविक आपदा प्रबंध वातावरण के सभी हितधारकों, प्रख्यात वक्ताओं ने मंच पर विचार रखे और वे आंखें खोलने वाले कतिपय पहलुओं के साथ प्रोत्साहक प्रस्तुतियों सहित विशेषज्ञता के अपने अधिकार क्षेत्र पर पूर्ण स्वर में बोले जिनका विचारशील श्रोताओं ने स्वागत किया।



फिक्की फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली में (16 फरवरी, 2012) सी.बी.आर.एन. आपदा प्रबंधन और सुरक्षा (सी.बी.आर.एन. डी.एम.एस.-2012) पर सम्मेलन

5.37 भारत तथा यूनाइटेड किंगडम में अनुसंधान संगठनों तथा उद्योगों के बीच अंतरपृष्ठ (इंटरफेस) लाने के उद्देश्य से, फिक्की, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) और भागीदार देश यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। विशेष भाषण देते हुए मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल ने चिकित्सा की आपदा के दौरान तैयारी का सिंहावलोकन पेश किया तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता तथा उपस्कर की व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा फिक्की उपस्कर व्यवस्था, के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्मिक के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है। उन्होंने सी.बी.आर.एन. खतरा परिप्रेक्ष्य तथा नीति, सामूहिक परिवहन प्रणाली में सी.बी.आर.एन. खतरा, बहु-अभिकरण के सहयोग से सी.बी.आर.एन. कार्रवाई तथा क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर जोर दिया। योजना, आरंभिक प्रचालनात्मक कार्रवाई तथा व्यापक विसंदूषण, सी.बी.आर.एन. प्रशिक्षण में उद्योग की भूमिका, सी.बी.आर.एन. प्रशमन प्रौद्योगिकी, घटना स्थल पर सी.बी.आर.एन. चिकित्सा कार्रवाई, विशेष निकास तथा अस्पताल देखभाल, सी.बी.आर.एन. चिकित्सा के प्रति उपाय, सी.बी.आर.एन. की संभावित घटना के दौरान कार्य निरंतरता योजना पर भी उनके द्वारा प्रकाश डाला गया था।

3 फरवरी, 2012 को शरीर के जलने के संबंध में 20वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली

5.38 विशेष संबोधन करते हुए, मेजर जनरल ;डॉ.डॉ. जे. के. बंसल ने विकिरण तथा खतरनाक रसायनों के कारण जलने के कारकों तथा प्रभावों के बारे में श्रोताओं को जानकारी दी। मायापुरी विकिरण दुर्घटना जिसमें विकिरण से जलना भी शामिल है, को संभालने

में अपने निजी अनुभव को याद करते हुए, उन्होंने चिकित्सकों में व्यावसायिक जागरूकता तथा सी.बी.आर.एन. दुर्घटनाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण चिकित्सकों तथा पराचिकित्सकों के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया कि सी.बी.आर.एन. आतंकवाद के उभरते हुए संकट को ध्यान में रखते हुए रासायनिक या विकिरण क्षतियों के असंख्य मामले होंगे। अतः, यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए तैयारी को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। चिकित्सक ऐसे मामलों को देखने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। सी.बी.आर.एन. की जानकारी से उन्हें इन मामलों को देखने तथा उनका इलाज करने में लाभ होगा। प्राथमिकता पर इन नए प्रकार के चिकित्सा मामलों को संभालने के लिए चिकित्सा वर्ग को उनके व्यावसायिक कौशल को उन्नत करना चाहिए।

आयोजित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, लोधी एस्टेट में आई.सी.एम.आर. द्वारा चौथे प्रादेशिक दक्षिण एशियाई स्वास्थ्य अनुसंधान मंच (एस.ए. एफ.एच.आर.) की बैठक (7 फरवरी, 2012)

5.39 दक्षिण एशियाई स्वास्थ्य अनुसंधान मंच (एस.ए. एफ.एच.आर.) दक्षिण एशियाई देशों में स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रादेशिक सहयोग और भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रम है। दक्षिणी एशिया के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान विकास कार्य सूची के लिए परामर्शी बैठक आयोजित की गई थी। एक गहन चर्चा की गई थी जिसमें दक्षिण एशियाई देशों की स्वास्थ्य अनुसंधान परिषदों तथा विद्वान सहभागी शामिल थे। अपनी निष्कर्षात्मक टिप्पणियों में, मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल ने समुदाय के बेहतर स्वास्थ्य के लिए सदस्य देशों के बीच ज्ञान, अनुभव तथा सर्वोत्तम आचरणों के साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 9 फरवरी, 2012 को मनो-सामाजिक के कार्यकर्ताओं पर समन्वयन बैठक का आयोजन

5.40 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई

बैठक में मानव-जनित तथा प्राकृतिक आपदाओं में बेहतर मनो-सामाजिक देखभाल तैयारी, कार्रवाई तथा प्रशमन के लिए संपूर्ण देश में मनो-सामाजिक देखभाल के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अंतर क्षेत्रीय दृष्टिकोण आरंभ करने के लिए धारणा बनी। बैठक में अधिकारी तथा सुप्रसिद्ध मनो-सामाजिक विशेषज्ञ उपस्थित हुए थे। विशेषज्ञों ने मनो-सामाजिक मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और मनो-सामाजिक सहायता दलों का गठन, मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं को संभार तंत्र सहायता, मास्टर प्रशिक्षकों की पहचान तथा प्रशिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का मानकीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में आपातस्थिति चिकित्सा सेवा प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस-11 फरवरी, 2012

5.41 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अस्पताल प्रशासन विभाग ने जवाहर लाल सभागार, एम्स, नई दिल्ली में 9 फरवरी से 11 फरवरी, 2012 तक "आपातस्थिति चिकित्सा सेवा प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस-ई.एम.एस. 2012" आयोजित किया। इस मेगा आयोजन में संपूर्ण विश्व से आए विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 1000 विशेषज्ञों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक परिदृश्य के मुकाबले में भारत में आपातस्थिति चिकित्सा सेवा प्रणाली की वर्तमान प्रारिथिति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। मेजर जनरल (डॉ.) जे.के. बंसल ने 11 फरवरी, 2012 को एम.सी.आई. तथा आपदा प्रबंधन पर सत्र की अध्यक्षता की और सी.बी.आर.एन. संभावित घटना के लिए संकट चिकित्सा कार्रवाई के लिए तैयारी के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल के बारे में श्रोताओं को बताया। उन्होंने चिकित्सकों तथा पराचिकित्सक स्टाफ के सी.बी.आर.एन. प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

28 मार्च, 2012 को मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जम्मू और कश्मीर लोक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास संस्थान, श्रीनगर का दौरा

5.42 मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल ने 28 मार्च,

2012 को जम्मू और कश्मीर लोक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास संस्थान का दौरा किया और सी.बी. आर.एन. आपातस्थितियों पर व्याख्यान दिया। सी.बी. आर.एन. आपदाओं की ओर ले जाने वाले विभिन्न परिदृश्यों पर चर्चा की गई थी, जिनमें सी.बी.आर.एन. एजेंटों का अचानक निकलना, रसायन की पैकेजिंग या पारम्परिक विस्फोटक सामग्री वाला नाभिकीय एजेंटों जो पर्यावरण आदि के संदूषण के व्यापक प्रसार के साथ विस्फोट कर सके, पर चर्चा करना शामिल था। निवारक उपाय तथा कार्रवाई के लिए तैयारी पर व्याख्यान के दौरान प्रकाश डाला गया। मंडल आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित भारी संख्या में हितधारकों ने व्याख्यान में भाग लिया।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आयोजित 13वां डी.पी. कोहली मेमोरियल व्याख्यान (30 मार्च, 2012)

5.43 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने विज्ञान भवन में 13वां डी.पी. कोहली मेमोरियल व्याख्यान आयोजित किया था। मेमोरियल व्याख्यान देते हुए, श्री रोनाल्ड के नोबल, महासचिव इंटरपोल ने ऐसे ब्यौरे दिए कि बहु-क्षेत्राधिकार शेरिंग भाजन तथा पुलिस सूचना का आदान प्रदान कैसे विधिक रूप से तथा तकनीकी रूप से कार्य कर सकता है। मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने श्री रोनाल्ड के नोबल, महासचिव इंटरपोल के साथ जैविक आतंकवाद पर चर्चा की, उन्होंने कहा कि इंटरपोल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से जैविक आतंकवाद निवारण में पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षित करने की इच्छुक है।

सिक्किम भूकंप के उत्तरजीवियों के लिए मनो-सामाजिक देखभाल

5.44 6.8 रिक्टर के 18 सितंबर, 2011 के विनाशकारी भूकंप ने जिसका केंद्र बिंदु उत्तरी सिक्किम में मनगन के निकट था हजारों लोगों को बेघर कर दिया जिसमें विभिन्न प्रकार की चोटें जीवन तथा आजीविका की हानि भी हुई थी। इस परिदृश्य पर चिंतित होने के कारण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. जय कुमार, (मनो-सामाजिक

सहायता) द्वारा समन्वयित विशेषज्ञों का दल भेजा था। दल के अन्य सदस्य प्रो. निमेश देसाई, प्रो. तथा निदेशक, आई.एच.बी.ए.एस. नई दिल्ली और प्रो. के. सेकर मन:चिकित्सा सामाजिक कार्य के प्रोफेसर, निमहांस, बंगलौर थे। दल ने विभिन्न प्रभावित स्थानों का दौरा किया जिनके अंतर्गत बुरी तरह प्रभावित उत्तरी सिक्किम भी था और मनो-सामाजिक देखभाल उपलब्ध कराई तथा आवश्यक मूल्यांकन कराया। उपर्युक्त विषय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा बाद में 19 अक्टूबर, 2011 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष तथा माननीय सदस्यों को पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई थी। रिपोर्ट पर आधारित मनो-सामाजिक देखभाल प्रभावित जनसंख्या के कल्याण के लिए आरंभ कर दी गई है।

हेग, नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा रासायनिक सावधानी तथा सुरक्षा पर सम्मेलन (12-13 सितंबर, 2011)

5.45 अपने प्रमुख संबोधन में मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह उल्लेख किया कि भारत रसायनों से सावधानी तथा सुरक्षा के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है। भारत रासायनिक आपातस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए, त्वरित तथा प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयारी को भी बड़ा महत्व देता है। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसी रासायनिक औद्योगिक तथा रासायनिक आतंकवाद आपदाओं के लिए रोकथाम, प्रशमन, क्षमता विकास, तैयारी तथा कार्रवाई संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए हैं। दिशानिर्देश रासायनिक संयंत्र संस्थापन, खतरनाक रसायन विनिर्माण भंडारण और सुरक्षित परिवहन के लिए सुरक्षा तथा निगरानी उपायों पर भी जोर देते हैं। भारत रासायनिक आतंकवाद के विरुद्ध सावधानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। जोखिम तथा संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने के लिए तंत्र, निगरानी आधारित पर्यावरणीय मॉनीटरिंग प्रणाली, आसूचना एकत्रीकरण तथा रासायनिक सुरक्षा के लिए सुरक्षित सूचना प्रसार प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए इंटीकैटर्स का विकास तथा खतरनाक अपशिष्ट का अवैध व्यापार को रोकने वाला तंत्र स्थापित करके निवारण को और सुनिश्चित किया जाता है।

संसद परिसर सुरक्षा स्टाफ के लिए सी.बी.आर. एन. प्रशिक्षण (13-14 अक्टूबर, 2011)

5.46 संसद सुरक्षा कार्मिकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन नई दिल्ली में 13-14 अक्टूबर, 2011 को आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि श्री जे. के. सिन्हा, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उत्पन्न हो रही सी.बी.आर.एन. सुरक्षा चिंताओं एवं इसका मुकाबला करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षणों के महत्त्व पर प्रकाश डाला। अपने मुख्य संबोधन में मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सी.बी.आर.एन. आशंकाओं के विभिन्न पहलुओं एवं आवश्यक प्रति उपायों के बारे में सहभागियों को जानकारी दी। उन्होंने सभी सहभागियों से अपील की कि वे विषय के विशेषज्ञों के साथ इंटरएक्ट करे और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिकतम लाभ ले। दो दिन के इस प्रशिक्षण के दौरान सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों का प्रबंध करने में 103 सुरक्षा कार्मिकों, सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दोनों को दिए गए थे। प्रशिक्षण के दूसरे दिन, "सी.बी.आर.एन. परिदृश्य योजना एवं अनुरूपण पर टेबल टॉप अभ्यास" सहभागियों को वास्तविक जीवन की स्थिति से अवगत करने के लिए संचालित किया गया था। टेबल टॉप कार्यक्रम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दल द्वारा किए गए प्रदर्शन के पश्चात् किया गया था जिसमें प्रशिक्षणार्थी किसी सी.बी.आर.एन. आपातस्थिति के दौरान खोज तथा विरंद्धूषण ऑपरेशन से अवगत कराए गए थे। इस प्रशिक्षण को डॉ. ए. के. सिन्हा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वयित किया गया था।

राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आर.ई.एच.) की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक - भोपाल

5.47 भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अभी भी प्रभावित करने वाली निरंतर व्याधियों को ध्यान में रखते हुए मंत्री-समूह के निर्देशों पर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर) ने 11 अक्टूबर, 2011 को भोपाल में "राष्ट्रीय पर्यावरण

स्वास्थ्य अनुसंधान (एन.आई.आर.ई.एच.) नामक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का सर्वोपरि (इमीडियेट) लक्ष्य 1984 की एम.आई.सी. गैस त्रासदी के खतरे से प्रभावित लोगों पर उनकी यातनाओं का समाधान करने के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान है जबकि इसके दीर्घकालिक लक्ष्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संपूर्ण मुद्दों पर फोकस करने के लिए है। 2010-2011 की अवधि के लिए 18 अक्टूबर, 2011 को राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, भोपाल में उक्त संस्थान की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए आई.सी.एम.आर. ने दूसरी वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक बुलाई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस बैठक के लिए डॉ. टी.एस. सचदेवा, वरिष्ठ परामर्शदाता को तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नामित किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संगत कार्यसूची में, तीव्र कार्रवाई प्रभाग की स्थापना करना था जो रासायनिक आपातस्थितियों से संबंधित निवारक तथा प्रबंधन रणनीतियों सहित दिशानिर्देश को तैयार करेगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भवन में बर्ड फ्लू (एच. 5 एन.1) के फैलने पर पुनर्विलोकन बैठक (20 अक्टूबर, 2011)

5.48 29 अगस्त, 2011 को जारी एफ.ए.ओ. अलर्ट एवं भारत तथा पड़ोसी देश नेपाल, भूटान तथा बंगलादेश में बर्ड फ्लू (एच. 5 एन.1) के बार-बार होने वाले प्रकोपों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्पन्न हो रही स्थिति तथा अपेक्षित तैयारी उपायों का जायजा लेने के लिए 20 अक्टूबर, 2011 को एक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई। मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में इस बैठक में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग (डी.ओ.ए. एच.डी. एंड एफ.), स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय (एम.ओ.एच. एंड एफ. डब्ल्यू.) गृह मंत्रालय (एम.एच.एन.) वन तथा पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई. एफ.) उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला (एच.एस.ए.डी. एल.) भोपाल, नेशनल बायोलोजी इन्स्टीट्यूट, पुणे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आई.वी.आर. आई.) बरेली, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.

डी.एम.) दिल्ली, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) से आए विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिकारी तथा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के निदेशक, पशुपालन उपस्थित हुए थे। एन.आई.वी. पुणे, एच. एस.ए.डी.एल. भोपाल तथा आई.वी.आर.आई. से आए तकनीकी विशेषज्ञों एवं विषाणु विज्ञानियों ने एच. 5 एन. 1 वायरस के हाल ही में उत्परिवर्तन (म्यूटेशन) तथा इसके संभाव्य विश्वव्यापी क्षमताओं पर चिन्ता व्यक्त की और एच. 5 एन. 1, एक अत्यधिक पैथोजेनिक एडियन इनफ्लूएन्जा के संभावी बड़े पुनरुत्थान (रिसर्जेंस) के विरुद्ध तत्परता तथा निगरानी को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया। बैठक में तैयारी के वर्तमान स्तर का एक व्यापक पुनर्विलोकन भी किया गया और यह निर्णय किया कि व्यष्टिक प्रकोपों को, वर्धित की जाने वाली वायरस (एच. 5 एन. 1) की संभावित विश्वव्यापी क्षमताओं पर नियंत्रण करे तथा रोकथाम, कार्रवाई, प्रशमन और पुनर्वास के लिए पर्याप्त तैयारी सभी बाबत सुनिश्चित करे।

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली (22 अक्टूबर, 2011)

5.49 भारत की 12वीं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने 19 से 21 अक्टूबर, 2011 तक "पोषणीय विकास के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण : चुनौतियां एवं कार्रवाई" नामक राष्ट्रीय सम्मेलन किया। इस सम्मेलन की मुख्य बात आपदा प्रबंधन को समर्पित सत्र था। आपदा प्रबंधन पर एक सत्र की अध्यक्षता मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 21 अक्टूबर, 2011 को की गई थी जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से दो वक्ताओं मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) आर.के. कौशल तथा डॉ. टी. एस. सचदेवा, वरिष्ठ परामर्शदाताओं ने क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति" एवं "सी.बी.आर. एन. आपदाओं का ऑन-साइट प्रबंध" पर विचार व्यक्त किए।

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुडगांव हरियाणा में सी.बी.आर.एन. आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण (16-18 नवंबर, 2011)

5.50 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (डी.आर.डी.ई.) ग्वालियर के सहयोग से 16 नवंबर, 2011 से 18 नवंबर, 2011 तक हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हीपा), गुडगांव में सी.बी.आर.एन. आपदा प्रबंधन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री टी.के. ए. नायर ने सी.बी.आर.एन. संकटों की बढ़ती हुई आशंकाओं के प्रति भारतीय संवेदनशीलता पर भारत सरकार की विंता व्यक्त की और उन जिला पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल की सराहना की जो अपनी प्रशासनिक उत्तरदायित्व के आधार पर प्रथम कार्रवाईकर्ता हैं। अपना मुख्य भाषण देते हुए, मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सी.बी.आर.एन. आशंका की अवधारणाओं के और उसका प्रबंध करने के विभिन्न विशिष्ट पहलुओं पर विस्तृत पृष्ठभूमि ब्यौरे प्रस्तुत किए। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कुल 78 जिला पदाधिकारियों को, जिनमें चिकित्सक, पशु चिकित्सक, इंजीनियर, अग्निशमन अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी, राजस्व अधिकारी तथा औद्योगिक विस्तार अधिकारी भी हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कप्राधिकरण और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से आए विशेषज्ञों द्वारा सी.आर.बी.एन. आपदा प्रबंधन के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पहलुओं, दोनों में प्रशिक्षित किया। सभी सहभागियों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित विभिन्न सी.बी.आर.एन. संरक्षा, खोज और विसंदूषण उपस्करों पर दक्ष प्रशिक्षण दिया गया था। 18 नवंबर को ग्रेटर नोएडा से एन.डी. आर.एफ. दल द्वारा विस्तृत सी.बी.आर.एन. ड्रिल प्रदर्शन के साथ प्रशिक्षण समाप्त हुआ।

भारतीय व्यावसायिक सामाजिक कार्य सोसाइटी का 30वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन

5.51 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एन.आई.एम.एच.ए.एन.एस.) ने 5 से 7 जनवरी, 2012 तक भारतीय व्यावसायिक सामाजिक कार्य सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। लगभग 400 सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा शिक्षकों ने इस विशिष्ट सम्मेलन में भाग लिया। अपने मुख्य

भाषण में मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन में मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया। मनो-सामाजिक कार्यकर्ता आपदा के भावनात्मक आघात के प्रभाव से पीड़ितों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सलाह दी कि मनो-सामाजिक सहायता बचाव, राहत और पुनर्वास दल के साथ एकीकृत की जानी चाहिए। उन्होंने मंगलौर वायुयान दुर्घटना के पीड़ितों को मानसिक आघात से शीघ्र निकालने में मनो-सामाजिक सहायता के उल्लेखनीय प्रभाव का उदाहरण दिया। मनो सामाजिक सहायता एन.डी.एम.ए. एवं एन.आई.एम.एच. ए.एन.एस. द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराई गई थी। डॉ. जयकुमार सी. वरिष्ठ परामर्शदाता (मनो-सामाजिक सहायता) एवं सदस्य, एन.डी.एम.ए. के एस.आर.ओ., डॉ. ए.के. सिन्हा ने भी सम्मेलन में भाग लिया और विचार विमर्श के दौरान अति उल्लेखनीय योगदान दिया।

तीसरी भारतीय वैश्विक मनःचिकित्सकीय पहल सम्मेलन-2012, कोची (17 जनवरी, 2012)

5.52 तीसरी भारतीय वैश्विक मनःचिकित्सकीय पहल सम्मेलन, 2012 अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान, कोची में आयोजित किया गया। भारत, यू.एस.ए. यू.के., आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, तथा चीन से आए 500 से अधिक मनःचिकित्सक इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। मेजर जनरल (डॉ.) जे. के. बंसल, माननीय सदस्य एन.डी.एम.ए. ने अपना भाषण दिया। अपने मुख्य भाषण में उन्होंने श्रोताओं को जानकारी दी कि आपदा जान संपत्ति की हानि और शारीरिक क्षतियों के कारण जीवित लोगों को तीव्र मानसिक आघात तथा मनो-सामाजिक व्यवधान पहुंचाते हैं। शारीरिक आघात से शीघ्र छुटकारा मिल सकता है किंतु मनो समाजिक समस्याएं तथा मानसिक आघात रोगात्मक दुःख, अवसाद, उत्तेजना, तथा पश्च आघात तनाव विकार के रूप में लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। जनरल बंसल ने आपदा के परिणामस्वरूप मनो वैज्ञानिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए जीवित लोगों की दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य जटिलताओं के विकास को रोकने

के लिए समय पर मनो-सामाजिक सहायता को आपदा पीड़ितों की जिंदगी को पहले जैसा बनाकर, उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन (सी.आई.डी.एम-2011)

5.53 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फिक्की के साथ संयुक्त रूप से 19-20 मई, 2011 को जयपुर में, कारखाना और वॉयलर निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.) के सहयोग से "रसायनों, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद तथा प्राकृतिक गैस का सुरक्षित प्रसंस्करण, अपशिष्ट प्रबंधन, भंडारण और परिवहन" पर "सी.आई.डी.एम.-2011" एक मेगा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, माननीय आपदा और राहत मंत्री, राजस्थान सरकार, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री तथा माननीय सदस्य डॉ. मुजफ्फर अहमद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योगों मुख्यतः प्रथम कार्रवाईकर्ताओं, जिला/राज्य प्रशासन अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था। यह सम्मेलन जयपुर जिला प्रशासन के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित 21 मई, 2011 को आई.ओ.सी.एल. बोटिंग प्लांट सीतापुर में मॉक ड्रिल अभ्यास के पश्चात् किया गया था।

पूर्व अस्पताल आघात जीवन रक्षक पाठ्यक्रम (पी.एच.टी.एल.एस.) का भारत में जे.पी.एन. एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

5.54 जे.पी.एन. एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 28 फरवरी, 2012 से 4 मार्च, 2012 तक भारत में पूर्व-अस्पताल आघात जीवन रक्षक पाठ्यक्रम के प्रख्यापन (पी.एच.टी. एल.एस.) को जे.पी.एन. एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, एम्स, नई दिल्ली में आयोजित किया था जिसका उद्घाटन माननीय सदस्य डॉ. मुजफ्फर अहमद द्वारा किया गया था।

कोलकाता में रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर सम्मेलन (सी.आई.डी.एम-2011)

5.55 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन.जी.आर.बी.), पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यू.बी.एस.पी.सी.बी.), कारखाना निदेशालय, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल और फिक्की ने उद्योगों में आपात नियोजन, परिसंकट में अवशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित भंडारण, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, पाइप लाइनों और पी. ओ. एल. टैंकों के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन पर कोलकाता में 8 सितंबर से 9 सितंबर तक दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था। जनाब जावेद अहमद खान, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस स्थल पर और स्थल से दूर (ऑफ-साइट), दोनों की बेहतर संकट निवारण योजना बनाकर वैश्विक रूप से इंडस्ट्री को सुरक्षित बनाना और इस्तेमाल, भंडारण, वेयर हाउसिंग तथा खतरनाक अपशिष्ट, पाइप लाइनों या पी.ओ.एल. टैंकों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों तथा गैसों के परिवहन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है।

भारत में भूस्खलन, खतरा तथा जोखिम मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यशाला

5.56 श्री एम. शशिधर रेड्डी माननीय उपाध्यक्ष और डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हैदराबाद स्थित भारतीय भू-सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (जी.एस.आई.टी.आई.) में 15 नवंबर से 16 नवंबर, 2011 तक "भारत में भूस्खलन, संकट तथा जोखिम मूल्यांकन पर राष्ट्रीय कार्यशाला" में उपस्थित हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य अनुसंधान परियोजना की पद्धतियों और अन्य भारतीय संस्थानों द्वारा किए गए वैसे ही अध्ययनों पर चर्चा करना था। इस कार्यशाला ने भूस्खलन खतरा विश्लेषण की विभिन्न अति आधुनिक तकनीकों संबंधी ज्ञान तथा भावी अध्ययन और सहयोगों की संभावनाओं को अद्यतन करने का अवसर प्रदान किया।

रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी. सी.आई.डी.एम.)

5.57 रसायन औद्योगिक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशाला 6 दिसंबर, 2011 को श्री एम. शशिधर रेड्डी माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में डी.एम.आई. भोपाल में आयोजित की गई थी, और डॉ. मुजफ्फर अहमद, माननीय सदस्य, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, गृह विभाग, ई.डी., डी.एम.आई, भोपाल, निदेशक, एम.ओ.ई.एफ., डॉ. राकेश दुबे, निदेशक, डी.एम.आई. ने प्रारूप कार्य योजना पर प्रस्तुति दी और विस्तार से इसे स्पष्ट किया। चर्चा के दौरान माननीय उपाध्यक्ष और सदस्य ने कार्य योजना में संशोधनों का सुझाव दिया।

आपदा में चिकित्सा कार्रवाई पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

5.58 "आपदा में चिकित्सा कार्रवाई पर राष्ट्रीय संगोष्ठी 12 नवंबर, 2011 को सेंटेनरी ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, कोलकाता में स्वास्थ्य, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और आम आदमी" पर के पांचवे अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा केंद्र सम्मेलन के अवसर पर आयोजित की गई थी। संपूर्ण देश से 1000 से अधिक प्रतिनिधियों, विख्यात अध्यापकों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों और सभी वर्गों के चिकित्सा व्यवसाय के सभी तंत्रों के व्यावसायियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। संगोष्ठी में ये विषय अर्थात् (क) भारत के संदर्भ में आपदाओं में अवधारणाएं और मुद्दे (ख) आपदा कार्य बल तथा आपदा प्रबंधन (ग) आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य को खतरे और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे।

आई.पी.एच.ए का 56वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन, कोच्ची

5.58 भारतीय जन स्वास्थ्य संघ (आई.पी.एच.ए.) कोच्ची, केरल ने 10 फरवरी से 12 फरवरी, 2012 तक भारतीय जन स्वास्थ्य संघ (आई.पी.एच.ए.) का 56वां वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। डॉ. मुजफ्फर अहमद, माननीय सदस्य को आपदा प्रबंधन पर एक पत्र प्रस्तुत करने तथा "12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के लिए जन स्वास्थ्य

प्राथमिकताएं” पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिनिधियों को भारतीय परिवेश में आपदा प्रबंधन के लिए प्रयुक्त रणनीतियों तथा उसके महत्त्व के बारे में जानकारी देना था।

जे.पी.एन. एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर, एम्स सहित उन्नत आघात जीवन रक्षा पर महत्वाकांक्षी परियोजना की अवधारणा

5.59 आपात स्थितियों और आपदाओं के दौरान होने वाले आघातों के मामलों से निपटने की सक्षमता और सामर्थ्य के अभाव को ध्यान में रखते हुए, आघात जीवन रक्षा में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पर चिकित्सा और पराचिकित्सा को लक्ष्य बनाते हुए महत्वाकांक्षी परियोजना को तैयार करने के लिए 4 अप्रैल, 2011 को प्रो. एम. सी. मिश्रा, शल्य विभाग-अध्यक्ष तथा प्रमुख, जे. पी. एन. एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर, एम्स के साथ एन.डी.एम.ए. ने बैठक की थी जिसमें आघात से निपटने के लिए क्षमता निर्माण उपलब्ध कराने एवं मास्टर प्रशिक्षक सृजित करने के लिए पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

5 मई, 2011 को नगरोटा, जम्मू में जम्मू-कश्मीर पर विशेष फोकस सहित आपदा प्रबंधन और सेना की भूमिका पर संगोष्ठी

5.60 सदस्य, एन.डी.एम.ए. डॉ. मुजफ्फर अहमद ने 5 मई, 2011 को नगरोटा जम्मू में उत्तरी सेना कमान द्वारा आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन किया जिसमें क्षेत्र में आपदा प्रबंधन तथा सेना की भूमिका पर फोकस किया गया था। इस संगोष्ठी में न केवल सेना से आए अधिकारियों ने भाग लिया बल्कि राज्य सरकार मशीनरी एवं अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों से आए अधिकारियों ने भी भाग लिया।

अमरनाथ यात्रा, 2011 से संबंधित सुरक्षा पहलुओं पर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के साथ एन.डी.एम.ए. की बातचीत

5.61 डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, एन.डी.एम.ए. और सचिव, आंतरिक सुरक्षा, भारत सरकार ने वर्ष 2011 के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए अनेक सुरक्षा पहलुओं पर चर्चाओं के संबंध में 18 जून, 2011 को राजभवन

में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री एन.एन. वोहरा से मुलाकात की। चर्चाओं के दौरान, श्री वोहरा और डॉ. मुजफ्फर अहमद ने अमरनाथ यात्रा 2011 के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना को कार्यान्वित करने के लिए पद्धतियों पर चर्चा की थी। इस संदर्भ में, डॉ. मुजफ्फर अहमद और श्री जे. के. सिन्हा, सदस्य, एन.डी.एम.ए. के पर्यवेक्षणाधीन दो एन.डी.एम.ए. दलों ने 25 जून, 2011 को अमरनाथ यात्रियों के लिए बालटाल तथा नुनवाँ बेस कैम्पों में साथ-साथ टेबल टॉप और कृत्रिम कवायद के अभ्यासों का संचालन किया था।

ऋण स्कीमों में डी.आर.आर. को मुख्य स्थान देने के लिए उधार देने वाली बैंकिंग संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए बैठक

5.62 विद्युत सेक्टर, परिवहन सेक्टर, अवसंरचना सेक्टर तथा दूरसंचार सेक्टर में ऋण स्कीमों के डी.आर.आर. को मुख्य स्थान देने के लिए बैंकिंग/उधार देने वाली संस्थाओं के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए बैठकें 10 जुलाई, 2011, 26 जुलाई, 2011, 10 अगस्त, 2011 और 30 अगस्त, 2011 को एन.डी.एम.ए. के सदस्य डॉ. मुजफ्फर अहमद की अध्यक्षता में आयोजित की गई थीं।

उप राज्यपाल, दिल्ली सरकार के साथ बैठक

5.63 "प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भवन उप-नियमों के उपयुक्त सुदृढीकरण" के संबंध में 24 अक्टूबर, 2011 को राजभवन में उप राज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता में एक बैठक राज निवास में आयोजित की गई थी जिसमें उपाध्यक्ष एवं डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, एन.डी.एम.ए. ने भाग लिया था। इस बैठक में, यह निर्णय किया गया था कि एन.डी.एम.ए. दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा दिल्ली सरकार के अन्य सरकारी अभिकरणों में कार्यरत सरकारी इंजीनियरों, वास्तुविदों और नगर योजनाकारों का अभ्यास कराने के लिए त्वरित दृश्य प्रदर्शन (आर.वी.एस) प्रशिक्षक कार्यक्रम का प्रशिक्षण संचालित करेगा। विशेषज्ञों से मिलकर समिति का गठन करने का भी निर्णय किया गया था जिससे प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाया जा सके और तत्पश्चात प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

लेह लद्दाख पुनर्निर्माण (पश्च-2010 बादल फटने की घटना) पर परामर्शी गोलमेज बैठक

5.64 बादल फटने और बाढ़ आने के पश्चात्, जिसने 6 अगस्त, 2010 को लेह का विनाश कर दिया था, माननीय उपाध्यक्ष एन. डी. एम. ए. ने सदस्य मुजफ्फर अहमद के साथ फरवरी, 2011 में लेह का दौरा किया और जिला प्रशासन से आए पदाधिकारियों एवं लेह के लोगों की उपस्थिति में मुख्य कार्यपालक पार्षद, लद्दाख को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से एन.डी.एम.ए. द्वारा निर्मित सोलह पूर्व निर्मित शेल्टर सौंपे। माननीय उपाध्यक्ष और सदस्य डॉ. मुजफ्फर अहमद ने 14 फरवरी, 2011 को निदेशक टाटा समाज विज्ञान संस्थान, कार्यपालक पार्षदों तथा लेह के गांवों के पार्षदों के साथ आए अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पार्षदों के साथ इंटरएक्टिव सेशन भी किया था। इसके पश्चात् स्फेयर इंडिया और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों, जिन्होंने लेह में विनाशकारी बादल फटने के पश्चात् लेह लद्दाख में सहायता प्रदान की थी, की सहायता से 5 अप्रैल, 2011 को लद्दाख पुनर्निर्माण पर समर्थन गोलमेज बैठक भी एन.डी.एम.ए. नई दिल्ली में आयोजित की थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में वरिष्ठ चिकित्सालय प्रशासकों के लिए 86वां चिकित्सालय प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

5.65 डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य एन.डी.एम.ए. ने 12 सितंबर, 2011 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में वरिष्ठ चिकित्सालय प्रशासकों के लिए 86वें चिकित्सालय प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन में जन स्वास्थ्य प्रबंधकों की भूमिका पर एक व्याख्यान दिया।

14 दिसंबर, 2011 को आई.आई.सी. में आपदा के प्रति कार्रवाई में जातिगत भेदभाव का समाधान संबंधी राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन

5.66 डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य एन.डी.एम.ए. ने 14 दिसंबर, 2011 को स्फेयर इंडिया द्वारा आयोजित आपदा के प्रति कार्रवाई में जातिगत भेदभाव का समाधान संबंधी राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का उद्घाटन

किया और उसी दिन साथ में असम सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई जिसमें गुवाहाटी स्थित आपदा प्रबंधन व्यवस्था संचालन के लिए अपर सचिव (राजस्व) गुवाहाटी, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशक, अग्नि सेवाएं सम्मिलित थे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान

5.67 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखीकरण तथा नीति समर्थन के लिए नोडल राष्ट्रीय उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 16 अक्टूबर, 2013 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र से उन्नयन पश्चात् बना, एन. आई. डी. एम. सभी स्तरों पर निवारण और तत्परता की संस्कृति को विकसित और संवर्धित करके आपदा समुत्थानशील भारत बनाने के अपने मिशन को साकार करने में तेजी से अग्रसर हो रहा है। 2011-12 के दौरान एन.आई.डी.एम. द्वारा की गई मुख्य गतिविधियां उत्तरवर्ती पैराओं में उल्लिखित की गई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.68 एन.आई.डी.एम. ने 89 आमने-सामने (फेस टू फेस) प्रशिक्षण कार्यक्रम और 15 वेब आधारित ऑन लाइन पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं। इनमें क्रमशः 2,486 और 1,021 सहभागी उपस्थित हुए थे।

अफ्रीकी देश के पदाधिकारियों के लिए व्यापक आपदा जोखिम प्रबंध प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.69 एन.आई.डी.एम. ने भारत - अफ्रीका सहयोग के अंतर्गत अफ्रीकी देशों के पदाधिकारियों के लिए 19 सितंबर, 2011 से 30 सितंबर, 2011 तक दूसरा "व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया था। तेरह देशों से पच्चीस सहभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एच.ई. सुश्री निमिशा मधवानी, उच्चायुक्त, युगांडा उच्चायोग तथा श्री गुरजीत सिंह अपर सचिव (ई. एंड. एस.ए.), विदेश मंत्रालय समारोह के मुख्य अतिथि थे। अन्य उच्च

पदस्थ अधिकारियों में श्री आर. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (डी.एम.), गृह मंत्रालय तथा श्री लोकेश झा, संयुक्त सचिव (पी.पी.), गृह मंत्रालय सम्मिलित थे।

कार्यशालाएं/सम्मेलन

आपदा प्रबंधन संबंधी पर्यावरणीय जानकारी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

5.70 आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी पर्यावरणीय जानकारी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ई.के.डी.आर.एम.-2011) भारत में पर्यावरणीय प्रबंध कार्यक्रम में सलाहकारी सेवाएं (ए.एस.ई.एम.) के तत्ववाधान में ड्यूशी जेसेलसेफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनारबेट (जी.आई.जेड) जी.एम.बी.एच. एन.आई.डी.एम. के सहयोग के भाग के रूप में 10-11 मई, 2011 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 5 विषयक सत्र हुए एवं 42 पेपर प्रस्तुत किए गए थे।

जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन

5.71 भारत जल भागीदारी अपनी मेजबानी संस्था, एन.आई.डी.एम. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से मानव विकास संस्थान (आई.एच.डी.) के साथ एन.आई.डी.एम. में 26 नवंबर, 2011 को एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। एन.डी.एम.ए. एन.आई.डी.एम., भारत मौसम विभाग (आई.एम.डी.) राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम अनुमान केंद्र, विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञ, आई. डब्ल्यू. पी. नेटवर्क तथा क्षेत्रीय जल भागीदार, कारपोरेट सेक्टर, संयुक्त राष्ट्र अभिकरण तथा अंतरराष्ट्रीय सहायता अभिकरण और आई.एन.जी.ओ. प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चयनित सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रीय गोल मेज सम्मेलन में चर्चित मुख्य विषय थे भारत में बढ़ती हुई उग्र घटनाओं की संख्या के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को जल मौसम विज्ञान आपदा में बदलना, स्थानीय स्तर पर देश में बदलती हुई संवेदनशीलता के लिए जोखिम में कमी लाने की रणनीति, प्रशमन, अनुकूलन तथा आपदा जोखिम प्रबंधन, विकास को बनाए रखने के लिए गैर-पारंपरिक रणनीति के लिए नवाचार, और भूमि तथा जल प्रबंधन। राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन

में भावी नीति हस्तक्षेप और दस्तावेज विभिन्न हितधारकों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए कार्यक्रम हेतु एक नीति दस्तावेज बनाने पर सहमति हुई।

सिविकम भूकंप पर राष्ट्रीय कार्यशाला

5.72 एन.आई.डी.एम. ने दिल्ली के अपने परिसर में 9 फरवरी, 2012 को प्रभावित क्षेत्र के समुत्थान, पुनर्वास तथा पुनः विकास के लिए मार्गदर्शी कार्य योजना तैयार करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों की टीका-टिप्पणियां, फीडबैक तथा सुझाव मांगने के लिए एक दिवसीय चिन्तन राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला ने उन सभी हितधारकों को लाने का, जिन्होंने भूकम्पोत्तर प्रचालनों के दौरान कार्य किया था तथा सिविकम भूकंप के पश्चात् हालात वाले अपने अनुभव के आधार पर सीखे पाठों को प्रलेखीकृत करने के लिए योजना बनाने वालों, नीति निर्माताओं तथा निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया था। कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.), सेना, वायुसेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी) सेना, राज्य पुलिस, नागरिक सुरक्षा, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य स्वयं सेवकों जैसे अभिकरणों द्वारा कार्रवाई, राहत और पुनर्वास प्रचालनों से संबंधित मुद्दों पर मुख्यतः फोकस किया था। संबद्ध राज्य सरकार लाइन अभिकरणों, सीमा सड़क संगठन, तीस्ता ऊर्जा, पब्लिक सेक्टर यूनियनों तथा अन्य द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में अत्यावश्यक सुविधाओं की पुनर्बहाली, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा गठित विशेषज्ञ दलों द्वारा संचालित नुकसान एवं हानि निर्धारण सर्वेक्षण। दल में आई.आई.टी. आई.आई.आर.एस., टी.आई.एस.एस. तथा अन्य सम्मिलित थे। कार्यशाला में 70 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भूस्खलन तथा आपदा प्रबंधन पर संयुक्त भारत जापान प्रशिक्षण-सह-क्षेत्रीय कार्यशाला

5.73 एन.आई.डी.एम. ने 13 फरवरी, 2012 से 17 फरवरी, 2012 के दौरान मुराजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग सिविकम सरकार के साथ संयुक्त रूप से

दूसरा भारत-जापान प्रशिक्षण सह-क्षेत्रीय कार्यशाला गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की है। कार्यक्रम का उद्घाटन संसद सदस्यों, मंत्रियों, संसदीय सचिव, सिक्किम सरकार में विभिन्न अन्य विभागों से सचिवों जिला मजिस्ट्रेट, नगर मेयर तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों और साथ ही सिक्किम सरकार के संबद्ध विभागों, मीडिया, जी.एस.आई. एम. ओ. आर.टी.एच. बी. आर.ओ. आदि की उपस्थिति में मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार द्वारा किया गया था। लगभग 400 व्यक्ति इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित थे। छियानवे सहभागी जिनमें उन्नीस जापानी प्रतिनिधि थे, भी कार्यशाला में उपस्थित थे।

वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन

5.74 सातवां वार्षिक प्रशिक्षण सम्मेलन एन.आई.डी. एम., नई दिल्ली में 27-28 फरवरी, 2012 के दौरान आयोजित किया गया था। संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन (एम.एच.ए.) निदेशक, एन.डी.एम. (एम.एच.ए.) महानिदेशक/प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के निदेशक (ए.टी.आई.), केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि, ए.टी.आई./प्रशिक्षण संस्थाओं से आपदा प्रबंधन (सी.डी.एम.) केंद्र के राज्य प्रमुख/संकाय सदस्य इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इस सम्मेलन के दौरान चर्चा किए गए विषय में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन करने में प्रत्येक सी.डी.एम. द्वारा की गई प्रगति, विभिन्न सेक्टरों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मुख्य स्थान देना, प्रत्येक सी.डी.एम. द्वारा निधियों का उपयोग तथा मार्च, 2012 के पश्चात् रकीम को चालू रखना था। एन.डी.एम.ए. के राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.पी.) पर भी एन.डी.एम.ए. से आए प्रतिनिधि द्वारा सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई थी।

भूस्खलन प्रबंधन तथा क्षेत्रीय अध्ययन पर राष्ट्रीय सम्मेलन

5.75 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, विश्व भूस्खलन आपदा न्यूनीकरण संबंधी उत्कृष्टता केंद्र (आई.सी.एल. और आई.पी.एल., आई.एस.डी.आर) ने 22 मार्च, 2012 से 24 मार्च, 2012 के दौरान नैनीताल में भूस्खलन प्रबंधन तथा क्षेत्रीय अध्ययन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त रूप से आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल, राष्ट्रीय भूस्खलन

उत्कृष्टता केंद्र (एन.आई.डी.एम., गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त) के सहयोग से, आयोजित किया था। सारांश कार्यवाहियों के रूप में एक प्रकाशन प्रकाशित किया गया तथा सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों के साथ उस पर विचार-विमर्श किया था।

आपदा न्यूनीकरण दिवस

5.76 एन.आई.डी.एम. ने अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के आधार पर जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में मनाया जाता है, 12 अक्टूबर, 2011 को नई दिल्ली में एन.आई.डी.एम. ने "आपदा न्यूनीकरण दिवस" मनाया। श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, माननीय राज्य गृह मंत्री कार्य-समारोह के मुख्य अतिथि थे। विभिन्न क्रियाकलाप, पोस्टर तथा चित्रकारी प्रतियोगिता, नारे लेखन, हिंदी और अंग्रेजी का स्कूली बच्चों के लिए आयोजन किया गया। युवा और बालकों में आपदा न्यूनीकरण के संबंध में जागरूकता की पहलों को चिह्नित करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैलियां तथा विशेष आख्यान आयोजित किए गए थे। राज्य सरकारों ने भी आपदा न्यूनीकरण दिवस को मनाया।

अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस

5.77 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने एन.आई.डी.एम. भवन के सम्मेलन कक्ष में 2 दिसंबर, 2011 को अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस (आई.डी.पी.डी.) मनाया था। संस्थान व्यापक रूप से वर्ष 2011 का आई.डी.पी.डी. थीम, "सभी के सुनहरी भविष्य के लिए परस्पर जुड़े : विकास में विकलांग लोगों को शामिल करें" का समर्थन करता है। चूंकि आपदा प्रबंधन एक मुख्य विकास का मुद्दा है और समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण ढांचे का पूरे विश्व में सभी आपदा प्रबंधन तथा विकलांगता प्रबंधन हितधारकों द्वारा समर्थन किया जा रहा है, एन.आई.डी.एम. ने इस मुद्दे पर दो विषयक व्याख्यानों की व्यवस्था करते हुए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों एवं स्कूलों से लगभग 50 व्यक्ति उपस्थित हुए थे। दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य आपदा संदर्भ में विकलांगता मुद्दों के बोध को संवर्धित करना और विकलांग व्यक्तियों की गरिमा, अधिकारों तथा कल्याण के लिए सहायता जुटाना है।

एन.आई.डी.एम. - ई.-लर्निंग स्व-अध्ययन कार्यक्रम

5.78 एन.आई.डी.एम. ने सी.-डेक की तकनीकी सहायता से आपदा प्रबंधन पर ई.-लर्निंग स्व-अध्ययन कार्यक्रम तैयार किया है और उसे आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर 12 अक्टूबर, 2011 को लांच किया है। इस पाठ्यक्रम के लक्ष्य समूह साधारण जनता तथा सरकारी पदाधिकारी एवं अन्य हितधारक हैं। आपदा प्रबंधन पर ये स्व-अध्ययन, कार्यक्रम तक सुविधाजनक समय में तथा निःशुल्क उपभोक्ता की सुविधानुसार विश्व में किसी भी स्थान से कहीं भी पहुंचा जा सकता है। स्कूल सुरक्षा, समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन, औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएं, भूस्खलन जोखिम प्रशमन, भूकंप जोखिम प्रशमन आदि पर विशेष पाठ्यक्रमों के लिए जैसे ही स्व-अध्ययन मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं और शीघ्र ही लांच किए जाएंगे।

प्रशिक्षण मॉड्यूल

5.79 एन.आई.डी.एम. ने वर्ष 2011-2012 के दौरान रासायनिक (औद्योगिक) आपदा समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर दो प्रशिक्षण मॉड्यूल निकाले हैं। इसने भारत सरकार यू.एन.डी.पी.डी.आर. आर. कार्यक्रम के अधीन 6 मॉड्यूल/प्रणाली विज्ञान/दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं।

एन.आई.डी.एम. को "विश्व भूस्खलन जोखिम कमी संबंधी उत्कृष्टता केंद्र" की उपाधि प्रदत्त की गई

5.80 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) नई दिल्ली, भारत को 3 अक्टूबर, 2011 तथा 7 अक्टूबर, 2011 के बीच एफ.ए.ओ. मुख्यालय, रोम, इटली में आयोजित दूसरे विश्व भूस्खलन मंच के दौरान अंतरराष्ट्रीय आपदा कमी रणनीति के अधीन अंतरराष्ट्रीय भूस्खलन कार्यक्रम (आई.पी.एल., आई.एस. डी.आर.) के अंतरराष्ट्रीय भूस्खलन संघ (आई.सी.एल.) और विश्व संवर्धन समिति (जी.पी.सी.डब्ल्यू) द्वारा "विश्व भूस्खलन जोखिम कमी संबंधी उत्कृष्टता केंद्र" की उपाधि प्रदान की गई है। अब एन.आई.डी.एम. उन 15 संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एक है जिन्हें

आई.पी.एल.-आई.एस.डी.आर. तथा आई.सी.एल. की जी.पी.सी. द्वारा डब्ल्यू.सी.ओ.ई.एस. (WCoES) के रूप में पहचाना गया है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर एन.आई.डी.एम.

5.81 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एन.आई.डी.एम. ने निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया है :-

- डॉ. संतोष कुमार, प्रोफेसर तथा नीति योजना तथा विविध विषय प्रभाग के अध्यक्ष 8 मई, 2011 से 13 मई, 2011 के दौरान जेनेवा, स्विटजरलैंड में आपदा जोखिम कमी संबंधी वैश्विक मंच के तीसरे सत्र में उपस्थित हुए।
- डॉ. अनिल के. गुप्ता ने 23 मई से 26 मई, 2011 के दौरान एक संसाधन उपलब्धकर्ता के रूप में पर्यावरण और आपदा जोखिम कमी पर भागीदारी (पी.ई.डी.डी.आर.आर.) के अंतर्गत आयोजित आपदा जोखिम कमी के लिए पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पर महत्वाकांक्षी प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया और कोलम्बो, श्रीलंका में आयोजित नार्थ प्रोविन्स की सामरिक पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट के लांच में उपस्थित हुए।
- सुश्री श्रीजा एस. नायर 23 मई से 26 मई, 2011 के दौरान पर्यावरण और आपदा जोखिम कमी पर भागीदारी के अंतर्गत आयोजित आपदा जोखिम कमी के लिए पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण पर महत्वाकांक्षी प्रशिक्षण कार्यशाला में और कोलम्बो श्रीलंका में आयोजित नार्थ प्रोविन्स की सामरिक पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट के लांच में उपस्थित हुई थीं।
- आपदा प्रबंधन पर चौथी रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय विशेषज्ञ बैठक सेंट पीटर्सवर्ग में 6-9 सितंबर, 2011 के दौरान आपातस्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं के परिणामों का विलोपन रशियन फेडरेशन फॉर सिविल डिफेंस मंत्रालय द्वारा आयोजित

- की गई थी। डॉ. सतेंद्र, भारतीय विदेश सेवा, कार्यकारी निदेशक, एन.आई.डी.एम. को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्री आर. के. श्रीवास्तव संयुक्त सचिव, डी.एम. गृह मंत्रालय के नेतृत्व में पांच सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भेजा गया था।
- डॉ. सतेंद्र, ई.डी., एन.आई.डी.एम. ने 13-19 नवंबर, 2011 के दौरान पेशेवर आदान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन आपदा प्रबंध सेक्टर से आए वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों के साथ संयुक्त राज्यों में विभिन्न संस्थानों तथा संगठनों का दौरा किया।
 - डॉ. सूर्य प्रकाश, एसोसियेट प्रोफेसर ने रोम में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की मेजबानी में उसके मुख्यालय भवन 30 सितंबर से 9 अक्टूबर के दौरान भूस्खलन शिक्षा, प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास पर सत्र के संचालक के रूप में दूसरे विश्व भूस्खलन मंच में भाग लिया।
 - डॉ. सुजाता सत्पथी ने 19-20 दिसंबर, 2011 को जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित "पूर्वी एशिया में आपदा के आर्थिक तथा कल्याणकारी प्रभाव एवं नीति प्रत्युत्तर" पर आसियान आर्थिक अनुसंधान संस्थान तथा पूर्वी एशिया (ई.आर.आई.ए.) कार्यशाला में भाग लिया।
 - श्री विश्वनाथ दास, सहायक प्रोफेसर, एन. आई.डी.एम., जापान के कैबिनेट कार्यालय, यू.एन.-ई.एस.सी.ए.पी. और ए.डी.आर.सी. द्वारा आयोजित 16 से 18 दिसंबर, 2011 के दौरान टोक्यो और इवेट में हुई महान भूकंप तथा महा सुनामी जापान, 2011 से सीखे गए सबकों पर द्वितीय विशेषज्ञ समूह बैठक में उपस्थित हुए थे।
 - डॉ. सुजाता सत्पथी बीजिंग, चीन में 18 फरवरी - 22 फरवरी, 2012 के दौरान हुई "आपदा के पश्चात मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप" पर 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में उपस्थित हुई थी जिसे मनोविज्ञान संस्थान, चीनी विज्ञान अकादमी की सहायता से तथा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद (आई.सी.एस.यू.) द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक विज्ञान कांग्रेस (IUPsyS) द्वारा आयोजित किया गया था।

मैडागास्कर से प्रतिनिधि मंडल का दौरा

5.82 चक्रवात जोखिम प्रशमन और प्रबंधन के भारतीय अनुभव से सीखने के लिए 29 फरवरी, 2012 को मदागास्कर से आए प्रतिनिधि मंडल ने एन.आई.डी.एम. का दौरा किया था। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रधान मंत्री कार्यालय, भूमि तथा जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन आदि के वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने एन.आई.डी.एम. के संकाय सदस्यों के साथ चक्रवात और आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।

9 फरवरी, 2012 को भारत मौसम विभाग से आए प्रशिक्षणार्थियों का दौरा

5.83 भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) दिल्ली जो क्षेत्रीय मौसम सेवा केंद्र भी है, में प्रशिक्षण ले रहे वैज्ञानिकों के एक दल ने आपदा प्रबंधन संबद्ध मुद्दों को समझने के लिए एन.आई.डी.एम. का दौरा किया। इस दल में थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव से पूर्वानुमानकर्ता (फोरकास्टर्स) और भारत के विभिन्न अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने सुरक्षित निकास, संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक प्रशमन उपायों से संबंधित मुद्दों पर एन.आई.डी.एम. के संकाय सदस्यों के साथ चर्चा की थी।

6

कृत्रिम अभ्यास/ड्रिल, आई.आर.एस. का कार्यान्वयन तथा जागरुकता सृजन

प्रस्तावना

6.1 यह मानते हुए कि जागरुकता आपदा प्रबंधन और समुदाय तैयारी के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण का आधार है, एन.डी.एम.ए. ने इस संबंध में अनेक पहलें आरंभ की हैं। चालू कार्यक्रम के रूप में कृत्रिम अभ्यास/ड्रिलें, जिला/उद्यम स्तरों पर जागरुकता सृजन, योजना बनाने तथा संसाधनों में मौजूद खामियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। आपदा जोखिमों और असुरक्षितताओं के बारे में समुदाय को समझाने के लिए इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है। जागरुकता सृजन पर ध्यान केंद्रित किए जाने के लिए साक्षात्कार लेख और प्रेस विज्ञप्तियां जारी किए जा रहे हैं। कृत्रिम अभ्यास अति महत्वपूर्ण पहलों में से एक पहल है जिसे एन.डी.एम.ए. ने प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं दोनों के लिए आपदा प्रबंधन की अपनी कारगरता की समीक्षा करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को सुकर बनाने हेतु आरंभ किया है और जन जागरुकता सृजित करने के साथ कार्रवाई क्षमताओं का मूल्यांकन करना आरंभ किया है। ये अभ्यास राज्य सरकारों की सिफारिशों पर अति संवेदनशील (असुरक्षित) जिलों और उद्योगों में संचालित किए जाते हैं।

कृत्रिम अभ्यास

6.2 कृत्रिम अभ्यासों का उद्देश्य आपात कार्रवाई योजनाओं की पर्याप्तता तथा प्रभावोत्पादकता की जांच करना, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का उल्लेख करना, विभिन्न आपातकालीन सहायता कार्यों के प्रयासों के समन्वयन को वर्धित करना, तथा उन्हें सह-क्रियाशील बनाना, संसाधनों, जन शक्ति, उपस्कर, संचार और प्रणालियों में खामियों का पता लगाना है। यह अभ्यास आपदाओं का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए अति संवेदनशील समूहों को भी सशक्त बनाते हैं।

6.3 ये अभ्यास चरण-दर-चरण (स्टेप-बाई-स्टेप) तरीके को अपनाकर एक सुनियोजित और व्यापक रीति से आयोजित किए जाते हैं। प्रारंभिक चरण में, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को उजागर करने के लिए विषय-अनुकूलन एवं समन्वयन सम्मेलन आयोजित किया जाता है। अगले चरण में, अनुकरण किए गए परिदृश्यों में हितधारकों की कार्रवाई जानने के लिए टेबल टॉप अभ्यास किए जाते हैं। संपूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करने के लिए इन परिदृश्यों को निरूपित किया जाता है। इस चरण के अंत में, जो सबक निकलकर आते हैं वे सभी सहभागियों से साझा किए जाते हैं और सहभागियों को उनकी प्रतिक्रियाएं जानने के लिए काफी समय दिया जाता है तथा कृत्रिम अभ्यास के वास्तविक संचालन से पहले उनके अधीनस्थों को प्रशिक्षित किया जाता है। अभ्यास परिकल्पित परिदृश्य पर किया जाता है तथा विभिन्न सहभागियों की कार्रवाई को ध्यान में रखकर वह उत्तरोत्तर बढ़ता है। उस अभ्यास को मॉनीटर करने के लिए अनेक प्रेक्षकों को भी रखा जाता है तथा सहभागियों के अलावा, समाज से आए दर्शकों और हितधारकों को भी कृत्रिम अभ्यासदेखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृत्रिम अभ्यास के बाद विस्तृत जानकारी दी जाती है जिसमें प्रेक्षकों से अपना फीडबैक देने के लिए कहा जाता है। इन अभ्यासों में पाई गई कमियों के बारे में राज्य और जिला प्रशासन को और विभिन्न उद्योगों के प्रबंधन वर्ग को भी संसूचित किया जाता है।

6.4 जमीनी स्तर पर तैयारी की संस्कृति पैदा करने में कृत्रिम अभ्यास बड़ा सहायक रहा है। इनमें से अधिकांश अभ्यासों में समुदाय और छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया है। जिला प्रशासन, निगमित सेक्टर और अन्य प्रथम कार्रवाईकर्ताओं ने अपार उत्साह दर्शाया है। इन अधिकांश अभ्यासों में निर्वाचित जन प्रतिनिधि और राज्य के स्तर पर वरिष्ठ

अधिकारीजन उपस्थित रहे। इन अभ्यासों का स्थानीय प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी जमकर प्रचार किया और इस प्रकार उन्होंने लोगों की बड़ी संख्या में जागरूकता सृजन का काम किया।

देश के सभी नाभिकीय शक्ति संयंत्रों में कृत्रिम अभ्यास

6.5 1 जून, 2011 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने सभी आपदाओं के लिए सामान्य रूप से भारत की आपदा तैयारी का विशिष्टतया फुकुशिमा, जापान में नाभिकीय आपातस्थिति के परिणामस्वरूप भारत में नाभिकीय आपातस्थितियों के लिए तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने यह स्पष्ट निर्देश दिया कि भारत को नाभिकीय आपातस्थिति के प्रति कार्रवाई क्षमता विश्व श्रेणी की रखनी चाहिए। उन्होंने एन.डी.आर.एफ. क्षमता तथा जापानी सरकार की सहायता करने के लिए जापान में एन.डी.आर.एफ. द्वारा उनके कार्रवाई प्रयासों में किए गए मानवतावादी कार्य की प्रशंसा की। जापान



के प्रधानमंत्री ने स्वयं एन.डी.आर.एफ. द्वारा किए गए कार्य की सराहना की।

6.6 प्रधानमंत्री से प्राप्त हुए निर्देशों पर, एन.डी.एम.ए. ने देश में पहली बार दो दिवसीय ऑफ-साइट

प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा छह राज्यों में फैले देश के सभी परमाणु शक्ति संयंत्रों में नाभिकीय आपातस्थितियों पर कृत्रिम अभ्यास किए। इसका नेतृत्व एन.डी.एम.ए. के उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी ने स्वयं, एन.डी.एम.ए. के सदस्यों श्री बी. भट्टाचारजी, भूतपूर्व निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और श्री जे. के. सिन्हा, भूतपूर्व महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और वरिष्ठ विशेषज्ञ मेजर जनरल ;सेवानिवृत्त श्री बी. के. दत्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ, श्री शिवाजी सिंह (सेवानिवृत्त), महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल और श्री बी.बी. गडनायक, विशेषज्ञ, आई.आर.एस. के साथ किया। एन.डी.आर.एफ. से उनके अपने सभी उपस्करों सहित सैनिक टुकड़ियों ने भी भाग लिया और स्थानीय प्रशासन और लोगों के समक्ष नाभिकीय कार्रवाई तथा विसंदूषण प्रक्रियाओं के संबंध में प्रदर्शन (डिमांस्ट्रेशन) किया।



6.7 नाभिकीय शक्ति संयंत्रों के विभिन्न स्थलों पर संचालित किए गए कृत्रिम अभ्यासों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	तारीख	स्थान
1.	10-11 जून, 2011	तारापुर अणु शक्ति केंद्र, जिला थाणे, महाराष्ट्र
2.	12-13 जुलाई, 2011	मद्रास अणु शक्ति केंद्र, कलपक्कम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु
3.	22-23 जुलाई, 2011	नरोरा अणु शक्ति केंद्र, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
4.	02-03 अगस्त, 2011	कैगा अणु शक्ति केंद्र (एटोमिक पावर स्टेशन), जिला उत्तर कन्नड़, कर्नाटक
5.	11-12 अगस्त, 2011	ककरापर अणु शक्ति केंद्र, जिला सूरत, गुजरात
6.	17-18 अगस्त, 2011	रावतभाटा अणु शक्ति केंद्र, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान

6.8 प्रत्येक स्थान पर कार्यशाला के दौरान उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए., श्री एम. शशिधर रेड्डी ने स्वयं सदस्य, एन.डी.एम.ए. श्री बी. भट्टाचारजी और श्री जे. के. सिन्हा के साथ, जिला प्रशासन और एन.पी.सी. आई.एल. प्राधिकारियों से एक विस्तृत योजना तैयार करने के महत्त्व के बारे में आग्रह किया जिसके अंतर्गत विभिन्न आपातकालीन योजना जोन तथा विभिन्न बचाव कार्यों के लिए नियमित कृत्रिम अभ्यास/ड्रिल संचालित करना शामिल है। यह स्पष्ट किया गया था कि इससे तत्काल स्थितियों तथा उन वास्तविक कठिनाइयों को व्यापक रूप से महसूस करने तथा समझने में सहायता मिलेगी जो सुरक्षित निकास तथा विभिन्न बचाव कार्यों को समझने में भी सामने आती हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया था कि प्रत्येक स्थान में समग्र निर्णय सहायता प्रणाली और पर्याप्त प्रचुरता सहित त्रुटि रहित संचार क्षमता के साथ उचित आपातकालीन प्रचालन केंद्र, ई.ओ.सी.द्ध होना चाहिए। निर्णय सहायता प्रणाली को विभिन्न सूचना स्तरों के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली, जी.आई.एस.द्ध सहित वेब पर आधारित होना चाहिए जिसके अंतर्गत सड़क, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य अपेक्षित सुविधाएं हों। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण था क्योंकि नाभिकीय आपातस्थितियों में तत्काल सूचना की अपेक्षा की जाएगी और तुरंत निर्णय करना होगा। निर्णय करने में विलंब विनाशकारी बन सकता है।

6.9 चूंकि, नाभिकीय आपातस्थितियों के मामले में, **“क्या करें और क्या न करें”** के बारे में लोगों में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता होती है, इसलिए इस बात पर जोर दिया गया था कि ऐसे स्थानों पर स्थित नागरिक सुरक्षा सेटअप का पुनर्गठन करना चाहिए और उसे सक्रिय बनाना चाहिए। उन्हें संपूर्ण जिले में लोगों में जन जागरूकता कार्यक्रम और बड़े पैमाने पर लोगों के प्रशिक्षण के लिए अग्रसर होने में समर्थ होना चाहिए।

6.10 कार्यशालाओं के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया था कि नागरिक सुरक्षा सेटअप के अतिरिक्त, एन.पी.सी.आई.एल. के साथ संपूर्ण प्रशासनिक संरचना को जिलों में जागरूकता सृजन में निरंतर रूप से शामिल किया जाना चाहिए। एन.पी.सी.

आई.एल. को समुदाय में उसके स्थानों के इर्दगिर्द पहुंचना चाहिए और उन्हें निरस्संकोच उपयोगी जानकारी देनी चाहिए।

6.11 सदस्य श्री बी. भट्टाचारजी ने विस्तार से यह स्पष्ट किया कि यह कैसे असंभावित था कि ऑफ-साइट नाभिकीय आपातस्थिति घट सके और सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों पर सुरक्षा मानक क्या थे। उन्होंने आगे यह स्पष्ट किया कि ऐसी किसी उत्पन्न होने वाली आपातस्थिति की अनचाही स्थिति में संबद्ध/अंतर्ग्रस्त लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तथा क्या न करना चाहिए।

6.12 सदस्य श्री जे. के. सिन्हा ने विस्तार से स्पष्ट किया कि कैसे और क्यों विभिन्न स्तरों पर पूर्व-निर्धारित कार्रवाई दल होना चाहिए और किस प्रकार उन्हें उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिए। उन्होंने घटना कार्रवाई प्रणाली की महत्त्व के ब्यौरे दिए और समझाया कि सभी नाभिकीय आपातस्थितियों के लिए कैसे और क्यों जिला मजिस्ट्रेट को स्वयं घटना कमांडर के रूप में कार्य करना होगा।

6.13 सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थानों में दो दिवसीय कार्यशाला/कृत्रिम अभ्यास घटना कार्रवाई प्रणाली (आई.आर.एस.) पर चर्चा के साथ आरंभ किए गए थे और आई.आर.एस. कृत्रिम अभ्यास के दौरान कैसे कार्यान्वित किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की गई। प्रशासन और विभिन्न हितधारकों से मिलकर बनी घटना कार्रवाई टीमों आई.आर.एस. के सिद्धांतों पर बनाई गई थीं। संकटकाल प्रबंधन समूह, परमाणु ऊर्जा विभाग और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से आये अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया। संबद्ध



संयंत्र के स्टेशन निदेशक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य हितधारकों ने टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास के दौरान सहभागियों/हितधारकों के समक्ष एक परिदृश्य प्रस्तुत किया गया था और इस बारे में जानकारी ली गई थी कि उनकी योजनाएं, क्षमताएं क्या हैं और वे किसी ऐसी स्थिति का मुकाबला कैसे करेंगे। टेबल टॉप अभ्यास के दौरान उनके प्रत्युत्तर में देखी गई त्रुटियों के महत्त्व पर विचार किया और उसे स्पष्ट किया गया। दूसरे दिन वास्तविक कृत्रिम अभ्यास संचालित किए गए थे जिसमें एन.डी.आर.एफ. ने भी भाग लिया और यह प्रदर्शित किया कि कार्रवाईकर्ताओं को कैसे प्रशिक्षित, सुसज्जित किया जाना चाहिए और किस प्रकार उन्हें ऐसी स्थितियों का मुकाबला करने में समर्थ होना चाहिए।

6.14 वर्ष 2011 में छह स्थानों पर संचालित नाभिकीय आपातस्थितियों पर कार्यशाला/कृत्रिम अभ्यासों में उठाए गए विषय निम्नानुसार हैं :-

- घटना कार्रवाई प्रणाली का महत्त्व और उसकी उपयोगिता।
- आपातकालीन प्रचालन केंद्र का महत्त्व।
- कार्रवाई कार्यकलापों के लिए महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक (ट्रिगरिंग) तंत्र तैयार करना—घटना कार्रवाई दलों को सक्रिय करना तथा संसाधनों का जुटाया जाना।
- घटना कमान चौकी की स्थापना।
- खोज और बचाव टीमों का अपेक्षित प्रशिक्षण और उन्हें सुराज्जित करना।
- विभिन्न आई.आर.एस. सुविधाओं जैसे चिकित्सा सहायता चौकी, राहत शिविर, विसंदूषण बिंदु आदि की स्थापना।
- ई.पी.जेड. से नागरिकों का सुरक्षित निकास।
- एन.डी.आर.एफ. और अन्य बलों की लामबंदी।

6.15 ये कृत्रिम अभ्यास जिला और राज्य अधिकारियों के लिए एक आंख खोलने वाले कार्यक्रम थे। एन.पी.

सी.आई.एल. ने भी महसूस किया कि जिला अधिकारियों और एन.पी.सी.आई.एल. अधिकारियों के बीच निकट समन्वय अति आवश्यक था। इस अनुभव के आधार पर और जिला अधिकारियों के अनुरोध पर, नाभिकीय आपातस्थितियों के लिए कृत्रिम अभ्यास कैसे संचालित किए जाएं, के संबंध में दिशानिर्देश ए.ई.आर. बी. के सहयोग से एन.डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

चेन्नै आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास (सी.ई.एम.ई. एक्स.-2011)

6.16 सी.ई.एम.ई.एक्स.-2011 का उद्घाटन समारोह 4 अगस्त, 2011 को श्री रामचन्द्र विश्वविद्यालय, चेन्नै में आयोजित किया गया था जिसका उद्घाटन श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा किया गया था। अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में डॉ. मुजफ्फर अहमद, माननीय सदस्य, एन.डी.एम.ए. प्रोफेसर रंगास्वामी, उप-कुलपति, श्री रामचंद्र विश्वविद्यालय, श्री डेविड एम. क्लोहोलीन, उप देशीय प्रतिनिधि यूनिसेफ भारत, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और 40 राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संकायों के अतिरिक्त 11 अंतरराष्ट्रीय संकायों ने भाग लिया। 4 अगस्त से 8 अगस्त, 2011 के दौरान चेन्नै आपात प्रबंधन अभ्यास (सी.ई.एम.ई. एक्स.-2011) चेन्नै में आयोजित किया गया था।

6.17 सी.ई.एम.ई.एक्स.-2011 का उद्घाटन करते हुए श्री एम. शशिधर रेड्डी, माननीय उपाध्यक्ष एन.डी.एम. ए. ने श्री रामचन्द्र विश्वविद्यालय, एस.आर.एम.सी. आपातस्थिति भौतिक चिकित्सक, पूर्व छात्र संघ, तमिलनाडु सरकार की एन.डी.एम.ए. और यू.एन. आपात प्रबंधन टीम के साथ उनके प्रभावी सहयोग के लिए उनकी भूमिका की सराहना की।

6.18 उन्होंने आपदाओं के लिए तैयारी और प्रशमन के लिए किए जाने वाले सकारात्मक उपायों पर कार्रवाई करने के बारे में उल्लेख किया और समुदाय जागरूकता के लिए कार्यक्रमों के रूप में तैयारी संबंधी गतिविधियों में समुदाय को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सी.ई.एम.ई.एक्स.-2011 जिसे मुंबई में एम.ई.

एम.ई.एक्स.-2010 के पश्चात संचालित किया गया है, भारत में अन्य अति संवेदनशील शहरी राज्यों में ऐसे अभ्यासों की योजना बनाने के लिए कार्य योजना (रोडमैप) तथा शहरों को जोखिम के प्रति समुत्थानशील बनाने और आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की दूरदृष्टि प्रदान करेगा।

6.19 इस अभ्यास में 12 से अधिक ट्रैकों (मैदानों) की सरकारी विभागों के विभिन्न पदाधिकारियों और प्राइवेट गैर-सरकारी सेक्टरों के अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित करने तथा उनके कौशल विकास की योजना बनाई गई है। टेबल टॉप के संचालन के पश्चात ट्रैकों के काम को पूरा किया गया था और अंतिम रूप से नगर निगम मैदान में एक बड़ी घटना संबंधी व्यापक दुर्घटना मॉक ड्रिल द्वारा पूरा किया गया था। यह शहरी सेटअपों में ऐसी आपातस्थितियों से निपटने के संदर्भ में, तैयारी के मौजूदा प्रयासों की जांच करने की दिशा में एक प्रयास था।

दिल्ली आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास (डी.ई.एम.ई.एक्स) के संचालन के लिए तैयारी संबंधी बैठक

6.20 डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य एन.डी.एम.ए. की अध्यक्षता में दिल्ली आपातकालीन प्रबंधन अभ्यास डी.ई.एम.ई.एक्स के संचालन के संबंध में एक समीक्षा, बैठक एन.डी.एम.ए. भवन में 9 जनवरी, 2012 को आयोजित की गई थी जिसमें सचिव (राजस्व, डी.एम.) दिल्ली के सभी उपायुक्त, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और अन्य विभागों के प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष, जे.पी.एन. ट्रॉमा सेंटर, एम्स उपस्थित हुए। यह बैठक डी.ई.एम.ई.एक्स को

संचालित करने की तैयारियां शुरू करने के लिए बुलाई गई थी जिसे गहन योजना, विद्या और अभ्यास सत्रों के साथ सामर्थ्य वृद्धि अभ्यास के रूप में अभिकल्पित किया गया था। आपातकालीन प्रबंधन अभ्यासों के माडल का फोकस जन-जागरण, क्षमता निर्माण कार्य आरंभ करने, आपातस्थितियों विशेषतया महानगरीय (मेट्रो) वातावरण में आपदा कार्रवाई में शामिल हितधारकों (आपातकालीन कार्रवाईकर्ता) समूहों के अंतर-अभिकरण सुदृढीकरण पर था।

जागरूकता अभियान

6.21 आपदाओं के संभाव्य प्रभावों के बारे में जनता के अति संवेदनशील भाग में जागरूकता सृजन करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक मुख्य जिम्मेदारी है। जागरूक समुदाय आपदाओं की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक तैयार समुदाय होता है। जागरूकता सृजन के अपने प्रयास में एन.डी.एम.ए. ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अनेक जन जागरूकता अभियान आरंभ किए हैं। डी.एम. के लिए समुचित माहौल बनाने और लक्षित श्रोताओं पर प्रभाव का उच्च स्तर सृजित करने पर फोकस था।


6.22 ये अभियान आकाशवाणी (ए.आई.आर.), दूरदर्शन, और प्रमुख मनोरंजन चैनलों, न्यूज चैनलों, क्षेत्रीय चैनलों, डी.ए.वी.पी. और एन.एफ.डी.सी. के माध्यम से एफ.एम. रेडियो चैनलों जैसे प्राइवेट टी.वी. चैनलों पर रेडियो तथा वीडियो स्पॉट के माध्यम से चलाए गए थे।

जानकारी

यानी भूकंप से निपटने की तैयारी



झुको, ढको, पकड़ो



जैसे ही भूकंप के झटके लगें :

- फौरन किसी खुले स्थान की ओर दौड़ें • यदि यह संभव न हो तो तुरन्त झुक कर अपने डेस्क या मेज के नीचे चले जाएँ • अपने सिर को किसी मज़बूत चीज़ या अपने बस्ते से बचाएँ तथा किसी मज़बूत चीज़ को कस कर पकड़े रहें • दौड़ कर किसी कोने में खड़े होकर अपने आप को बचाएँ



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भारत सरकार



7

आपदा जोखिम प्रशमन
परियोजनाएं

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना

7.1 राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.सी.आर.एम.पी.) विश्व बैंक की सहायता से देश में चक्रवात जोखिमों पर विचार करने की दृष्टि से बनाई गई है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक चक्रवात प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ बनाना, चक्रवात वाले तटीय जिलों में चक्रवात जोखिम और असुरक्षितता को कम करना तथा उनमें चक्रवात जोखिम प्रशमन की क्षमता विकसित करना है।

7.2 एन.सी.आर.एम.पी. से संबंधित वित्तपोषण और परियोजना करारों पर आर्थिक मामलों के विभाग, विश्व बैंक तथा आंध्र प्रदेश और ओडिशा की राज्य सरकारों के बीच 14.01.2011 को हस्ताक्षर हुए थे। यह परियोजना का प्रथम चरण है और इसका कार्यान्वयन 1496.71

करोड़ रुपए की लागत पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों तथा एन.आई.डी.एम. के समन्वय से एन.डी.एम.ए. द्वारा 31.10.2015 तक पांच वर्ष की अवधि में किया जाएगा। यह परियोजना 1198.44 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए) ऋण के साथ अनुकूलनीय कार्यक्रम-ऋण के रूप में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है। 298.27 करोड़ रुपए की शेष राशि आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य सरकारों द्वारा (घटक-ख के अधीन) दी जाएगी।

परियोजना के घटक

7.3 परियोजना के निम्नलिखित चार प्रमुख घटक हैं :-

घटक	विवरण	परिव्यय
क.	सर्वत्र संपर्कता	72.75 करोड़ रुपए
ख.	संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपाय	1164 करोड़ रुपए
ग.	चक्रवात संकट जोखिम प्रशमन के लिए तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और ज्ञान सृजन	29.10 करोड़ रुपए
घ.	परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सहायता	95.06 करोड़ रुपए
	10% की दर से अनावंटित और आकस्मिकता निधि पर संपूर्ण लागत (135.80 करोड़ रुपए)	

7.4 घटक क, ग और घ को केंद्रीय सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता के जरिए पूर्णतः वित्तपोषित किया जाएगा। घटक-ख को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित किया जाएगा।

उपलब्धियां

7.5 दोनों राज्यों की 31.03.2012 तक की उपलब्धियों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

उपलब्धियां	आंध्र प्रदेश	ओडिशा
कार्य दिया जाना (अवार्ड ऑफ वर्क)	वर्ष 2011-12 के दौरान 141 कार्यों के 99.22 करोड़ रुपए की रकम के 78 पैकेजों के ठेके सौंपे गए हैं। इनमें से 12.64 करोड़ रुपए के 14 कार्यों के 9 पैकेज बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (एम.पी.सी.एस.) से संबंधित हैं, और 59.29 करोड़ रुपए की रकम के 116 कार्यों के 58 पैकेज सड़कों के संबंध में हैं और 27.29 करोड़ रुपए की रकम के 11 पैकेज सेतुओं के संबंध में हैं।	वर्ष 2011-12 के दौरान 108.37 करोड़ रुपए की रकम के 117 कार्यों के 84 पैकेज के ठेके सौंपे गए हैं। इनमें से 15.38 करोड़ रुपए के 22 कार्यों के 18 पैकेज बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (एम.पी.सी.एस.) के संबंध में हैं और 51.96 करोड़ रुपए के 59 कार्यों के 27 पैकेज सड़कों के संबंध में हैं।
भौतिक और वित्तीय	14 बहु-उद्देश्यीय एम.पी.सी.एस. का कार्य विभिन्न चरणों में हैं। 116 में से 24 सड़कें पूरी हो चुकी हैं तथा शेष का काम विभिन्न चरणों में है। ठेके पर दिए गए 11 में से 1 सेतु का काम पूरा हो चुका है तथा शेष का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है। 39.40 करोड़ रुपए की रकम उपर्युक्त काम पर खर्च की गई है।	ठेके पर दिए गए कार्यों का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है और किसी भी घटक के अंतर्गत कोई भी काम पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है। 8.91 करोड़ रुपए की रकम उपर्युक्त काम पर खर्च की गई है।

7.6 कार्यों का आबंटन और कार्यान्वयन उत्तरोत्तर चल रहा है और अगले वित्त वर्ष में इसमें सुधार हो जाएगा।

राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना

7.7 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भूकंपीय जोन IV और जोन V के राज्यों पर विशेष बल देते हुए देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय भूकंप जोखिम प्रशमन परियोजना को कार्यान्वित करना प्रस्तावित करता है। इस परियोजना का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक भूकंप प्रशमन प्रयासों को सुदृढ़ बनाना है तथा विशेषकर अत्यधिक भूकंपीय जोन IV और V के उच्च जोखिम क्षेत्रों में देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूकंप जोखिम और असुरक्षितता को कम करना है। इस परियोजना में एन. डी.एम.ए. द्वारा तैयार किए गए भूकंप दिशानिर्देशों के अनुसार रकीमें/कार्यकलाप समाविष्ट होंगे। प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना के निम्नलिखित छह घटक होंगे :-

- प्रौद्योगिकीय-विधिक प्रणाली
- संस्थागत सुदृढ़ीकरण
- क्षमता निर्माण
- जन जागरुकता

- अस्पतालों का पुनः मरम्मत कार्य (रिट्रोफिटिंग)
- परियोजना प्रबंधन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन

7.8 परियोजना का प्रारूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और प्रारूप ई.एफ.सी. ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेजे गए थे। किंतु गृह मंत्रालय की इच्छा थी कि परियोजना में अंतर्ग्रस्त क्षमता निर्माण के विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवहार्यता की दृष्टि से परियोजना की समीक्षा की जाए तथा उसे चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किए जाने के बारे में विचार किया जाए।

7.9 अब प्रस्तावित किया गया है कि परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाए नामतः तैयारी चरण और मुख्य कार्यान्वयन चरण। यह प्रस्तावित है कि एन. ई.आर. एम.पी. की कुल अवधि 7 वर्ष हो जिसमें डी.पी. आर. में परिकल्पित रूप में संभावित अवधारणाओं की कारगरता/प्रमाण का आकलन करने के लिए एवं पूरी परियोजना की कारगरता को प्रदर्शित करने के लिए 2 वर्ष का तैयारी का चरण शामिल है।

7.10 तैयारी चरण में विभिन्न तैयारी कार्यकलाप होंगे जिनमें प्रौद्योगिकीय-विधिक प्रणाली, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जागरुकता सृजन करना भी शामिल हैं तथा क्षमता निर्माण जिसमें मास्टर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण सिविल इंजीनियरों, शिल्पकारों और राज-मिस्त्रियों के

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी शामिल होगा, का कार्य है तथा भूकंप जोन IV और जोन V पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तैयारी की अवधि का उपयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विषय-वस्तु तैयार करने के लिए, एन.डी.एम.ए. द्वारा राष्ट्रीय रेट्रोफिटिंग नीति के अनुसार रेट्रोफिटिंग के दिशानिर्देश अलग से बनाए जा रहे हैं, तथा क्षमता विकास और जागरूकता सृजन करने के लिए अन्य बातों की जाँच-परख तैयार की जा रही है। यह परिकल्पित है कि एन.ई.आर.एम.पी. के कार्यान्वयन चरण की डी.पी.आर. को तैयारी के चरण के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा।

भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजनाएं (एल.आर.एम. पी.)

7.11 भूस्खलनों के कारण होने वाले जोखिमों पर ध्यान देते हुए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना चालू करना परिकल्पित थी। परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करना परिकल्पित था किंतु उस दिशा में अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हो सकी। यह महसूस किया गया है कि भूस्खलन प्रकृति में कुछ खास स्थलों पर घटित होते हैं। साथ ही, असुरक्षितता की प्रकृति विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न है। इस तरह एक बृहत राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना बनाना व्यवहार्य नहीं हो पाया।

7.12 तदनुसार यह प्रस्तावित किया गया है कि राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एल.आर.एम.पी.) जिसमें कोई खास प्रगति नहीं हो सकी, का नाम बदल कर भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजनाएं (एन.एल.आर.एम.पी.) कर दिया जाए जिसमें चरणबद्ध ढंग से विभिन्न राज्यों में कई स्थल-विशिष्ट प्रशमन परियोजनाएं सम्मिलित हों।

7.13 भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजनाएं (एल.आर.एम.पी.) राज्यों द्वारा सिफारिश की गई स्थल-विशिष्ट भूस्खलन प्रशमन परियोजनाओं का अग्रणी संस्थानों से स्थल-विशिष्ट भूस्खलन अध्ययनों/अन्वेषणों में सहायता परिकल्पित करती हैं

इसके अंतर्गत आपदा रोकथाम रणनीति, आपदा प्रशमन और संवेदनशील भूस्खलनों की मॉनीटरिंग में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) हैं जिसके द्वारा पूर्व चेतावनी तंत्र और क्षमता निर्माण पहलें विकसित होती हैं।

7.14 स्थल-विशिष्ट भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना के लिए राज्यों से प्राप्त और स्थल-विशिष्ट भूस्खलन अध्ययनों/अन्वेषणों/पूर्व चेतावनी तंत्र के विकास के लिए मॉनीटरिंग के लिए प्रमुख संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों की एन.डी.एम.ए. द्वारा संवीक्षा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों का एक प्रमुख समूह एन.डी.एम.ए. द्वारा बनाया जाएगा जिसमें जी.एस.आई. जो भारत में भूस्खलन प्रबंधन का अग्रणी अभिकरण है, खान मंत्रालय और विभिन्न सरकारी संगठनों/भूस्खलनों पर काम करने वाले प्रमुख संस्थानों के, जो भूस्खलन विशेषज्ञ होंगे जो राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की प्रौद्यो-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन करेंगे तथा हर वर्ष योजना के अधीन शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करेंगे, के विशेषज्ञ होंगे। प्रमुख समूह मानदंड तथा परियोजना का वित्तपोषण नियत और निश्चित करेगा तथा गृह मंत्रालय की सहमति हासिल करने के लिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करेगा। राज्य और एन.डी.एम.ए. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसमें परियोजना के निबंधन और शर्तें निर्धारित होंगी। स्थल-विशिष्ट भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना शुरू करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में प्रस्ताव है कि उसे केंद्र और राज्यों के बीच में 75:25 अनुपात से बांटा जाएगा। ऐसे आर. एंड डी. अध्ययन शुरू करने के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता 100 प्रतिशत तक हो सकेगी। शुरू किए गए अध्ययन/आर. एंड डी. कार्य से स्वतः एक प्रशमन परियोजना की तैयारी हो जाएगी।

7.15 भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना की प्रारूप स्कीम तैयार कर ली गई है और विचाराधीन है।

बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एफ.आर.एम.पी)

7.16 राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना (एन.एफ.आर.एम.पी.) की परिकल्पना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यह परिकल्पना की गई थी कि परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए जिसके बारे में अभी तक कोई खास काम नहीं हो सका। यह महसूस किया गया है कि बाढ़ प्रकृति से नदी/नदी घाटी-विशिष्ट होती है। साथ ही, अनेक कारणों से विभिन्न नदियों/नदी घाटियों में असुरक्षितता भिन्न-भिन्न होती है। इस तरह एक विस्तृत राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना बनाना व्यवहार्य नहीं हो पाया। अतः कार्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए तथा उपलब्ध संसाधनों का उत्पादकतापूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए यह महसूस किया गया है कि राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना का नाम बदलकर **बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजनाएं** कर दिया जाए और इसमें "आपदा रोकथाम रणनीति, आपदा प्रशमन और बाढ़ पैदा करने वाले घटकों को मॉनीटर करने में आर. एंड डी. जिसके द्वारा पूर्व चेतावनी तंत्र और क्षमता निर्माण पहलों का विकास हो सकें," समाहित किए जाएं।

7.17 बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजनाओं (एफ.आर.एम.पी.) में मोटे तौर पर नदी घाटी-विशिष्ट बाढ़ पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा आकाशीय डेटा प्रबंधन यंत्रों का प्रयोग करके बाढ़ प्रवण राज्यों के संबंध में बाढ़ जलमग्न मॉडलों के लिए 0.5 एम. कंटूर युक्त डिजिटल एलीवेशन मानचित्र (मैप) शामिल हैं जिनमें जी.आई.एस. प्लैटफॉर्म का प्रयोग तथा असुरक्षितता विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक तंत्र तथा पुनर्वास संरचनाओं की उपयोगिता और स्थिरता में विशेष रूप से सुधार करने के लिए जोखिम प्रबंधन शामिल है, जिससे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्मित प्रस्तावों के साथ पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान तंत्र और आई.टी.सी. अनुप्रयोग आदि में सुधार हो सके। प्रस्तावों की प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी, वित्तीय सहायता मांगने के लिए उसे एन.डी.एम.ए. को भेजने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

7.18 इस परियोजना के अंतर्गत विशेष नदी/नदी घाटियां बाढ़ प्रशमन कार्यक्रम के लिए गैर-संरचनात्मक उपाय शुरू करने के लिए बाढ़ प्रवण राज्यों को वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है। लागत के बारे में प्रस्ताव है कि वह केंद्र और राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में दी जाएगी।

7.19 राज्य के विशेष नदी घाटी/नदी तंत्र के संबंध में, प्रमुख संस्थानों/संगठनों जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, आई.एम.डी., भारत का सर्वेक्षण विभाग और सी.डब्ल्यू.सी. आदि के माध्यम से बाढ़ पूर्व चेतावनी तंत्र, डिजिटल एलीवेशन मानचित्र विकसित करने, संबद्ध आर. एंड डी. सहायता, क्षमता निर्माण पहल के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य के बीच 75:25 अनुपात में बांटी जानी प्रस्तावित हैं।

7.20 बाढ़ जोखिम प्रशमन परियोजना की प्रारूप स्कीम तैयार हो चुकी है और विचाराधीन है।

अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं

7.21 एन.डी.एम.ए. ने विभिन्न राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों जैसे आई.आई.टी., आई.आई.एस.सी., एस.ई. आर.सी. आदि के माध्यम से कुछ अग्रणी परियोजनाएं और अध्ययनों का कार्यान्वयन शुरू किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं के अंतर्गत एन.डी.एम.ए. द्वारा शुरू किए गए और 2011-2012 में संपन्न किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

भारत के समाव्यवादी भूकम्प खतरा मानचित्र का विकास

7.22 यद्यपि भारत के विभिन्न क्षेत्रों का भूविज्ञान और भूकंपमापी विज्ञान भली भांति प्रलेखित है फिर भी तीव्र भूकंपों के भू-गति आंकड़ों के संबंध में जानकारी का अभाव है। साथ ही, भारत का वर्तमान भूकंपीय जॉन मानचित्र प्रेक्षित नुकसान पद्धतियों पर आधारित है जहां भूकंप होने में आकाशीय और पार्थिव अनिश्चितताएं शामिल नहीं हैं। अतः एन.डी.एम.ए. ने भूकंपीय संकट विश्लेषण के लिए भूकंपों का एक राष्ट्रीय डाटा आधारित

सूचीपत्र बनाने के लिए भारत के संभाव्यवादी भूकंपीय खतरा मानचित्र के विकास पर अध्ययन शुरू किया। उसके अंतर्गत शामिल होंगे - 'देश के छह या सात विभिन्न भूकंप प्रवण क्षेत्रों के प्रबल गति तनुकरण संबंधों का विकास/चयन तथा विभिन्न रिटर्न अवधियों के लिए 0.2' x 0.2' के ग्रिड पर तल चट्टान स्तर पर पी.जी.ए. और एसए (Sa) के लिए राष्ट्रीय पी.एस.एच.ए. मानचित्र का विकास। भू-तकनीकी अन्वेषणों युक्त इस अध्ययन में वर्तमान डेटाबेस की खामियां शामिल होंगी। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, चैन्ने जिसने यह अध्ययन शुरू किया था, रिपोर्ट पेश कर चुका है जो एन.डी.एम.ए. द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

भारतीय भूभाग के भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीय वर्गीकरण (माइक्रोजोनेशन) का भू-तकनीकी अन्वेषण

7.23 तारीख 16.07.2008 को आयोजित भारतीय भूखंड भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीय वर्गीकरण (माइक्रोजोनेशन) पर राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए फैसले के अनुसार, तकनीकी अन्वेषण, भारत में भूकंपीय सूक्ष्म क्षेत्रीय वर्गीकरण अध्ययन के लिए भू-तकनीकी अन्वेषण पर तकनीकी दस्तावेज की तैयारी का काम नोडल एजेंसी के नाते भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा शुरू किया गया है और उसने तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है।

मानचित्रकारिता (कार्टोग्राफी)

7.24 भारत के लिए मानचित्रकारी आधार के विकास के लिए रिपोर्ट की तैयारी का कार्य विनिर्दिष्ट कंटूर इंटरवल्स के साथ अपेक्षित मान पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मैपिंग संगठन (एन.ए.टी.एम.ओ.), कोलकाता को दिया गया है। एन.ए.टी.एम.ओ. ने अपनी प्रारूप रिपोर्ट एन.डी.एम.ए. को दे दी है।

ब्रह्मपुत्र नदी कटाव अध्ययन

7.25 आकाशीय-पार्थिव कटाव प्रेरित नदी तटीय रेखा के परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उपर्युक्त परिवर्तनों तथा कटाव असुरक्षितता का विश्लेषण करने के लिए छवि प्रसंस्करण (इमेज-प्रोसेसिंग) करने वाले

सॉफ्टवेयर द्वारा प्रसंस्कृत बहु-तारीख और बहु-स्पेक्ट्रमी डिजिटल उपग्रह छवियों का इस्तेमाल करके कटाव द्वारा प्रभावित नदी की अत्यंत असुरक्षात्मक पहुंचों का पता लगाने का काम जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की को दिया गया था। रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और टिप्पणी के लिए सभी संबंधित हितधारकों को भेजी जा चुकी है।

7.26 एन.डी.एम.ए. 2011-12 में ओ.डी.एम.पी. के अधीन निम्नलिखित परियोजनाएं भी शुरू कर चुका है। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी होनी हैं।

भवनों की प्ररूप-विधा (टाइपोलॉजी)

7.27 भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न भवन प्ररूपों के सूची पत्र की तैयारी का तथा भवन सूची पत्रों में अंकित विभिन्न अनेक प्रकारों के लिए असुरक्षितता दूर करने संबंधी कार्यों के विकास का काम देश के विभिन्न भागों में पांच भिन्न-भिन्न नोडल संस्थानों अर्थात् (1) आई.आई.टी., रुड़की, उत्तरी अंचल (2) आई.आई.टी. खड़कपुर, पूर्वी जोन, (3) आई.आई.टी., गुवाहाटी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, (4) आई.आई.टी. मुंबई, पश्चिम जोन और (5) आई.आई.टी. मद्रास, दक्षिणी जोन को 126 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत पर सौंपा गया है। वर्ष 2011-12 में 50 लाख रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। यह परियोजना 2012-13 में पूरी होनी संभव है।

उन्नत भूकम्प खतरा मानचित्र की तैयारी

7.28 विशेषज्ञों की कार्य समिति (भू-भौतिक खतरे) की सिफारिश के अनुसार देश के विभिन्न भागों में उन्नत भूकम्प खतरा मानचित्र की परियोजना जो 76.83 लाख रुपए की प्राक्कलित लागत पर भवन सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् के माध्यम से शुरू की जानी है, वर्ष 2011-2012 और 2012-2013 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की जा चुकी है।

मृदा (सॉइल) पाइपिंग परियोजना

7.29 मृदा पाइपिंग केरल में हाल में देखी गई एक

घटना है। सतह के नीचे (सब-सर्फेस) मिट्टी के कटाव की प्रक्रिया एक खतरनाक आपदा है क्योंकि मिट्टी का कटाव भूमि के नीचे होता है। यह नई घटना है और इसका अध्ययन करने के लिए तथा प्रशमन के उपायों का सुझाव देने के लिए उचित इंस्ट्रुमेंटेशन होना चाहिए। केरल सरकार एन.डी.एम.ए. की वित्तीय सहायता से पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र के माध्यम से इस घटना का अध्ययन करने और आपदा से बचने के उपाय सुझाने के लिए मृदा पाइपिंग परियोजना शुरू कर रही है।

केरल में मीनाचल और मणिमाला नदियों में अचानक बाढ़ के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र

7.30 एन.डी.एम.ए. केरल की मीनाचल और मणिमाला नदियों में अचानक बाढ़ के लिए, पूर्व चेतावनी तंत्र स्थापित करने के लिए मिशन फॉर जियोस्पेशल एप्लीकेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

7.31 एन.डी.एम.ए. प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के विभिन्न पहलुओं पर विख्यात संस्थानों/संगठनों के माध्यम से अग्रणी परियोजनाएं और अध्ययन करना जारी रखना प्रस्तावित करता है जिनके अंतर्गत ये हैं—चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प, चिकित्सा तैयारी, रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय आपदाएं, भगदड़ और विशाल भीड़ प्रबंधन। इस शीर्ष के अंतर्गत जिन परियोजनाओं/अध्ययनों को शुरू किया जाना संभावित है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- विभिन्न असुरक्षितता निर्धारण तकनीकों का अध्ययन/अनुसंधान/विकास
- आपदा प्रबंधन के लिए अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक पहल जिनके अंतर्गत अन्य आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र भी शामिल हैं
- चिकित्सा तैयारी, बड़ी दुर्घटना प्रबंधन जैसे विविध प्रकार के प्रसंगों पर प्रहल
- अन्य मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं पर प्रायोगिक परियोजना
- आपदा जोखिम बीमा

- अन्य आपदाओं के प्रबंधन के लिए संस्थागत सुदृढीकरण

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम—एन.डी.एम.ए. की एक प्रदर्शनी परियोजना

7.32 भारत सरकार ने जून, 2011 में 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (एन.एस.एस.पी.)—एक प्रदर्शनी परियोजना 48.47 करोड़ रुपए की कुल लागत से अनुमोदित की थी। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 24 मास की कालावधि में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भागीदारी में कर रहा है। यह विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक विशाल परियोजना है। इस परियोजना में भूकंपीय जोन IV और V में आने वाले देश को 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों के 8600 विद्यालय लिए गए हैं। इस कार्यक्रम डिजाइन को पूरे देश में प्राथमिकता देकर कार्यान्वित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक समग्र कार्यक्रम है, के साथ अभिन्न रूप से जोड़े जाने के लिए जांचा परखा जाएगा और वैध किया जाएगा।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पर एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रथम कार्यशाला (इनरोप्शन वर्कशॉप) का आयोजन

7.33 राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम—एक प्रदर्शनी परियोजना पर प्रथम कार्यशाला का शुभारंभ 1 सितंबर, 2011 को किया गया था। जून, 2011 में सरकार से प्राप्त किए गए अनुमोदन के परिणामस्वरूप यह एक बहुत बड़ा कदम है और इससे भारत के विद्यालय सुरक्षित हो



जाएंगे। प्रथम कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शुरू की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन योजना पर निधि जारी करने और उसकी उपयोगिता के संबंध में वित्तीय व्यवस्था, नीतिगत मुद्दे, परियोजना को मानीटर करने संबंधी मुद्दे एवं सुरक्षित विद्यालय कार्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्य पर चर्चा करना है। श्री एम. शशिधर रेड्डी उपाध्यक्ष, एन.डी.एम.ए. ने कार्यशाला का शुभारंभ किया।

7.34 राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसका कार्यान्वयन 48.47 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर 24 मास की कालावधि में किया जाता है। यह नीति स्तर पर परिवर्तन करके अधिकारियों, शिक्षकों और हितधारकों की क्षमता निर्मित करके, गैर-संरचनात्मक प्रशमन उपायों का उन्नयन करके और प्रायोगिक आधार पर स्कूलों में प्रदर्शनात्मक रेट्रोफिटिंग प्रौद्योगिकी का अंतरण करके विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक समग्र परियोजना है।

7.35 इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता निर्माण और जागरुकता सृजन करके तथा वर्तमान विद्यालय भवनों में (संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों) अंतर्निहित जोखिम घटाकर, यदि आवश्यक हो तो, संकट जोखिम और सुरक्षा निर्धारण करके तथा समुचित उपाय अपनाकर, कमजोर भवनों को मजबूत बनाकर विद्यालयों में बच्चों के प्राण बचाने हैं और उन्हें घायल होने से बचाना है। शिक्षा, विद्या, प्रशिक्षण और ज्ञान को साझा करके तथा समुचित नीति बनाकर, एक समर्थकारी बाह्य वातावरण सृजित करके असुरक्षितता

में कमी लाने के लिए, सक्षम विद्यालय माहौल बनाकर शिक्षा में व्यवधान को रोकना है।

7.36 इस परियोजना को भूकंपीय जोन IV और V में आने वाले 22 चिन्हित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों में कार्यान्वित किया जाना है। इस प्रदर्शनी परियोजना के अंतर्गत कुल विद्यालयों की संख्या 8600 होगी और हर जिले में 200 विद्यालय की दर से इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारें नोडल भागीदार हैं और उनसे अपेक्षित होगा कि वे अपने राज्यों के चुने हुए विद्यालयों में परियोजना से संबद्ध कार्यकलापों को करें।

7.37 एन.डी.एम.ए. की राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम प्रदर्शनी परियोजना को अंततः मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा जाएगा और परियोजना के अंत में निम्नलिखित परिणाम सामने आएंगे :-

- प्रारूप विद्यालय सुरक्षा नीति।
- विद्यालय सुरक्षा पर मानक शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल।
- मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (प्रति राज्य 10 मास्टर प्रशिक्षक)।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रति जिला 15 प्रशिक्षक)।
- शिक्षकों का प्रशिक्षण (प्रति जिला 500 शिक्षक, अधिकारी) आदि।
- 43 जिलों में से प्रत्येक जिले के कम से कम 2 इंजीनियर का प्रशिक्षण जो वर्तमान इमारतों की सुरक्षा का निर्धारण करने के लिए तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह योग्य हों।
- समस्त विद्यालयों का त्वरित दृश्य सर्वेक्षण।
- विद्यालय भवनों में वर्तमान जोखिमों (संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक



जोखिमों) का निर्धारण करने के लिए मानक जांच सूची (चैक-लिस्ट) तैयार करना।

- गैर-संरचनात्मक प्रशमन उपाय।
- 43 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक विद्यालय भवन की संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग।
- लक्षित जिलों में छात्रों, शिक्षकों, माता-पिता और शिक्षा विभागों के पदाधिकारियों में जागरूकता सृजन करना तथा क्षमता निर्माण करना।

आज तक की प्रगति

7.38

- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों में 200 विद्यालय।
- मार्गदर्शन टिप्पणी के साथ विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना ढांचा तैयार कर लिया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर दिया गया है तथा एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) का सारांश तैयार करके एन.डी.एम.ए. की वेबसाइट पर डाल दिया गया है तथा राज्यों को जागरूकता बढ़ाने और अधिक प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी गई है।
- वित्त वर्ष 2011-2012 के दौरान 4.55 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तथा आई.ई.सी. सामग्री का अनुवाद, मुद्रण और परिचालन करने के लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह और चंडीगढ़ के सिवाय, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दी गई है।
- मास्टर प्रशिक्षकों के 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम इस परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.) द्वारा सम्पन्न किए गए हैं।

भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) कार्यक्रम

7.39 भारत सरकार यू.एन.डी.पी. आपदा जोखिम में कमी कार्यक्रम वर्ष 2009 से 2012 की अवधि में 20 मिलियन डालर (लगभग 100 करोड़ रुपए) के परिव्यय पर देश के विभिन्न राज्यों और चुने हुए शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (2002-2009) के अंतर्गत विकसित क्षमताओं को अक्षुण्ण रखने के साथ-साथ, डी.आर.आर. कार्यक्रम का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण जानकारी सुलभ कराकर, जिससे आपदा जोखिम में कमी की दिशा में दक्षता और कारगरता में वृद्धि होगी, केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता करना है। विभिन्न स्तरों पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमलाप शुरू करने के लिए संस्थागत ढांचा को मजबूत बनाना इस कार्यक्रम का संकल्प है जिसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के कारण जोखिम का बढ़ जाना और बहाली की तैयारी का विकसित होना भी शामिल हैं। भारत सरकार - यू.एन.डी.पी. डी.आर.आर. कार्यक्रम के दो परिणाम हैं :-

- 63 करोड़ रुपए के परिव्यय (डी.आर.आर. परियोजना) से आपदा जोखिम में न्यूनीकरण के लिए संस्थागत सुदृढीकरण और क्षमता निर्माण करना जिसे एन.डी.एम.ए. द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा;
- 37 करोड़ रुपए के परिव्यय से गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली शहरी जोखिम प्रबंधन योजना बनाना (यू.आर.आर. परियोजना)।

परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति

7.40 एन.डी.एम.ए. द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे संस्थागत सुदृढीकरण और क्षमता निर्माण के परिणामों का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधिदेशाधीन विभिन्न कार्य करने के लिए देश में वर्तमान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और चुने हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की क्षमताओं को मजबूत बनाना है। इस परियोजना को डी.आर.आर. परियोजना कहा गया है।

कवरेज:

2009-2010	2011	2012
26 राज्य	24 राज्य	19 राज्य

आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी की प्रास्थिति

7.41 डी.आर.आर. परियोजना के आधारभूत उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है आपदा प्रबंधन योजना बनाने में राज्यों और जिलों को तकनीकी और समन्वयन सहायता प्रदान करना। इनमें अनेक योजनाएं प्रारूप के चरण पर हैं और यह परियोजना इन प्रारूप योजनाओं की समीक्षा करने के लिए तथा यथा अपेक्षित आवश्यक संशोधन करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।

खतरा जोखिम और असुरक्षितता निर्धारण

7.42

- विभिन्न वर्तमान प्रणाली-विज्ञान और परिपाटियों को समझने के लिए 2010 में खतरा जोखिम और असुरक्षितता विश्लेषण (एच.आर.वी.ए.) पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई थी। एच.आर.वी.ए. के संचालन के लिए प्रारूप रूपरेखा भी बनाई गई है और राज्यों को परिचालित कर दी गई है।

- फिलहाल संकट जोखिम और असुरक्षितता निर्धारण का काम 23 जिलों में शुरू किया गया है।

- हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य असुरक्षितता विश्लेषण शुरू करने के लिए राज्य/13वें वित्त आयोग अनुदान/राज्य बजट से धन प्राप्त कर रहे हैं।

- लखनऊ, नीलगिरि और नैनीताल जिलों में तथा सिक्किम, जालंधर (पंजाब), जलपाइगुडी (पश्चिम बंगाल) त्रिपुरा राज्य में जिसमें चारों परियोजना जिले समाविष्ट हैं, आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में एच.आर.वी.ए. का काम पूरा हो चुका है।

प्रशिक्षण मॉड्यूलों और मैनुअल की तैयारी

7.43 डी.आर.आर. परियोजना के अंतर्गत एन.आई.डी.एम. को अनेक दिशानिर्देश और मैनुअल बनाने का काम सौंपा गया है जिन्हें विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के पास भेजा जाएगा।


8

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल : आपातकालीन कार्रवाई को मजबूत करना

8.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 44 और 45 के उपबंधों के अधीन गठित राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल ने स्वयं को एन.डी.एम.ए. के एक सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवन्त बल के रूप में स्थापित कर लिया है। आठ एन.डी.आर.एफ. बटालियनों अपनी तैनाती के लिए कार्रवाई में लगने वाले समय को घटाने हेतु

असुरक्षितता विवरण के आधार पर देश के आठ विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान एन.डी.आर.एफ. की दो और बटालियनों तैयार, प्रशिक्षित और सुसज्जित की गई हैं और उन्हें बिहार में बिहटा (पटना के समीप) और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के समीप तैनात किया गया है।

एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के स्थान



चित्र 8.1

8.2 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं पर विशेष कार्रवाई के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर. एफ.) के गठन के लिए विधायी उपबंध बनाया है। अधिनियम के खण्ड 45 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा

कार्रवाई बल को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन और महानिदेशक, एन.डी.आर.एफ. की कमान और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना है। अधिनियम के खण्ड 44 (i) में निहित दूरदृष्टि (विजन) के साथ, एन.डी.आर.एफ.

धीरे-धीरे सभी प्रकार की प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने में सक्षम एन.डी.एम.ए. के सर्वाधिक दृष्टिगोचर और जीवंत, बहु-विषयक और बहु-कुशल, उच्च तकनीक-प्राप्त बल के रूप में उभर रहा है।

8.3 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 रोकथाम, प्रशमन और तैयारी पर बल देने के साथ-साथ आपदाओं के सकारात्मक, संपूर्ण और एकीकृत प्रबंधन के तत्कालीन कार्रवाई-केन्द्रित संलक्षण में आमूलचूल परिवर्तन पर विचार करता है। यह राष्ट्रीय दूरदृष्टि अन्य बातों के साथ-साथ सभी हितधारकों के बीच तैयारी की संस्कृति पैदा करने का लक्ष्य रखती है! एन.डी.आर.एफ. ने विभिन्न हितधारकों के साथ कृत्रिम ड्रिल और संयुक्त अभ्यास द्वारा संबंधित एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र के भीतर उच्च कौशल-युक्त बचाव और राहत अभियान, नियमित और गहन प्रशिक्षण और पुनःप्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और परिचय अभ्यासों द्वारा इस दूरदृष्टि को प्राप्त करने में अपना महत्व सिद्ध किया है।

एन.डी.आर.एफ. की भूमिका

8.4

- आपदाओं के दौरान विशिष्ट कार्रवाई।
- आराम आपदा स्थितियों के दौरान सकारात्मक तैनाती।
- अपने प्रशिक्षण और निपुणता का अर्जन और सतत उन्नयन।
- संपर्क, टोह (सर्वेक्षण), रिहर्सल और मॉक ड्रिल।
- राज्य कार्रवाई बल (पुलिस), नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड को बुनियादी और प्रचालन स्तर का पर प्रशिक्षण देना।
- राज्य पुलिस का प्रशिक्षण और एस.डी.आर.एफ. बनाने में सहायता।

समुदाय के साथ

- सामुदायिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- जन जागरूकता अभियान।

- प्रदर्शनी : पोस्टर, पैम्फलेट, साहित्य।
- ग्राम स्वयं सेवकों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण;

संगठन

8.5 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) का गठन बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ. और आई.टी.बी.पी., प्रत्येक में से दो-दो बटालियन लेकर कुल आठ बटालियन के साथ किया गया था। प्रत्येक बटालियन में इंजीनियर, तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन, श्वान दल (डॉग स्क्वाड) और चिकित्सा/अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ समेत प्रत्येक में खोज और बचाव दल के 44 कार्मिक और 18 स्वतःपूर्ण (सेल्फ-कन्टेन्ड) हैं। प्रत्येक बटालियन की कुल स्टाफ संख्या लगभग 1,149 है। सभी बटालियनें भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि और रासायनिक, जैविक, विकिरणकीय और नाभिकीय (सी.बी.आर.एन.डब्ल्यू) आपदाओं सहित सभी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित हैं। 2011-2012 में एन.डी.आर.एफ. की दो और बटालियनों को बिहार में बिहटा (पटना के पास) (बी.एस.एफ. बटालियन) और आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास (सी.आर.पी.एफ. बटालियन) शामिल किया जिससे एन.डी.आर.एफ. बटालियनों की कुल संख्या बढ़कर 10 बटालियनों की हो गई है।

एन.डी.आर.एफ.: एन.डी.एम.ए. की उच्च प्राथमिकता

8.6 एन.डी.एम.ए. ने एन.डी.आर.एफ. को आपदा कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध विशेष बल के रूप में साबित करने के लिए अति आवश्यक प्रोत्साहन (आवेग) उपलब्ध करवाया है। सितंबर, 2005 में अपने आरंभ से ही एन.डी.एम.ए. ने यह सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है कि एन.डी.आर.एफ. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित और सुसज्जित हो। एन.डी.एम.ए. के प्रयासों से आज इस बल ने विश्व में एकल वृहत् प्रतिबद्ध आपदा कार्रवाई बल होने की अदम्य विशिष्टता अर्जित की है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षित और सुसज्जित है।

आपदा कार्यवाही

8.7 कई वर्षों से, एन.डी.आर.एफ. ने अपने लिए एक जगह का अधिग्रहण किया बल्कि किसी प्राकृतिक आपदा और सी.बी.आर.एन. आपातस्थितियों से निपटने के लिए वास्तविक विशिष्ट कार्यवाही बल होने की भी छवि अर्जित करके अपना विशेष स्थान बनाया है। इस बल की कार्यवाही करने का समय, राज्यों को इस बल की 'सक्रिय' उपलब्धता की अवधारणा और संकटापन्न आपदा परिदृश्य में बल की (पूर्व-तैनाती) लेने की अवधारणा के कारण भी घटकर, बिल्कुल न्यूनतम रह गया है। राज्यों द्वारा भूकम्प, बाढ़ों, चक्रवातों, भू-स्खलनों, इमारतों का ढहना, रेल दुर्घटनाओं और सी.बी.आर.एन जोखिमों में बचाव और राहत प्रचालनों के लिए एन.डी.आर.एफ. की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। एन.डी.आर.एफ. द्वारा किए गए कुछ मुख्य कार्यवाही अभियानों को आगामी पैराग्राफों में उल्लिखित किया गया है।

जापान में प्रथम अंतरराष्ट्रीय अभियान

8.8 11 मार्च, 2011 को जापान के टोहोकू क्षेत्र को अप्रत्याशित स्तर के भूकंप ने झकझोर दिया जिसके परिणामस्वरूप सुनामी आ गई और फुकुशिमा न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्र में रिसाव हो गया। तत्पश्चात् नवीनतम खोज और बचाव तथा सी.बी.आर.एन. उपकरणों से सुसज्जित 46 कार्मिकों की एन.डी.आर.एफ. की एक टीम को राहत और पुनर्वास प्रयासों में स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता के लिए जापान के ओनागावा में (पहली अंतरराष्ट्रीय तैनाती के रूप में) तैनात किया गया। टोहोकू में शून्य तापमान और चुमने वाली ठंडी हवा के होते हुए भी एन.डी.आर.एफ. के कर्मियों ने कड़ी मेहनत के साथ 10 मीटर गहरे



मलबे के ढेर से उनका सामान, पचास लाख जापानी मुद्रा और 7 शवों को बरामद किया। एन.डी.आर.एफ. की अनुकरणीय प्रतिबद्धता और करुणा के व्यापक रूप की जापानी सरकार, जनता और मीडिया ने बहुत सराहना की।

8.9 28 दिसंबर, 2011 को, विश्व मामलों की भारतीय परिषद् द्वारा रणनीतिक और वैश्विक सहभागिता के आमंत्रण पर, जापान के माननीय प्रधानमंत्री श्री योशीहीको नोडा ने ताज पैलेस होटल, नई दिल्ली में अपने संबोधन में जापान में एन.डी.आर.एफ. की तैनाती के दौरान प्रदर्शित उनकी असाधारण लगन और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की।

जापान के माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के प्रासंगिक अंशों को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

8.10 "11 मार्च को, जापान के टोहोकू प्रांत को एक अप्रत्याशित स्तर के भूकंप ने झकझोर दिया। भारत सहित विश्व के कई राष्ट्रों ने जापान को व्यापक सहयोग दिया। जापानी लोगों की ओर से भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल (एन.डी.आर.एफ.) द्वारा वीरतापूर्ण प्रयासों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीय लोगों से प्राप्त सहायता के प्रति मैं पुनः अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। कमांडेंट आलोक अवस्थी की अगुवाई में, बल के 46 सदस्यों ने अपने कार्य में ऐसे उत्कृष्ट अनुशासन का परिचय दिया कि यह कोई नहीं सोच सकता था कि यह उनके सृजन के पश्चात् इस बल का पहला विदेशी अभियान था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उत्तरवर्ती मार्च के महीने में टोहोकू की प्रचंड कंपकंपाने वाली ठंड में भारत से आकर काम करना एन.डी.आर.एफ. सदस्यों के लिए कितना कठिन था। ओनागावा की



ऐसी कठोर स्थिति के बावजूद, सुनामी द्वारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मियामी प्रीफेक्चर के पत्तन शहर में स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को सुना और 10 मीटर से अधिक गहरे मलबे के ढेर से पीड़ितों के शव और उनकी वस्तुओं को तलाशने के लिए बड़े परिश्रम से कार्य किया। उनका समर्पण, पूर्ण सहृदयता और स्नेही मुस्कान उन लोगों के दिलों को छू गई जो आपदा से व्यथित थे और पीड़ितों में असीम आशा जगाई। घनिष्ठ बातचीत के माध्यम से आमने-सामने बैठकर ऐसे गर्मजोशी वाले संबंध बढ़ाने से पारस्परिक विश्वास पैदा करने का आधार बनता है और जापान और भारत के बीच मित्रता के बंधन - "किंजूना" को दृढ़ बनाता है। एन.डी.आर.एफ. सदस्यों का समर्पित प्रयास हमें उसके महत्व को याद दिलाता रहेगा।

सिक्किम भूकंप

8.11 18 सितंबर, 2011 को सिक्किम राज्य में एक बड़ा भूकंप आया। एन.डी.आर.एफ. बटालियन, ग्रेटर नोएडा और कोलकाता से एन.डी.आर.एफ. के 10 दलों (403 बचाव कर्मियों) को नवीनतम उपकरण और 14 खोजी श्वानों को वायुयान द्वारा सिक्किम भेजा गया। एन.डी.आर.एफ. के जवानों ने राज्य के सुदूर क्षेत्रों में लोगों को अधिक आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए बंजर भू-भाग, तूफानी मौसम और सीधी चढ़ाई पर विजय प्राप्त की। एन.डी.आर.एफ. कर्मियों ने बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सा सहायता पहुंचाई, शवों को निकाला और राहत सामग्री वितरित की।



भवन ढहने की घटना में, खोज और बचाव अभियान

8.12 संबद्ध प्राधिकारियों की मांग पर, एन.डी.आर.एफ. टीमें उद्योग विहार, गुड़गांव (हरियाणा) गरिया 24 दक्षिण परगना (पश्चिम बंगाल), काकीनारा (आंध्र प्रदेश) शालीमार गार्डन, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और चांदनी महल, दरियागंज (दिल्ली) के विभिन्न भवन ढहने की घटनाओं के दौरान तैनात की गई थीं।



इन भवनों के ढहने के दौरान खोज और बचाव अभियानों में एन.डी.आर.एफ. कर्मियों ने मलबे में फंसे 8 क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को बचाया और 5 पीड़ितों के शव बरामद किए।

रोहतास, बिहार में बाढ़ बचाव और राहत अभियान

8.13 मध्य प्रदेश के बाण सागर बांध और उत्तर प्रदेश के रिहन्द बांध से राोन नदी में 9.58 लाख क्यूसेक जल अप्रत्याशित रूप से छोड़ने के कारण बिहार के रोहतास जिले के कई ग्रामों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ग्रामवासियों ने 1975 से अब तक



कभी ऐसे भारी जल बहाव का अनुभव नहीं किया था। लगातार बाढ़ से ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का अधिक समय नहीं मिला। यह बाढ़ जैसी स्थिति 10 और 29 सितंबर, 2011 के बीच दो बार पैदा हुई। दोनों अवसरों पर एन.डी.आर.एफ. बटालियन पटना की दो टीमों बाढ़ बचाव उपकरणों के साथ तत्काल प्रभावित क्षेत्रों को भेजी गई और त्वरित कार्यवाई के असर से 1,162 पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया।

बाढ़ बचाव अभियान

8.14 वर्ष 2011-2012 के दौरान, एन.डी.आर.एफ. टीमों इनफ्लेटेबल नाव और अन्य प्राणरक्षक खोज और



बचाव उपकरणों के साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और असम के बाढ़ बचाव और राहत अभियानों के लिए लगाई गई थी। विभिन्न बाढ़ बचाव और राहत अभियानों में एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने 19,390 बाढ़ में फंसे व्यक्तियों के प्राण, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर, बचाए और बाढ़ पीड़ितों में 86.5 टन राहत सामग्री वितरित की।

पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में बस दुर्घटना

8.15 30 जुलाई, 2011 को 45 से अधिक यात्रियों को



ले जा रही एक प्राइवेट बस जम्मू कश्मीर के पहलगाम के नगरबल की लिदर नदी की खाई में गिर गई। नवीनतम खोज और बचाव उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. बटालियन, भटिंडा की एक टीम को बचाव और राहत प्रचालनों के लिए तत्काल घटना स्थल पर तैनात किया गया। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने सफलतापूर्वक क्षतिग्रस्त बस से 38 जखमी व्यक्तियों को और पीड़ितों के 07 शवों को निकाला।

कामरूप (असम); फतेहपुर, राजस्थान और वेल्लौर, तमिलनाडु में रेल दुर्घटनाएं

8.16 रेलवे प्राधिकारियों की मांग पर खोज और बचाव उपकरणों के साथ एन.डी.आर.एफ. की तीन टीम (103 कार्मिक) रंगिया, कामरूप (असम) में तैनात की गई जहां 10 जुलाई, 2011 को रेल दुर्घटना हुई थी। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने रेल के क्षतिग्रस्त डिब्बे को काटकर 8 चोटग्रस्त पीड़ितों को निकाला और चिकित्सा प्राधिकारियों को सौंपा।

8.17 16 जुलाई, 2011 को रेल दुर्घटना के पश्चात् रेलवे प्राधिकारियों की मांग पर मलवन, फतेहपुर (राजस्थान) में एन.डी.आर.एफ. की चार टीमों (129 कार्मिक) तैनात की गई। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने रेल के क्षतिग्रस्त डिब्बों को काट कर 02 व्यक्तियों की जानों को बचाया और 38 शव भी बरामद किए।

8.18 13 सितंबर, 2011 को लगभग 21.30 बजे एक खड़ी यात्री ट्रेन और ई.एम.यू. ट्रेन के बीच चित्तौरी रेलवे स्टेशन, वेल्लौर (तमिलनाडु) के समीप रेल दुर्घटना हुई। वेल्लौर के कलक्टर की मांग पर एन.डी.



आर.एफ. बटालियन, अराकोणम की चार टीमों (70 कार्मिक) खोज और बचाव अभियानों के लिए तत्काल लगाई गई। मूसलाधार वर्षा में कार्य करते हुए एन.डी. आर.एफ. कार्मिकों ने रेल के क्षतिग्रस्त डिब्बों को काट कर छह शव बरामद किए।

अन्य तैनाती

रक्षा प्रदर्शनी भारत, 2012, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

8.19 एन.डी.आर.एफ. बटालियन, गाजियाबाद की एक टीम (24 कार्मिक) 29 मार्च, से 1 अप्रैल, 2012 की अवधि के दौरान प्रगति मैदान में एन.बी.सी. सूट और अन्य एम.एफ.आर. तथा सी.एस.एस.आर. उपकरणों के साथ, "रक्षा प्रदर्शनी भारत 2012" के दौरान तैनात की गई।

अमरनाथ यात्रा के दौरान तैनाती



8.20 एन.डी.आर.एफ. बटालियन भटिंडा की दो टीम (90 कार्मिक), पोर्टेबल शेल्टर और अन्य एम.एफ.आर. और सी.एस.एस.आर. उपकरण के साथ अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को सहायता देने के लिए 17 जुलाई से 15 अगस्त, 2011 तक जम्मू और कश्मीर के पहलगाम और बालटाल में तैनात की गई। तैनाती की अवधि के दौरान यात्रियों को ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने तत्परतापूर्वक खोज और बचाव आरंभ किया और सफलतापूर्वक क्षतिग्रस्त बस से 38 जखमी यात्रियों को निकाल कर उनके प्राण बचाए और 7 पीड़ितों के शव भी निकाले।

क्षमता निर्माण

8.21 जागरूकता सृजन और समुदाय क्षमता निर्माण आपदा प्रबंधन संबंधी सक्रिय दृष्टिकोण के मुख्य संघटक हैं। चूंकि समुदाय निश्चय ही प्रथम कार्रवाईकर्ता होता है और यदि स्थानीय लोगों को किसी संकट की दशा में उठाए जाने वाली सावधानियों और निवारक कार्रवाइयों के बारे में उचित रूप से सुग्राही बनाया जाए तो प्राण की हानि और संपत्ति के नुकसान में काफी कमी आ सकती है। इस प्रकार एन.डी.आर.एफ. का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य सामुदायिक क्षमता निर्माण और सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से स्वयं को सतत व्यस्त रखना है जिसके अंतर्गत अधिक अनिश्चितता वाले क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर लोगों (प्रथम कार्रवाईकर्ता) और संबद्ध सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना सम्मिलित है। वर्ष 2011-12 के



दौरान, देश के विभिन्न भागों में एन.डी.आर.एफ. द्वारा 5,30,369 से अधिक सामुदायिक स्वैच्छिकों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण

एस.सी.डी.ए., सिंगापुर में हजमत पाठ्यक्रम

8.22 आठवें अंतरराष्ट्रीय हजमत पाठ्यक्रम का आयोजन 20 जून से 1 जुलाई, 2011 तक सिंगापुर सिविल डिफेंस अकादमी (एस.सी.डी.ए.), सिंगापुर में किया गया। एन.डी.आर.एफ. से 8 अधिकारी, साउथ कोरिया से 2 अधिकारियों और सिंगापुर पुलिस बल से 4 अधिकारियों के साथ पाठ्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण का उद्देश्य हजमत वाहनों को प्रचालनात्मक



विशेषज्ञता को प्राप्त करना था जैसा कि हाल ही में एन.डी.आर.एफ., सी. बी. आर.एन. बटालियनों ने उसे अधिप्राप्त किया है।

एन.डी.आर.एफ., यू.एस.ए.आर. टीम का आई.एन.एस.ए.आर.जी. प्रशिक्षण



8.23 एन.डी.आर.एफ. के आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी., आई.ई.सी. प्रमाणन के लिए लीडरशिप मॉड्यूल का पहला मिशन एन.डी.आर.एफ. बटालियन की मुंडली लोकेशन पर, 20-24 जून, 2011 से स्विस् विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधन और बचाव संघटक के लिए, संचालित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. और यू.एन.ओ.सी.एच.ए. की संरचना को स्पष्ट करना था। 22 जून से 8 जुलाई, 2011 तक स्विस् विशेषज्ञों द्वारा खोजी श्वान प्रशिक्षण का पहला मिशन भी संचालित किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बड़ी यू.एस.ए.आर. टीम के लिए उपयुक्त श्वानों की पहचान करना और खोजी श्वानों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली की तैयारी करना था।

आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. भूकंप कार्रवाई सिमुलेशन अभ्यास

8.24 अंतरराष्ट्रीय खोज और बचाव सलाहकार समूह (आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी.) और संयुक्त राष्ट्र मानवीय समन्वय कार्य कार्यालय के सहयोग से स्विस् विकास और समन्वय अभिकरण (एस.डी.सी.) ने क्रियेंस, स्विट्जरलैंड में 3 से 7 अक्टूबर, 2011 के दौरान सिमएक्स 2011 आयोजित किया। 10 अन्य अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ-साथ भारत से एन.डी.आर.एफ. टीम ने भी सिमएक्स-2011 में भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य सभी यू.एस.ए.आर. कार्यकलापों का समन्वय करना, प्रभावित क्षेत्र में आकलन करना, वास्तविक संभार-तंत्र बाध्यताओं की जानकारी प्राप्त करना, एल.ई.एम.ए. और ओ.एस.ओ.सी.सी. को रिपोर्ट करना, आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. चिह्नंकन (मार्किंग) आदि का आई.एन.एस.ए.आर.ए.जी. के दिशानिर्देश के अनुसार उपयोग करना।

एन.एस.ई.टी./पी.ई.ई.आर. द्वारा सी.एस.एस.आर. प्रशिक्षण

8.25 सी.एस.एस.आर. प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय भूकंप प्रौद्योगिकी सोसाइटी (एन.एस.ई.टी.) आपातस्थिति कार्रवाई वर्धन हेतु कार्यक्रम (पी.ई.ई.आर.),



नेपाल द्वारा बटालियन, एन.डी.आर.एफ., मुंडली के एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों के लिए 03-10 फरवरी, 2012 के दौरान किया गया। विभिन्न एन.डी.आर.एफ. बटालियनों के 17 कार्मिकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य एन.डी.आर.एफ. बटालियनों में मास्टर प्रशिक्षकों का एक पूल तैयार करना था।

पर्वतों हेतु खोज और बचाव प्रशिक्षण

8.26 दो एन.डी.आर.एफ. बटालियनों को पर्वतों हेतु खोज और बचाव का अतिरिक्त दायित्व दिया गया। इस समय, हिमालय पर्वतारोही (माउंटनेरिंग) संस्थान, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल और स्वामी विवेकानंद पर्वतारोही संस्थान, माउंट आबू, राजस्थान एन.डी.आर.एफ. कार्रवाईकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। एन.डी.आर.एफ. कार्मिक रैपलिंग, विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयों पर अपनाई जाने वाली बचाव तकनीकों, चट्टानी सतह पर चढ़ने, पर्वतारोही औजार/उपकरण और साधित्रों की सहायता से विभिन्न स्थितियों में विभिन्न प्रकार की गांठ और फंदों का उपयोग करने में प्रशिक्षित है। कुल मिलाकर, इन संस्थानों द्वारा अब तक 500 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

एस.डी.आर.एफ. प्रशिक्षण, मिजोरम

8.27 एन.डी.आर.एफ. बटालियन, गुवाहाटी के मास्टर इंस्ट्रक्टरों ने मिजोरम के लंगवर में 17 जनवरी से 13



फरवरी, 2012 के दौरान मिजोरम पुलिस कार्मिकों के लिए एस.डी.आर.एफ. प्रशिक्षण आयोजित किया। राज्य पुलिस के एस.डी.आर.एफ. कार्मिकों को एम.एफ.आर. और सी.एस.एस.आर., रस्सी से बचाव, बाढ़ में बचाव, और सी.बी.आर.एन. कार्रवाई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। मिजोरम सशस्त्र पुलिस के 49 (उनचास) कार्मिकों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

महाराष्ट्र का एस.आर.पी.एफ. प्रशिक्षण

8.28 श्री एम. शशिधर रेड्डी माननीय उपाध्यक्ष, एन.



डी.एम.ए. ने 1 जुलाई, 2011 को एस.आर.पी.एफ. कैम्प पुणे में एस.आर.पी.एफ. महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। एस.आर.पी.एफ. कार्मिकों का प्रशिक्षण एन.डी.आर.एफ. बटालियन, पुणे द्वारा संचालित किया गया।

कृत्रिम अभ्यास

8.29 01 अप्रैल, 2011 से एन.डी.आर.एफ. ने देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न हितधारकों के साथ रासायनिक (औद्योगिक आपदा), शहरी बाढ़, चक्रवात, भूकंप सिमुलेशन, रेल दुर्घटना आदि पर 45 कृत्रिम अभ्यास आयोजित किए गए। कृत्रिम अभ्यासके दौरान एन.डी.आर.एफ. कार्मिकों ने खोज और बचाव (एस.ए.आर.) प्रचालन, चिकित्सा प्रथम कार्रवाई, बड़ी दुर्घटना परिदृश्य में ट्रायज पर फंसे पीड़ित व्यक्तियों के बचाव का तरीका, ढह गए भवन में पीड़ितों की तलाश और लोकेशन जानने की तकनीकों, विसंदूषण प्रचालन आदि का प्रदर्शन किया। इन कृत्रिम अभ्यासों में लगभग 15,526 भागीदारों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।



9

प्रशासन एवं वित्त

सामान्य प्रशासन

एन.डी.एम.ए. सचिवालय

9.1 एन.डी.एम.ए. सचिवालय में पांच प्रभाग हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं – (i) नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरुकता प्रभाग, (ii) प्रशमन प्रभाग, (iii) प्रचालन और संचार प्रभाग, (iv) प्रशासन और समन्वय प्रभाग, तथा (v) वित्त और लेखा प्रभाग।

नीति, योजना, क्षमता निर्माण और जागरुकता प्रभाग

9.2 यह प्रभाग सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, दिशानिर्देशों और योजनाओं के अनुमोदन और सभी राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जागरुकता उपायों से जुड़े सभी मामलों को देखता है। आपदा प्रबंधन को विकास योजनाओं में शामिल कराना भी इस प्रभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रभाग में स्वीकृत कुल कर्मचारी 15 हैं—एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), तीन सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) तथा 8 सहायक स्टाफ।

9.3 क्षमता निर्माण भी इस प्रभाग का एक अन्य कार्य है जो एन.डी.एम.ए. का एक प्रमुख विषय है। इस प्रभाग ने इस प्रयास को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने का काम अपने हाथ में ले रखा है कि तैयारी की संस्कृति सभी स्तरों पर उत्पन्न की जाए। यह समुदाय और जमीनी स्तर के अन्य हितधारकों को शामिल करने के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट, दोनों संचार साधनों के उपयोग से जागरुकता सृजन करने की अवधारणा और निष्पादन का काम भी करता है।

प्रशमन प्रभाग

9.4 इस प्रभाग का उत्तरदायित्व चक्रवातों, भूकम्पों,

बाढ़ों, भूस्खलनों और पूर्ण सुरक्षित संचार तथा आई.टी. योजना आदि जैसे आपदा विषयों के बारे में मंत्रालयों और राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम प्रशमन परियोजनाओं का कार्य हाथ में लेना है। यह माइक्रोजोनेशन, असुरक्षितता विश्लेषण आदि जैसी परियोजनाओं के मार्गदर्शन तथा उनसे जुड़े विशेष अध्ययनों का कार्य भी कराता है। यह मंत्रालयों द्वारा स्वयं चलाई जा रही प्रशमन परियोजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण भी करता है। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या 10 है जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव के स्तर का), दो संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), दो सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के) और 5 सहायक स्टाफ हैं।

प्रचालन और संचार प्रभाग

9.5 शीर्ष निकाय के रूप में, एन.डी.एम.ए. को किसी भी समय आपदा की स्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए सदैव तैयार रहना अनिवार्य है जिसके लिए इसे नवीनतम सूचना से पूर्ण परिचित रहना आवश्यक है। महत्वपूर्ण क्रियाकलाप के लिए एन.डी.एम.ए. के पास दिन-रात आपदा विनिर्दिष्ट सूचना और आंकड़ों संबंधी जानकारी (इनपुट) देने की सुविधा के लिए एक प्रचालन केंद्र है तथा यह कार्रवाई के बाद के चरणों में भी प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। यह प्रभाग पुनर्वास एवं पुनर्बहाली संबंधी कार्यों में भी निकटता से शामिल रहता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त नव-निर्मित वातावरण आपदा समुत्थानशील हो।

9.6 इस प्रभाग का काम समर्पित और अनवरत प्रचालनात्मक नवीनतम संचार प्रणाली का रखरखाव करना भी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी खंड के आधारभूत घटक में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क तथा जी.आई.एस. आधारित अनुप्रयोगों पर बल

सहित ज्ञान प्रबंधन और आंकड़ों के संयोजन के विशेष संदर्भ में आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली शामिल हैं। इस प्रभाग में कुल स्वीकृत स्टाफ 19 हैं जिनमें एक सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), तीन संयुक्त सलाहकार (निदेशक स्तर के), चार सहायक सलाहकार (अवर सचिव स्तर के), दो ड्यूटी अधिकारी (अवर सचिव स्तर के) और 7 सहायक स्टाफ हैं।

प्रशासन और समन्वय प्रभाग

9.7 यह प्रभाग प्रशासन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए उत्तरदायी है। इसके क्रियाकलापों में मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ विस्तृत पत्राचार करना शामिल है। यह प्रभाग एन.डी.एम.ए. के सदस्यों और स्टाफ को सभी स्तरों पर प्रशासनिक एवं संहार तंत्र संबंधी सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 22 है जिसमें एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक, दो अवर सचिव और 18 सहायक कर्मचारी हैं।

वित्त और लेखा प्रभाग

9.8 वित्त और लेखा प्रभाग लेखा रखने, बजट बनाने, प्रस्तावों की वित्तीय संवीक्षा आदि विषयक कार्य करता है। यह प्रभाग व्यय की प्रगति को मॉनीटर करता है तथा अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देता है। इस प्रभाग में स्वीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या 8 है जिनमें एक वित्तीय सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर का), एक निदेशक, एक सहायक वित्तीय सलाहकार (अवर सचिव स्तर का) और पांच सहायक कर्मचारी हैं। इसके कार्यों और उत्तरदायित्वों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- एन.डी.एम.ए. के बजट का आहरण करना।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.) की अपेक्षाओं के अनुसार विभागीय खातों का रखरखाव।
- नियंत्रण रजिस्टर रखकर स्वीकृत अनुदानों में से किए गए व्यय की प्रगति पर निगरानी रखना और उसकी समीक्षा करना।
- प्रत्यायोजित शक्तियों के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सब मामलों पर एन.डी.एम.ए. को सलाह देना।
- स्कीम और महत्वपूर्ण व्यय प्रस्ताव तैयार करने में, उनसे उनके आरंभिक चरणों से ही, निकटता से जुड़े रहना।
- लेखा-परीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, प्रारूप लेखापरीक्षा पैराओं आदि के निपटारे का काम देखना,
- लेखापरीक्षा रिपोर्टों, लोक लेखा समिति (पी. ए.सी.) और प्राक्कलन समिति की रिपोर्टों पर तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समय से प्रस्तुति को सुनिश्चित करना।

वित्त और बजट

9.9 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में, एन.डी.एम.ए. को अनुदान सं. 54 - गृह मंत्रालय के अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बजट शीर्षों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है:

ब.अ., सं.अ., पुन: विनियोग और वास्तविक व्यय-2011-12 (आयोजना)		
संगठन का नाम : राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)		
अनुदान सं.	55	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय
मुख्य शीर्ष	2245	प्राकृतिक विपत्तियों पर राहत
लघु शीर्ष	80.102	प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा प्रवण क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं
उप-शीर्ष	04	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
		आयोजना
(हजार रुपयों में)		

क्र. सं.		वस्तु शीर्ष	ब.अ. 2011-12	सं.अ. 2011-12	पुनः विनियोग	वास्तविक व्यय 2011-12
		1	2	3	4	6
	2245	राजस्व				
	02	राष्ट्रीय भूकंप प्रशमन परियोजना				
1.	04.02.11	घरेलू यात्रा व्यय	1000	100		0
2.	04.02.12	विदेशी यात्रा व्यय	1000	0		0
3.	04.02.13	कार्यालय व्यय	3500	200		0
4.	04.02.16	प्रकाशन	2000	300		0
5.	04.02.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	4500	200		0
6.	04.02.26	विज्ञापन और प्रचार	20000	200		0
7.	04.02.28	व्यावसायिक सेवाएं	27000	1000		0
8.	04.02.31	सहायता अनुदान (सामान्य)	40900	0		0
9.	04.02.35	पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	100	0		0
		कुल एन.ई.एम.पी.	100000	2000		0
	03	भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना				
1.	04.03.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	1000	0		0
2.	04.03.28	व्यावसायिक सेवाएं	18800	0		0
3.	04.03.31	सहायता अनुदान (सामान्य)	100	0		0
4.	04.03.35	पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	100	0		0
		कुल एल.आर.एम.पी.	20000	0		0
	04	आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क				
1.	04.04.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	1000	1000	0	0
2.	04.04.28	व्यावसायिक सेवाएं	1000	1000	0	0
3.	04.04.31	सहायता अनुदान (सामान्य)	4000	1000		0
4.	04.04.35	पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	144000	2000		0
		कुल डी.एम.सी.एन	150000	23000		0
	05	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं				
1.	04.05.11	घरेलू यात्रा व्यय	1000	500		0
2.	04.05.12	विदेशी यात्रा व्यय	1000	0		0
3.	04.05.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	38000	8000		0
4.	04.05.26	विज्ञापन और प्रचार	1000	1000		43.0750
5.	04.05.27	लघु कार्य	1000	0		0
6.	04.05.28	व्यावसायिक सेवाएं	38000	20000		20192.750
7.	04.05.31	सहायता अनुदान (सामान्य)	189900	50000		45579
8.	04.05.35	पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	50600	1000		0

क्र. सं.		वस्तु शीर्ष	ब.अ. 2011-12	सं.अ. 2011-12	पुनः विनियोग	वास्तविक व्यय 2011-12
		सूचना प्रौद्योगिकी				
9.		कार्यालय व्यय	3200	0		0
10.		मशीनरी और उपस्कर	75300	0		0
		कुल ओ.डी.एम.पी.	399000	80500		65814.8250
	06	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना जिसमें विश्व बैंक सहायता भी है				
1.	04.06.01	वेतन	24000	5000		207.334
2.	04.06.02	मजदूरी	2000	0		0
3.	04.06.03	समयोपरि भत्ता	1000	0		0
4.	04.06.11	घरेलू यात्रा व्यय	100000	4000	-96000	86.116
5.	04.06.12	विदेशी यात्रा व्यय	20000	1000	-19000	0
6.	04.06.13	कार्यालय व्यय	400000	5000	-317700	0
7.	04.06.14	किराया, दर और कर	9000	5000		0
8.	04.06.16	प्रकाशन	2000	0		0
9.	04.06.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	100000	5000	-95000	0
10.	04.06.26	विज्ञापन और प्रचार	20000	5000	-9900	353.030
11.	04.06.28	व्यावसायिक सेवाएं	530000	100000	-495000	5431.568
12.	04.06.31	सहायता अनुदान (सामान्य)	150000	140000		93868
13.	04.06.35	पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	850000	856300		698540
14.	04.06.50 99	अन्य प्रभार (v) सूचना प्रौद्योगिकी	36000	0		0
15.	04.99.13	कार्यालय व्यय	116000	0		0
16.	04.99.52	मशीनरी और उपस्कर	100000	0		0
		कुल एन.सी.आर.एम.पी.	2460000	1126300	-1032600	798486.048
	07	राष्ट्रीय बाढ़ आपदा प्रबंधन				
1.	04.07.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	1000	100		0
2.	04.07.28	व्यावसायिक सेवाएं	9000	200		0.5
3.	04.07.31	सामान्य सहायता अनुदान	9900	200		0
4.	04.07.35	पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान	100	100		0
		योग	20000	600		0.5
		कुल योग (आयोजना)	3149000	1232400	-1032600	864301.373

अनुबंध-1

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) का संगठन

वर्तमान संगठन

1.	डॉ. मनमोहन सिंह	भारत के प्रधानमंत्री-अध्यक्ष
2.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	उपाध्यक्ष (16-12-2010 से)
3.	श्री बी. भट्टाचार्य	सदस्य (15-12-2011 से)
4.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (18-04-2007 से)
5.	श्री टी. नन्दा कुमार	सदस्य (08-10-2010 से)
6.	मेजर जन. (डॉ.) जे. के. बंसल	सदस्य (06-10-2010 से)
7.	डॉ. मुजफ्फर अहमद	सदस्य (10-12-2010 से)
8.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (14-12-2011 से)
9.	डॉ. हर्ष के. गुप्ता	सदस्य (23-12-2011 से)

संस्थापक सदस्य

1.	जन. एन. सी. विज	उपाध्यक्ष (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
2.	लेफ्टि. जन. (डॉ.) जे. आर. भारद्वाज	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
3.	डॉ. मोहन कान्डा	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
4.	प्रो. एन. विनोद चन्द्र मेनन	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
5.	श्री एम. शशिधर रेड्डी	सदस्य (05.10.2005 से 04.10.2010 तक)
		सदस्य (11.10.2010 से 16.12.2010 तक)
6.	श्री के. एम. सिंह	सदस्य (28.09.2005 से 27.09.2010 तक)
7.	श्रीमती पी. ज्योति राव	सदस्य (14.08.2006 से 13.08.2011 तक)
8.	श्री बी. भट्टाचार्य	सदस्य (21.08.2006 से 20.08.2011 तक)
9.	श्री जे. के. सिन्हा	सदस्य (18.04.2007 से)

अनुबंध-II

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची

1. डॉ. सुतानु बेहरिया, सचिव (02.11.2011 से)
2. डॉ. नूर मोहम्मद, सचिव (01.02.2011 से 31.07.2011 तक)
3. श्रीमती अर्चना गोयल गुलाटी, वित्त सलाहकार (01.02.2012 से)
4. श्री सुनील कुमार कोहली, वित्त सलाहकार (01.08.2008 से 31.07.2011 तक)
5. श्री अमित झा, संयुक्त सचिव (27.02.2009 से)
6. श्रीमती सुजाता सौनिक, संयुक्त सचिव (18.12.2009 से)
7. श्री पी. के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव (06.10.2010 से)
8. श्री ए. आर. सुले, निदेशक (31.03.2006 से 15.11.2011 तक)
9. श्री आर. के. सिंह, संयुक्त सलाहकार (20.02.2009 से)
10. श्री एस. एस. यादव, संयुक्त सलाहकार (22.05.2009 से 19.09.2011 तक)
11. कर्नल शशि भूषण, संयुक्त सलाहकार (31.08.2010 से)
12. कर्नल बी. बी. सिंह, संयुक्त सलाहकार (14.01.2011 से)
13. श्री आर. के. चोपड़ा, उप सचिव (04.04.2011 से)
14. श्री मुनीष गिरधर, उप सचिव (29.04.2011 से)
15. श्री पी. ठाकुर, सहायक सलाहकार (07.05.2008 से)
16. श्री जे. सी. बाबू, सहायक सलाहकार (03.10.2008 से)
17. श्री एस. के. प्रसाद, सहायक सलाहकार (01.10.2008 से)
18. श्री ए. के. जैन, सहायक सलाहकार (01.11.2008 से)
19. श्री बुद्ध राम, सहायक वित्त सलाहकार (31.12.2008 से)
20. श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज, सहायक सलाहकार (19.01.2009 से)
21. श्री आर. के. चोपड़ा, अवर सचिव (14.11.2006 से 03.04.2011 तक)
22. श्री डी. पी. माझी, अवर सचिव (18.08.2011 से)

अनुबंध-III

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञों की सूची

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

1. डॉ. सुशांत कुमार जेना (22.05.2006 से)
2. श्री नवल प्रकाश (22.05.2006 से)
3. डॉ. पवन कुमार सिंह (23.05.2006 से)
4. डॉ. ए. के. सिन्हा (22.10.2010 से)